खण्ड-381, अंक-3
बुधवार, 17 आषाढ़, शक संवत् 1909
(8 जुलाई, 1987 ई0)

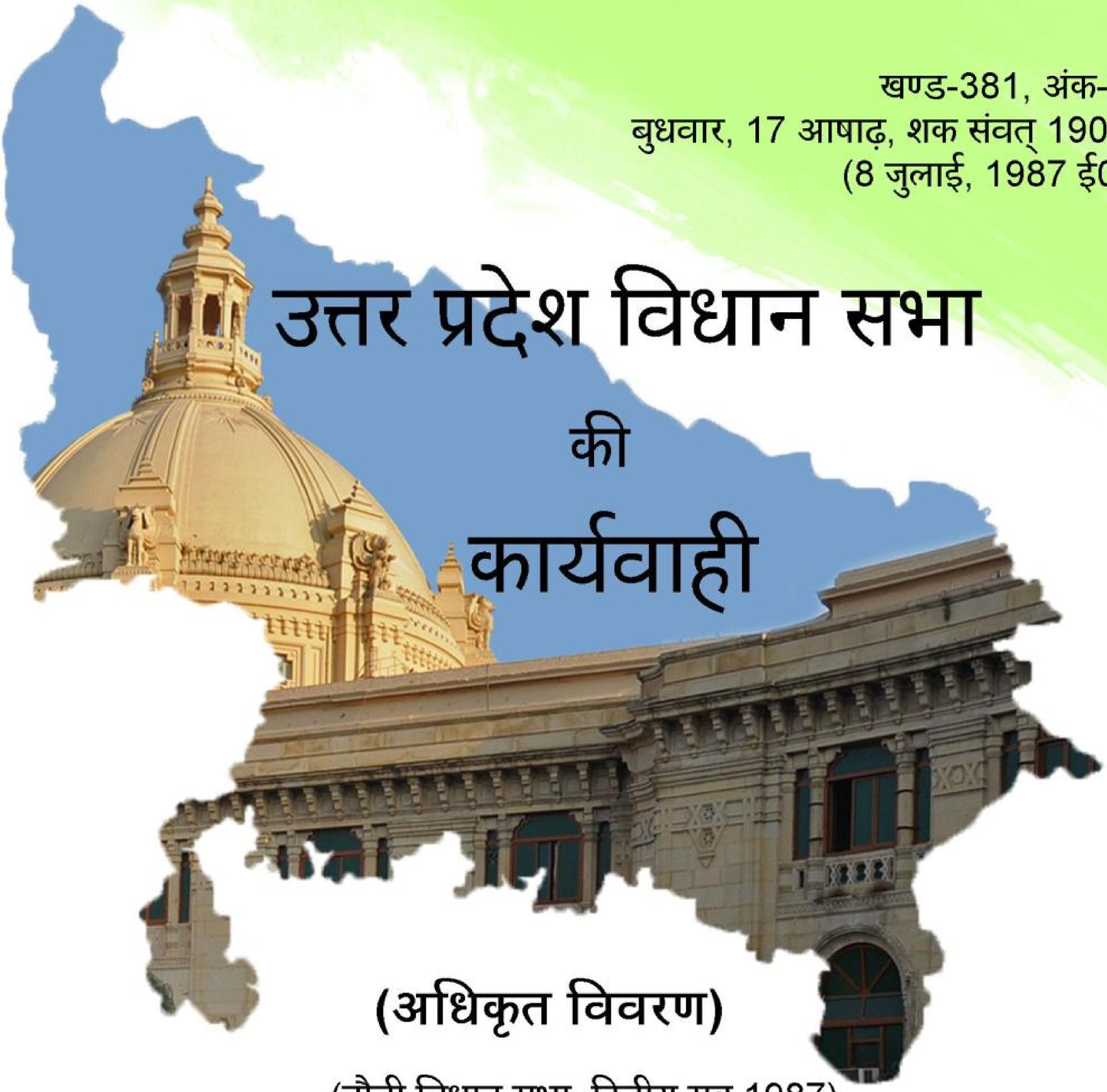

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, द्वितीय सत्र 1987)

खण्ड 381 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 25 पैसे , उत्तर प्रदेश (भारत)
1987

मूल्य : बिना महसूल 31 पैसे, महसूल सहित १० रुपये |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल १२ रुपये, महसूल सहित Mudrak City is Not Mentio

बिषय-सूची

बिषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1–2
प्रश्नोत्तर	3–54
पंजाब में हुए बस हत्याकान्ड पर चर्चा किए जाने की मांग	54–63
ग्राम लालरू, जिला पटियाला (पंजाब) और दरियापुर, जिला हिसार (हरियाणा) में आतंकवादियों द्वारा किए गए अमानवीय और नृशंस हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में शोक संवेदना का प्रस्ताव (स्वीकृत)	63–68
रानीगंज बाजार बलिया में भागड़ नाले पर पुल निर्माण कार्य में विलम्ब एवं व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	68
मण्डी क्षेत्र शाहपुर में ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के प्रस्तावित निर्माण कार्य के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	68
टाउन एरिया किरावली, आगरा में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा नागरिक सुविधाओं का अभाव होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	69
प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	69–70
जनपद अलीगढ़ में नहरी पानी के अभाव में किसानों में व्याप्त असन्तोष होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	70
विकास खण्ड हसायन, अलीगढ़ के कतिपय ग्रामों में जल भराव की समस्या होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	70
विकास खण्ड साण्डी, हरदोई में एन0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत आदमपुर मलवा अकबेलपुर मार्ग के निर्माण कार्य में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	71
औचित्य के प्रश्नों की सूचना	71
इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1987 तथा उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1987 (विधान परिषद से वापसी की सूचना)	71
उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का अष्टम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	71
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) (नियुक्ति प्राधिकारी) विधेयक, 1987 (पुरःस्थापित किया गया)	72
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	72–78
वित्तीय वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मागों पर मतदान—अनुदान संख्या 76–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) तथा अनुदान संख्या 77–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत)	78–127
नियम 300 के अन्तर्गत नगर भूमि सीमा आरोपण निदेशालय से सम्बन्धित मामले की सूचना पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	127–128
तमिलनाडू के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री करुणानिधि के विरुद्ध सदन की अवमानना की सूचना पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	128–129
आज की कार्य-सूची की मद संख्या 13 को स्थगित किए जाने की सूचना ..	129
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	129
नत्थियां	130–135

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 8 जुलाई, 1987

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री त्रिलोक चन्द्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे—

अकबर अहमद 'डम्पी', श्री	नैनीताल
अकबर हुसैन बावर, श्री	फैजाबाद
अचल सिंह, श्री	फतेहपुर
अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर
अतर सिंह यादव, श्री	एटा
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर
अशोक बाजपेयी, श्री	हरदोई
आर0 एन0 पाठक, श्री	कानपुर
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा
कमाल अहमद रिजवी, श्री	खीरी
किशन लाल दिलेर, श्री	अलीगढ़
किशोरी लाल सकलानी, श्री	देहरादून
केशरी प्रसाद, श्री	जौनपुर
कौशिक रमाशंकर, श्री	मुरादाबाद
गया प्रसाद वर्मा, श्री	इटावा
गौरी शंकर, श्री	इटावा
गौरी शंकर भइया, श्री	बलिया
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली
जगमोहन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
जमुना प्रसाद बोस, श्री	बांदा
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ
जवाहर सिंह यादव, श्री	इलाहाबाद
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री	कानपुर
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधनाथ, श्री	जौनपुर
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
नरेश पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़
पदमा सेठ, श्रीमती	सीतापुर
परमाई लाल, श्री	हरदोई
पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री	कानपुर
पारसनाथ यादव, श्री	जौनपुर
प्रवीण कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फसीउर्रहमान, श्री (उर्फ मुन्नन खां)	गोंडा
बद्री सिंह, श्री	जालौन
बलवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
बालेश्वर, श्री	देवरिया
बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री	सीतापुर
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री	बाराबंकी
भगौती सिंह, श्री	लखनऊ
भोपाल सिंह, श्री	मेरठ
मंगल देव, श्री	गोण्डा
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती
महाराज सिंह, चौधरी	इटावा
महावीर सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र भाटी, श्री	गाजियाबाद
मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद अबरार अहमद, इंजीनियर, श्री	बदायूं
मोहम्मद आकिल, श्री (उर्फ मुन्ना मियां)	मुरादाबाद
रतन स्वरूप राही, श्री	बुलन्दशहर
रमा कान्त, श्री	आजमगढ़
रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव, श्री	एटा
राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राज किशोर सिंह, श्री	वाराणसी
राजपती देवी, श्रीमती	सुल्तानपुर
राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री	बाराबंकी
राम जनम, श्री	आजमगढ़
राम नन्दिनी वर्मा, श्रीमती	फर्रुखाबाद
राम सजीवन, श्री	बांदा

राम सरन, श्री	सहारनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
रेवती रमण सिंह, कुंवर	इलाहाबाद
लालता प्रसाद निषाद, चौधरी	गाजीपुर
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
विष्णु देव, श्री	आजमगढ़
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	एटा
शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया
श्री प्रकाश, श्री	आजमगढ़
सतीश अजमानी, श्री	खीरी
सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
सुरेश चन्द्र, श्री	नैनीताल
हफीज भारती, श्री	आजमगढ़
हर्ष वर्धन, श्री	गोरखपुर
हृदय नरायन दीक्षित, श्री	उन्नाव

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

बुधवार, दिनांक 8 जुलाई, 1987 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

विद्युत वितरण केन्द्र फतेहगंज, लखनऊ को नियमित विद्युत आपूर्ति

**1—श्री शारदा प्रताप (अनुपस्थित)—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के काकोरी ब्लाक के अन्तर्गत विद्युत वितरण केन्द्र फतेहगंज को टिकैतराय तालाब लखनऊ स्थित बिजली ग्रिड से जो बिजली सप्लाई की जाती थी उसकी लाइन के तार लगभग 5 साल पूर्व काट लिए गए थे, जिसके कारण उक्त केन्द्र को पूर्ण क्षमता में समुचित सप्लाई न होने से क्षेत्र के किसानों एवं कोल्डस्टोरेज व टी0 वी0 टावर को नियमित विद्युत आपूर्ति नहीं हो पाती और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है? यदि हां, तो उक्त तार ठीक करा-कर अभी तक विद्युत आपूर्ति न किए जाने के क्या कारण हैं ? इसे कब तक चालू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)—

फतेहगंज 33 के0 वी0 उपकेन्द्र के लिए पहले टिकैतराय तालाब लखनऊ विद्युत सब स्टेशन से जिस 33 के0 वी0 लाइन द्वारा विद्युत आपूर्ति की जाती थी, उस लाइन के कुछ खम्भों के बीच के तार चोरी में कट गये थे। यह सही नहीं है कि इस कारण उक्त केन्द्र को पूर्ण क्षमता से समुचित सप्लाई नहीं मिल रही है क्योंकि सरोजनी नगर 220 के0 वी0 सब स्टेशन बनने के पश्चात्, जिसकी क्षमता अधिक है पहले से ही फतेहगंज को 33 के0 वी0 सरोजनीनगर अमौसी-फतेहगंज लाइन द्वारा समुचित विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

220 के0 वी0 सरोजनीनगर सब स्टेशन से 33 के0 वी0 लाइन द्वारा फतेहगंज को विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था के फलस्वरूप टिकैतराय तालाब-फतेहगंज 33 के0 वी0 लाइन की आवश्यकता नहीं रही। अतः चोरी में कटा हुआ तार ठीक कराने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि अवशेष खंभों और तारों को उखाड़कर अन्यत्र प्रयोग किया जायगा।

राजकीय कर्मचारी/जिला परिषद् कर्मचारियों की सामूहिक बीमा राशि में असमानता

**2—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि राजकीय कर्मचारियों के वेतन से 20 रुपये प्रति माह सामूहिक बीमा की किश्त काटी जाती है और कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को 25,000 रुपये बीमा की धनराशि प्रदान की जाती है जबकि जिला परिषदों के कर्मचारियों के वेतन से भी राजकीय कर्मचारियों की भांति 20 रुपये प्रति माह वेतन से बीमा की किश्त काटी जाती है और सेवा काल में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 12,500 रुपये बीमा के दिये जाते हैं ? यदि हां, तो यह असमानता क्यों ? क्या शासन राजकीय कर्मचारियों की भांति ही जिला परिषद् कर्मचारियों के आश्रितों को मृत्यु के उपरान्त 25,000 रुपये बीमा की धनराशि देने पर विचार करेगा? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

राजकीय कर्मचारियों के वेतन से 20 रुपये प्रतिमाह सामूहिक बीमा की किश्त काटे जाने पर कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को 25,000 रु0 बीमा की धनराशि का भुगतान किया जाता है। जिला परिषद् कर्मचारियों के वेतन से 21 रुपये प्रतिमाह की कटौती की जाती है तथा सेवा काल में मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को जीवन बीमा निगम द्वारा 12 हजार रु0 सामूहिक बीमा की धनराशि का भुगतान किया जाता है।

इस असमानता को दूर करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से विचार विमर्श जारी है।

मान्यवर, इसमें पैरा 2 में मैं आपकी अनुमति से थोड़ा परिवर्तन करना चाहता हूं। इसमें यह है कि 25 हजार रु0 बीमा धनराशि का भुगतान करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से कहा गया है।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इसमें यह स्वीकार कर लिया कि प्रदेश के बाकी कर्मचारियों से उनकी सेवा काल में 20 रु0 प्रतिमाह सामूहिक बीमा की किश्त काटी जाती है और कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को 25 हजार रु0 बीमा की धनराशि का भुगतान किया जाता है और जिला परिषद् के कर्मचारियों के वेतन से 21 रु0 प्रतिमाह काटा जाता है और उनके आश्रितों को 12 हजार रु0 की धनराशि का भुगतान किया जाता है तथा इस असमानता को दूर करने के लिए भारतीय जीवन बीमा से विचार विमर्श जारी है। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस बात से शासन सहमत है कि जिस तरह से प्रदेश के कर्मचारियों को 25 हजार रु0 बीमा धनराशि का भुगतान किया जाता है, क्या उसी तरह से जिला परिषद् के कर्मचारियों को भी 25 हजार रु0 की धनराशि का भुगतान किया जायेगा ? क्या शासन इसी नीति पर भारतीय जीवन बीमा निगम से बात कर रहा है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां, शासन इससे सहमत है और शासन ने निर्णय भी लिया है कि जिला परिषद के कर्मचारियों के आश्रितों को भी 25 हजार रु0 की बीमा धनराशि का भुगतान होना चाहिए और उसी हिसाब से कटौती भी हो रही है जीवन बीमा निगम को लिखा गया है और 26-8-85 को उन्होंने कुछ जानकारी मांगी थी, उसका भी जवाब शासन ने भेज दिया है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

यह जो मामला है राज्य कर्मचारियों का और जिला परिषद् के कर्मचारियों का, इस मामले की जानकारी क्या माननीय मंत्री जी को इस प्रश्न के आने के बाद हुई या यह मामला पहले से उनको प्रेषित किया गया था ? यह मामला कब शासन की जानकारी में आया और तब से अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, यह शासन की जानकारी में पहले से था। 20 मई, 1984 को शासनादेश भी निर्गत कर दिया गया कि इनको 25 हजार रु0 बीमा की धनराशि मिलनी चाहिए। यह निर्णय भी शासन ने 20 मई, 1984 को लिया था और इसके लिए

26 अगस्त, 1985 को कुछ शर्तों के बारे में जीवन बीमा निगम ने शासन को लिखा। उनकी जो शर्तें थीं उनके संबंध में भी शासन द्वारा जवाब भेज दिया गया है और उन्हें लिखा गया है कि वे इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें। इसके लिए शासन स्तर से प्रयास किया जा रहा है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, यह जो विसंगति है यह केवल इसलिए है कि जिला परिषद् के कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारी नहीं माना जाता है और उनका कहना है कि वे भी वही काम करते हैं जो प्लानिंग वाले करते हैं। दोनों साथ-साथ काम करते हैं तो क्या माननीय मंत्री जी जिला परिषद् के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी मानने की घोषणा करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि शासनादेश 20 मई, 1984 में इस आशय का हो गया है और इस संबंध में जीवन बीमा निगम से विचार-विमर्श चल रहा है और इस विचार-विमर्श के पूर्ण हो जाने के बाद, एक तो जीवन बीमा निगम इस पर सहमत हो ही जायेगा तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की घोषणा करेंगे कि जिनकी मृत्यु मई, 84 के बाद हुयी है और उन्हें 12,500 रुपये ही दिए गए हैं तो क्या उनके आश्रितों को इसकी शेष धनराशि दिलाने की कृपा करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

नहीं मान्यवर, यह 1 अगस्त, 1984 के बाद से लागू होगा।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, जैसा कि अभी मा0 ओझा जी ने जिला परिषद् के कर्मचारियों व राज्य सरकार कर्मचारियों में वेतन संबंधी विसंगतियां हैं, उनको दूर करने के लिए विचार करने के लिए कहा तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि जी नहीं। तो मान्यवर, इन दोनों राज्य कर्मचारियों में जो विसंगतियां हैं, उनको दूर न करने के क्या कारण हैं, जबकि दोनों की सेवायें समान हैं?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

नहीं मान्यवर, यह मैंने नहीं कहा, शायद आपने सुना नहीं माननीय ओझा जी ने यह प्रश्न किया था कि क्या जिला परिषद् के कर्मचारियों को राज्य सरकार कर्मचारी घोषित करेंगे, मैंने इसके जवाब में कहा कि जी नहीं।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी उत्तर देना चाहते हैं कि जिला परिषद् में कार्यरत कर्मचारियों व राज्य कर्मचारियों में जो वेतन संबंधी विसंगतियां हैं, इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

यह सम्भव नहीं है।

[बुधवार, दिनांक 8 जुलाई, 1987 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में सस्ते गल्ले की दुकानों के लाइसेन्स, परगनाधिकारियों द्वारा दिये जाने की मांग

*1—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने जब से परगनाधिकारियों से सस्ते गल्ले की दुकानों के लाइसेंस देने का अधिकार लेकर जिला स्तरीय समितियों के सुपुर्द किया है तब से कई-कई माह तक कई क्षेत्रों की दुकानें नये लाइसेंस जारी न होने के कारण बन्द पड़ी रहती हैं क्योंकि जिला स्तरीय समिति से लाइसेंस मिलने में उक्त प्रणाली के कारण अत्यधिक समय लगता है और इस कारण ग्रामीण क्षेत्र अत्यधिक आवश्यक वस्तुओं से वंचित रहते हैं? यदि हां, तो उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए क्या मंत्री जी फिर से सस्ते गल्ले की दुकानों का लाइसेंस देने के अधिकार संबंधित परगना अधिकारियों को देने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

निरस्त की गयी उचित दर की दुकानों के स्थान पर जिला स्तरीय समितियों के माध्यम से नये दुकानदार की नियुक्ति दो माह के अन्दर अवश्य कर देने तथा दुकानों के निरस्त रहने की अवधि में उनसे सम्बद्ध कार्ड धारकों को निकटतम दुकान से सम्बद्ध कर सामग्रियों का वितरण कराने के लिए आदेश जिलाधिकारियों को दिये गये हैं। अतः दुकानों के आवंटन की वर्तमान प्रक्रिया से उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा का प्रश्न नहीं उठता है।

उचित दर की दुकानों के आवंटन में जिला चयन समितियों की भूमिका को देखते हुए वर्तमान व्यवस्था में किसी परिवर्तन का औचित्य नहीं है।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि इससे उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा का प्रश्न नहीं उठता। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वास्तविक स्थिति क्या है, क्या इस बात की उन्हें जानकारी है कि जो दुकान निरस्त कर दी जाती है, उस दुकान के कार्ड-होल्डरों को दूसरी दुकान पर लगा दिया जाता है और उन गांव के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं रहती कि उनको कहां लगा दिया गया है, जिसके फलस्वरूप वह दुकानदार फिर अपनी मर्जी से सारी सामग्री बेच लेता है। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से मेरा यह सुझाव है कि जो दुकान निरस्त होती है, उसी के आसपास एक ब्रांच उस दुकानदार की वहां पर खोल दी जाए, जब तक उस गांव में वह दुकान न लग जाए, इससे वहां के उपभोक्ताओं को उनकी सामग्री भी मिल जायेगी और उन्हें परेशानी भी इस सम्बन्ध में इधर-उधर दौड़-भाग करने में नहीं होगी।

श्री हुकुम सिंह—

इस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री कल्यान सिंह–

जैसा कि मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वयं अपने उत्तर में कहा कि जिला स्तरीय समिति द्वारा लाइसेंस देने में विलम्ब तो होता है तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसा कोई आश्वासन देंगे कि इन समितियों को जिला स्तरीय समिति से हटाकर तहसील स्तरीय समिति में इसको ले आवें और इन समितियों में स्थानीय विधायक एवं स्थानीय क्षेत्र समिति के प्रमुखों को पदेन सदस्य मनोनीत करने पर विचार करेंगे ताकि इन दुकानों में गतिशीलता आ जाये।

श्री हुकुम सिंह–

ऐसी कठिनाइयों का उल्लेख पहले भी किया गया है, इस बात को देखते हुए यह कहा गया है कि दो महीने के भीतर यह निर्णय हो जाना चाहिए कि अगर कोई दुकान निरस्त हो जाती है तो दो माह के भीतर नई दुकान को आवंटित कर दिया जाए।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मिट्टी के तेल के लाईसेंस देने के अधिकार तो एस0 डी0 एम0 को आपने दे रखे हैं और गल्ले के लाइसेंस जिला स्तरीय समिति को दे रखा है . . .

तो क्या मिट्टी के तेल के लाइसेंस जिस तरह से बन रहे हैं, तो इनको भी जिला स्तरीय समितियों में भेजने का कष्ट करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसमें जो फेयर प्राइस शाप हैं, सस्ते गल्ले की दुकानें हैं, उसके जो आवंटन की बात है, उसमें शासन द्वारा कुछ वरीयताएं दी जाती हैं, इस बात को देखते हुए ही जिला स्तरीय समितियां बनायी गयी हैं, ताकि शासन की नीतियों का कड़ाई से पालन किया जा सके। पाण्डेय जी ने मिट्टी के तेल की बात कही है, उसमें स्थानीय स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये यह सुविधा दी गयी है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि जिलाधिकारी को निर्देश दे दिये गये हैं कि वे दो माह में यह सुनिश्चित कर लें कि दुकानों के लाइसेंस दे दिये जायं, लेकिन वास्तविकता इससे दूर है। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे कि जब कोई दुकान निरस्त की जाय तो उसकी सूचना उस क्षेत्र के जन-प्रतिनिधियों को दी जायगी और जब नयी दुकान का लाइसेंस दो माह में दे दिया जायगा तो इसकी सूचना भी जन-प्रतिनिधियों को दी जायगी ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, बरारजी का सुझाव अच्छा है, इसका पालन किया जायगा।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, क्या माननीय मंत्री जी इस बात का पता लगाएंगे कि यह जो समितियों का निर्देश जारी हुआ है, ये समितियां समय से बैठती नहीं हैं। आप बलिया की जांच करा लें, तीन बार बैठक स्थगित होने के बाद पूरे

साल में एक बार समिति की बैठक हुई और उसी बैठक में सप्लाई वालों को अधिकृत कर दिया गया और मनमानी करके बैक डेट में लाइसेंस देकर खानापूरी कर ली गयी और मंजूरी कर ली गयी । होता यह है कि इन बैठकों में सारे मेम्बर कभी नहीं रहते । कभी कोई नहीं रहता तो कभी कोई नहीं रहता । इन समितियों में असिस्टेंट कमिश्नर, आर0 एम0 ओ0, एस0 डी0 ओ0, हरिजन अधिकारी आदि बहुत से लोग होते हैं । तो क्या इन समितियों को इफेक्टिव बनाने के लिये, इसके मेम्बरों की संख्या कम करके नयी जिला स्तरीय समितियां बनाने का कष्ट करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, बलिया के संबंध में मा0 मैनेजर सिंह ने शिकायत रखी, मैं मानता हूं कि उस जनपद में साल में एक ही बैठक हो पायी और 109 दुकानों का ही आवंटन हो पाया । आगे से ध्यान रखा जायगा कि दुकानों का आवंटन समय से हो जाय ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)–

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति में वहां का क्षेत्र बड़ा होता है और उसमें जनसंख्या कम होती है, तो क्या मा0 मंत्रीजी वहां पर जो इस समय की व्यवस्था है कि 1500 या 1000 यूनिट पर एक दुकान दी जाती है, क्या 500 यूनिट पर एक दुकान देने पर विचार करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, दुकानों की संख्या तो प्रतिवर्ष बढ़ रही है । इस साल दो हजार नयी दुकानें खोलने का लक्ष्य रखा गया है । मान्यवर, दो पहलू हैं, पहला यह कि जिसको दुकान दी जा रही है, उसके लिये वह आर्थिक रूप से वाइबिल है या नहीं, अभी तो दो हजार यूनिट से कम में वह दुकान चला ही नहीं पा रहा है । हम इन सारी चीजों पर विचार करके निर्णय लेंगे ।

प्रधान प्रभु दयाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि जो एक-एक लीटर मिट्टी के तेल के लिये 5-6 किलोमीटर जाना पड़ता है, क्या ऐसा प्रयास करेंगे कि दो ढाई किलोमीटर में ही मिट्टी का तेल मिल जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, प्रभू दयाल जी तो अपनी बोगी लेकर जाने कहां-कहां आते जाते हैं, लेकिन जहां तक दो ढाई किलोमीटर की बात कही तो हमारा प्रयास है कि नजदीक से नजदीक जगह पर मिट्टी का तेल मिल जाय।

श्री अहसान सिंह–

मान्यवर, शासनादेश के अनुसार पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय समितियों को लाइसेंस देने का अधिकार है, लेकिन मेरे फर्रुखाबाद जनपद में, मेरी जानकारी में है कि लाइसेंस जारी करने का अधिकार जिला समिति को न हो कर परगनाधिकारी को है, क्या माननीय मंत्री जी ऐसे आदेशों में एकरूपता लाने के आदेश देंगे?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, पूरे प्रदेश के लिये एक ही शासनादेश है और एक ही नीति है । फर्रुखाबाद की बात कही गयी, तो आप जानकारी दे दें, मैं उसकी सूचना मंगवा लूंगा ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कितनी दुकानें शिकायतों पर निरस्त कर दी गयी, और अब तक उन दुकानों पर कोई व्यवस्था नहीं की गयी ? जन प्रतिनिधियों की शिकायत पर जो दुकानें निरस्त कर दी गयी, उन दुकानों के संबंध में दबाव पड़ने पर पुनः लाइसेंस दे दिया जाता है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो लाइसेंस जन प्रतिनिधियों की शिकायतों पर निरस्त कर दिये गये, उन्हें पुनः न लाइसेंस देने की नीति शासन की है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो शासन की नीति है, वह तो मैं स्पष्ट कर ही चुका हूं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, तहसील स्तर पर इंस्पेक्टर रहते हैं और ए0 आर0 ओ0 जिला स्तर पर रहते हैं । तहसील स्तर पर जो दुकानें चलती हैं, उनमें उस इंस्पेक्टर का चेकिंग शिकायत आदि में कोई इफेक्टिव रोल नहीं रहता । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री यह व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे कि ए0 आर0 ओ0 का हेड क्वार्टर भी तहसील स्तर पर हो, ताकि समुचित नियंत्रण आदि रहे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अभी तो सप्लाई इंस्पेक्टर ही उतने हमारे पास नहीं हैं । मान्यवर, जो स्वीकृत पद हैं, उनको देखते हुए, यह मान्यवर, सम्भव नहीं है।

श्री किशन सिंह तड़ागी–

मान्यवर, खाद्य विभाग ने सस्ते गल्ले की दुकानों के आबंटन के संबंध में कुछ कैटिगरी बनायी है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि कुछ ऐसी भी व्यवस्था करेंगे जिसमें कि विधायक भी किसी की संस्तुति करें तो आप उसमें उनको लाइसेंस देने का कष्ट करें ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सम्मानित विधायकों की संस्तुति का आदर होना चाहिये । मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ऐसी बात मिलेगी, तो उसको विशेष रूप से दिखाया जायेगा ।

श्री कुशल पाल सिंह–

मान्यवर, सहकारी समितियों के द्वारा जो इस तरह की दुकाने चलायी जा रही हैं, उनमें बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है, सामान पूरी तरह से लोगों को वहां से मिलता नहीं । क्या ऐसे भी कोई निर्देश दिये गये हैं कि परगना मजिस्ट्रेट इन सहकारी समितियों की दुकानों की चेकिंग नहीं कर सकते, शिकायत नहीं कर सकते ? आगरा मण्डल के आयुक्त ने हमारे यहां इस तरह के निर्देश दिये हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, परगनाधिकारी को पूरा अधिकार है चेकिंग और निरीक्षण का ।

श्री कुशल पाल सिंह–

मान्यवर, आगरा मण्डल के आयुक्त ने यह निर्देश दिये हैं कि एस0 डी0 एम0 चेकिंग नहीं कर सकते, शिकायत नहीं कर सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न का तो जबाव दे ही दिया ।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, जिस क्षेत्र के लिए इस तरह की दुकानें खुलती हैं, उस क्षेत्र में वह दुकानें रहनी चाहिये । खासतौर से शहर में दुकानें हैं लेकिन गांवों में दुकानें नहीं पहुंच पाती हैं । क्या माननीय मंत्री जी इस तरह के कोई निर्देश भिजवायेंगे कि जो दुकान जिस न्याय पंचायत के अंतर्गत आबंटित है, अगर वह दुकान वहां स्थापित नहीं है कहीं अन्यत्र है तो उसे निरस्त कर दिया जाय ?

श्री हुकुम सिंह–

माननीय सदस्य जानकारी दें कि किस न्याय पंचायत के लिये कोई दुकान आबंटित थी, वह वहां नहीं है । माननीय सदस्य अगर इस संबंध में समुचित जानकारी देंगे, तो मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि अवश्य कार्यवाही की जायेगी ।

झांसी जिले की बेतवा नहर प्रणाली की नहरों में श्रेणी परिवर्तन

*2–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि झांसी जिले की बेतवा नहर प्रणाली की नहरों को श्रेणी 3 से श्रेणी 1 में कर दिया गया है जबकि उक्त नहरें श्रेणी 1 में आने वाली नहरों की परिभाषा पूर्ण नहीं करती और न ही वर्ष भर पानी खेतों को दे पाती हैं और कृषकों को सिंचाई अधिक देनी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या शासन उक्त नहर प्रणाली की नहरों को पुनः श्रेणी 3 में करने पर विचार करेगा या कृषकों को श्रेणी 1 की नहरों द्वारा दी जाने वाली सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)–

जी नहीं । बेतवा नहर प्रणाली की नहरों पर सिंचाई की दरें अनुसूची-दो के अंतर्गत लगाई जाती हैं । इन्हें अनुसूची-तीन से अनुसूची-एक के अंतर्गत नहीं किया गया है । अतः शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री के उत्तर के संदर्भ में, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि-बेतवा नहर प्रणाली की नहरों पर सिंचाई की दरें अनुसूची दो के अंतर्गत लगायी जाती हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि बेतवा नहर प्रणाली के अंतर्गत ही जो गुरसराय नहर है, वह भी अनुसूची-2 में है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अनुसूची-2 के अंतर्गत की नहरों से जो सिंचाई सुविधा मिलनी चाहिये वह सिंचाई सुविधा क्या बेतवा नहरों से और बेतवा नहर प्रणाली के अंतर्गत ही गुरसराय नहर से मिल रही है ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, गुरसराय नहर अनुसूची-2 के अंतर्गत आती है अनुसूची-2 की नहरों में जितना पानी उपलब्ध होता है, उसी के अनुरूप पूरी सिंचाई की जाती है ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । मैंने पूछा था कि अनुसूची-2 की नहरों से प्रतिवर्ष में कितना जल मिलना चाहिए ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मैंने पूर्व में ही निवेदन किया कि अनुसूची–2 की नहरों में जितना जल उपलब्ध होता है, उससे पूरी सिंचाई की जाती है । बेतवा का जहां तक प्रश्न है, यह एक अन्तर्राज्यीय मामला है, जितना पानी हमें मिलता है, उसकी पूर्ण आपूर्ति हम करते हैं ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैंने सीधा सा सवाल पूछा था कि अनुसूची-2 में प्रतिवर्ष कितना पानी उपलब्ध होना चाहिए ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, इसकी सूचना की आवश्यकता पड़ेगी । सूचना मंगाकर माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दिया जायेगा । वैसे मूल प्रश्न यह था कि क्या अनुसूची-2 की नहरें क्या अनुसूची-1 में परिवर्तित कर दी गई हैं, इसके लिए मैंने उत्तर दिया "जी नहीं" ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि अनुसूची-1 अनुसूची-2 व अनुसूची-3 की नहरों के मानक क्या हैं ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मानकों के संबंध में सूचना मंगाकर उपलब्ध करा दी जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि अनुसूची को परिवर्तित करना सम्भव नहीं है । इसलिए माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आप अनुसूची को परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, अनुसूची परिवर्तित करने के लिए मना नहीं किया है । यह सवाल उठाया गया था कि क्या अनुसूची-2 की नहरों को अनुसूची-1 में परिवर्तित किया गया है । इस पर मैंने कहा था कि "जी नहीं" । इसके आधार क्या हैं, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, होता यह है कि जिस अनुसूची का पानी होता है, उसी हिसाब से पानी की दर तय की जाती है, पानी किसानों को मिल नहीं रहा है, जिससे किसानों का भला नहीं हो पा रहा है । माननीय मंत्री जी के पास उत्तर भी नहीं है । इसलिए आपसे प्रार्थना है कि जब माननीय मंत्री जी के पास सम्यक उत्तर आ जाय, तब आप इस पर चर्चा करवा दें फिलहाल इस प्रश्न को आप स्थगित रखने की कृपा करें?

श्री उपाध्यक्ष–

यह प्रश्न स्थगित किया जाता है ।

प्रदेश के शुष्क कृषि क्षेत्रों को सिंचित बनाने की नीति

*3–श्री बदन सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के शुष्क कृषि क्षेत्रों को सिंचित बनाने के लिए उसकी क्या नीति है और जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी ब्लाक के राजस्थान सीमा से जुड़े शुष्क कृषि क्षेत्र (न्याय पंचायत मंडी मिर्जाखां, रसूलपुर और नयाबास) को सिंचित बनाने के लिए उस नीति पर अमल न करने का क्या कारण है ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

जल उपलब्धता के आधार पर योजना का तकनीकी व वित्तीय दृष्टिकोण से व्यवहारिक होने पर अधिक से अधिक शुष्क क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की नीति है ।

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी ब्लाक के राजस्थान सीमा से जुड़े हुये ग्राम मंडी मिर्जा खां, रसूलपुर के शुष्क कृषि क्षेत्र हेतु न तो नहरी जल उपलब्ध हो सकता है और न अन्य कोई योजना व्यवहारिक है । अतः नीति पर अमल न करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्राम नया बास फतेहपुर सीकरी शाखा के कमाण्ड में है और इस ग्राम को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने अपने उत्तर के दूसरे पैरा में कहा है कि जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी ब्लाक के राजस्थान सीमा से जुड़े हुये ग्राम मंडी मिर्जा खां, रसूलपुर के शुष्क कृषि क्षेत्र हेतु न तो नहरी जल उपलब्ध हो सकता है और न अन्य कोई योजना व्यावहारिक है । मंत्री जी के इस उत्तर के संदर्भ में पूछना चाहता हूं कि यह शासन ने कैसे जान लिया कि कोई नहरी जल उपलब्ध नहीं है और न कोई अन्य योजना व्यावहारिक है ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

इसका सर्वेक्षण कराया था, उसके आधार पर कह रहा हूं । जो अनुसंधान और नियोजन खण्ड है, उससे सर्वेक्षण कराने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि नहरी क्षेत्र के लिये जल उपलब्ध नहीं है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

आपने जो दो क्षेत्र गिनाये, मंडी मिर्जा खां और रसूलपुर, इन दोनों के बारे में अपने उत्तर में बताया कि इनका सर्वेक्षण करा लिया गया है, वहां कोई सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा सकती, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इस शुष्क क्षेत्र को सिंचित करने के लिये नहर चलाने की कोई योजना बनायी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

इसकी कोई योजना नहीं बनायी है, परीक्षण कराया गया था, वहां पानी उपलब्ध नहीं है, इसलिये योजना नहीं बनायी है ।

श्री बदन सिंह–

माननीय मंत्री जी ने जो सूचना दी है कि सर्वेक्षण कराया है, नहरी जल की उपलब्धता नहीं है, यह असत्य उत्तर है, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब मण्डी मिर्जा खां न्याय पंचायत के ग्राम औलेंडा के मजरा नगला जग्गे में राजकीय नलकूप नं0 7 किरावली का छिद्रण सफल हो गया है और वह पानी दे रहा है तथा रसूलपुर न्याय पंचायत के ग्राम कराही और गिलोय में कोई राजकीय नलकूप सफल होकर सिंचाई कर रहे हैं, तो फिर मण्डी मिर्जा खां के ग्राम भीपुर, जेताना, मंगोली कलां, मंगोली खुर्द आदि गांवों में तथा रसूलपुर न्याय पंचायत के ग्राम रसूलपुर, सीकरी हिस्सा-4 में राजकीय नलकूप न लगवाने का क्या कारण है ? क्या इन ग्रामों में भी राजकीय नलकूप लगवायेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

इस क्षेत्र में खारे पानी के नलकूप निकले हैं, इसलिये व्यावहारिक नहीं होगा कि खारे पानी के नलकूप लगवाये जायं ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, वे मीठे पानी के नलकूप हैं, माननीय मंत्री जी का उत्तर असत्य है । जहानपुर और तेहरा रावत आदि गांवों की सिंचाई के लिये फतेहपुर सीकरी राजबहा के कुलाबा नं0 91 के पास 8 क्यूसेक की माइनर फरवरी, 1980 में स्वीकृत हुई थी, उसे क्यों नहीं खुदवाया गया है ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

इसकी सूचना इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है । आप कह रहे हैं तो दिखवा लूंगा ।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या-7 पुकारे जाने पर घोर व्यवधान)
(श्री रघुवर दयाल वर्मा के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

अच्छा वर्मा जी, आप एक सवाल पूछ लीजिये।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आगरा कैनाल के माडर्नाइजेशन के बाद क्या न्याय पंचायत मण्डी मिर्जाखां तथा रसूलपुर जो दोनों क्षेत्र राजस्थान की सीमा से जुड़े हुए हैं और शुष्क कृषि क्षेत्र हैं तो वहां के लोगों के जीवन स्तर के लिए तथा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, उन नहरों को वहां तक भेजने के लिये क्या कोई योजना बनायी है? यदि नहीं, तो क्या ऐसी कोई योजना बनाने पर विचार करेंगे? और जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि वहां पर नलकूप चल रहे हैं और उनका पानी खारा नहीं है, तो आपको जिन लोगों ने गलत सूचना दी है क्या उनके विरुद्ध आप कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, जो टेहरी प्रोजेक्ट बन रहा है, जब वह बन जायेगा तो हम जो नयी योजना चालू करने जा रहे हैं उससे इस क्षेत्र को भी यथा सम्भव पानी देने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात कि यदि वहां पर नलकूप चल रहे हैं और उनमें खारा

पानी नहीं है तो जिसने हमें गलत सूचना दी है उसके खिलाफ हम कार्यवाही जरूर करेंगे। (श्री बदन सिंह द्वारा प्रश्न पूछे जाने के प्रयास पर)

श्री उपाध्यक्ष–

उन्होंने जवाब तो दे दिया कि दोषी व्यक्ति के खिलाफ वे कार्यवाही करेंगे।

श्री बदन सिंह–

मुझे एक सवाल और पूछने का मौका आप दे दीजिये माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि ग्राम नया बास फतेहपुर सीकरी शाखा के कमाण्ड में है। जबकि मेरा सवाल साफ था कि तीन न्याय पंचायत क्षेत्र को सिंचित बनाने के लिये उस नीति पर अमल न करने का क्या कारण है? तो इन्होंने उत्तर दे दिया कि फतेहपुर सीकरी कमाण्ड शाखा में है जिसमें गोखरा, खानपुर, निठारी, बसेरा, डंगल के लिये एक बूंद पानी की भी व्यवस्था नहीं है। मडौली माईनर की टेल को जोड़ कर क्या यहां के लिये आप पानी की व्यवस्था करायेंगे?

श्री भोला शंकर मौर्य–

हम पूरे मामले का परीक्षण दुबारा करा लेंगे।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

यह जो शुष्क सिंचाई क्षेत्र का सवाल है और सिंचाई की नीति है कि नहरों से और ट्यूबवेल से पानी देंगे, लेकिन जहां न नहर है और न ट्यूबवेल है तो वहां के लिये केवल लिफ्ट सिंचाई का ही रास्ता बचता है लेकिन इसके लिये प्रतिबन्ध यह है कि 25 क्यूसेक से कम पानी के लिये नहर नहीं बनायेंगे। ऐसे स्थानों पर जहां नलकूप उपलब्ध नहीं हैं वहां के लिये आप 25 क्यूसेक पानी वाला प्रतिबंध समाप्त करने पर विचार करेंगे? क्योंकि बुन्देलखण्ड भी शुष्क सिंचाई के क्षेत्र में आता है।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, बुन्देलखण्ड के लिये यह प्रश्न था ही नहीं।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मैं सिंचाई के बारे में, लिफ्ट सिंचाई योजना के बारे में आपसे जानकारी चाहता हूं।

(श्री बदन सिंह द्वारा प्रश्न पूछे जाने का प्रयास पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मा0 बदन सिंह जी, मैं अब आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मेरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्री उपाध्यक्ष–

महत्वपूर्ण था तो पहले पूछ लेते। अब आप बैठिये।

*4–श्री सरदार सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*5–श्री हर्ष वर्धन–

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

*6—श्री हृदय नारायन दीक्षित—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

पी0 सी0 डी0 एफ0 लखनऊ में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितता

*7—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या पशुधन एवं दुग्धशाला विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0 सी0 डी0 एफ0 लखनऊ में दिनांक 8-7-86 तक तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती हेतु साक्षात्कार के लिए जो चयन समिति गठित की गयी थी उसके कौन-कौन अधिकारी सदस्य थे ? क्या यह सत्य है कि साक्षात्कार में सामान्य प्रबन्धक (प्रशासन) (श्री एल0 एम0 पंत) ने भी शामिल होकर अभ्यार्थियों से प्रश्न पूछा जबकि यह चयन समिति के सदस्य नहीं थे ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस अनियमितता की जांच कराकर अनियमित चयन सूची को निरस्त करके पुन: चयन कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—

प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि0, लखनऊ में दिनांक 8—7—86 से 11-7-1986 तक तृतीय श्रेणी में कर्मचारियों की भर्ती के लिए निम्नलिखित चयन समितियां गठित की गयी थीं—

(क) दिनांक 8—7—1986 के लिए

सर्वश्री—

1—वी0के0 शर्मा, मुख्य सामान्य प्रबन्धक ।	प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डीएफ0 द्वारा नामित ।	अध्यक्ष
2—राम जनम सिंह, दुग्धशाला विकास अधिकारी ।	दुग्ध आयुक्त द्वारा नामित	सदस्य
3—गोविन्द जी सहाय, (सिविल इंजीनियरिंग) ।	दुग्ध आयुक्त द्वारा नामित	सदस्य सचिव
4—एस0के0 भटटाचार्य, (सिविल इंजीनियरिंग) ।	विषय वस्तु विशेषज्ञ	सहयोगी सदस्य (कोआपटेड मेम्बर)

(ख) दिनांक 9—7—1986 के लिए

सर्वश्री —

1—वी0 के0 शर्मा, मुख्य सामान्य प्रबन्धक ।	प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0 द्वारा नामित ।	अध्यक्ष
2—राम जनम सिंह, दुग्धशाला विकास अधिकारी ।	दुग्ध आयुक्त द्वारा नामित	सदस्य
3—श्री ओ0पी0 सिंह, प्रबन्धक इंजीनियरिंग ।	दुग्ध आयुक्त द्वारा नामित	सदस्य सचिव
4—देवेन्द्र स्वरूप, (प्रबन्धक इजीनियरिंग) ।	विषय वस्तु विशेषज्ञ	सहयोगी सदस्य (कोआपटेड मेम्बर)

(ग) दिनांक 10—7—1987 के लिए

सर्वश्री—

1—देवेन्द्र स्वरूप प्रबन्धक इजीनियरिंग	प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0 एफ0 द्वारा नामित ।	अध्यक्ष

2—राम जनम सिंह, दुग्धशाला विकास अधिकारी	दुग्ध आयुक्त द्वारा नामित	सदस्य
3—ओ0 पी0 सिंह, प्रबन्धक इजीनियरिंग	दुग्ध आयुक्त द्वारा नामित	सदस्य सचिव

(घ) दिनांक 11-7-1986 के लिए

सर्वश्री—

1—देवेन्द्र स्वरूप, प्रबन्धक (इजीनियरिंग)	प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0 एफ0 द्वारा नामित	अध्यक्ष
2—राम जनम सिंह, दुग्धशाला विकास अधिकारी	दुग्ध आयुक्त द्वारा नामित	सदस्य
3—ओ0पी0 सिंह, प्रबन्धक (इजीनियरिंग)	दुग्ध आयुक्त द्वारा नामित	सदस्य सचिव

सामान्य प्रबन्धक (प्रशासन) श्री एल0एम0 पन्त साक्षात्कार के समय चयन समिति के सहायता हेतु उपस्थित अवश्य रहे परन्तु उन्होंने केवल अभ्यर्थियों के बायोडाटा व अर्हता शैक्षिक योग्यता आदि के बारे में ही जानकारी दी और आवश्यकतानुसार अभ्यर्थियों से भी इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की। यह सही नहीं है कि उन्होंने साक्षात्कार में कोई भूमिका अदा की।

चयन में कोई अनियमितता नहीं बरती गयी अतएव चयन निरस्त करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

चयन में कोई अनियमितता नहीं बरती गयी अतएव चयन निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बड़ी सफाई से प्रश्न का उत्तर दिया है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि साक्षात्कार के पहले ही श्री एल0एम0 पंत का स्थानान्तरण हो गया था और कार्य भार नहीं दिया था। क्या चयन समिति गठित करते समय यह आदेश दिये गये थे कि श्री पंत कमेटी के सदस्यों के सहायतार्थ बैठेंगे और उनके अलावा और कोई अधिकारी नहीं बैठेगा, तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि वह प्रश्न कर रहे थे, तो कमेटी के सदस्य न होने के बाद भी वह अभ्यर्थियों से क्यों प्रश्न कर रहे थे और जो वह इस प्रकार से प्रश्न कर रहे थे, उससे यह नहीं माना जायेगा कि उन्होंने चयन समिति में भाग लिया है। मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दिलवा दें?

श्री हुकुम सिंह—

माननीय सदस्य ने जो जिज्ञासा जाहिर की है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि चयन समिति का सदस्य होना दूसरी बात है और उनकी सहायता करना दूसरी बात है। जो चयन समिति के सदस्य होते हैं, वह तय कर देते हैं और अपनी रुचि के अनुसार था, यह जानकारी करने के लिए कि यदि कोई सदस्य जानकारी चाहता है कि अभ्यर्थी था, यह जानकारी करने के लिये कि यदि कोई सदस्य जानकारी चाहता है कि अभ्यर्थी कहां का रहने वाला है, उसकी योग्यता क्या है, तो इन सारी चीजों की जानकारी देने के लिये उनको वहां पर रहना आवश्यक था। मान्यवर, श्री पन्त द्वारा कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं किया गया।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या मा0 मंत्री जी यह बतायेंगे कि श्री एल0 एम0 पन्त का साक्षात्कार के पहले स्थानान्तरण हो गया था, परन्तु उन्होंने जानबूझकर अपना चार्ज नहीं दिया था?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो मूल प्रश्न है, माननीय सदस्य का, वह दूसरा है। स्थानान्तरण का होना, उसका रुकना आदि सभी बातें प्रशासनिक हैं, उनका कोई सम्बन्ध चयन समिति द्वारा साक्षात्कार होने से नहीं है। कितनी बार ट्रांसफर हुआ और कितनी बार रुका यह सब इससे क्या सम्बन्ध रखता है?

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बड़े हल्केपन से जवाब दे दिया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उनका तबादला कब हुआ? क्या तबादला होने के बाद नैतिकता के आधार पर उनको चयन समिति में सम्मिलित होना चाहिये था, क्या उनको वहां पर नहीं जाना चाहिए था? इस बात को आप मानेंगे या नहीं? दूसरी बात यह है कि जिस अधिकारी का 1-2 दिन पहले तबादला हो चुका हो वह चयन में दखलन्दाजी करे यह कहां तक उचित है? तीसरी बात यह है कि किसी भी अधिकारी को चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो चयन समिति का सदस्य न होने के नाते उसे अंक देने का अधिकार है? मान्यवर, जब वहां का सबसे बड़ा अधिकारी अभ्यर्थियों का बायो-डेटा देने के लिए मौजूद है चयन समिति के सदस्यों के पास सबका बायो-डेटा होता है और उसमें यदि कोई कमी रह जाती है तो साक्षात्कार देने वाले से पूछ लिया जाता है तो उनको वहां पर रखने की क्या आवश्यकता थी?

श्री उपाध्यक्ष–

आप सवाल करें। इसका तो वे जवाब दे चुके हैं।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, तीन सवाल मैंने पूछे। जब उनका तबादला हो गया था तो उनको साक्षात्कार में नहीं जाना चाहिए था। दूसरा यह कि जो व्यक्ति चयन समिति का मेम्बर नहीं है उसको नम्बर देने का अधिकार है और तीसरा यह कि बायो-डेटा उनके पास रखने का क्या औचित्य है?

श्री उपाध्यक्ष–

इन तीनों प्रश्नों का उन्होंने जवाब दे दिया। दिवाकर विक्रम सिंह के सवाल पर उन्होंने बता दिया।

श्री किरन पाल सिंह–

कहां बता दिया? फिर बता दें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जितनी बार आपके आदेश होंगे, उतनी बार मैं जवाब दे दूंगा। वैसे आपने ठीक ही कहा कि मैं इसका जवाब दे चुका हूं। मान्यवर, विद्वान प्रोफेसर माननीय किरन पाल सिंह जी ने बड़ा विद्वतापूर्ण प्रश्न किया। उन्होंने नैतिकता की बात भी कही कि जिस व्यक्ति का तबादला हो गया हो उसको चयन समिति में क्यों भेजा। मान्यवर, वह चयन समिति के सदस्य नहीं थे और सर्वोच्च अधिकारी भी नहीं थे। यह काल्पनिक बात है कि एक दिन पहले उनका तबादला हो गया था। इसकी मुझे जानकारी नहीं है। उस

समय तक उन्होंने चार्ज नहीं दिया था। वह सामान्य प्रबन्धक के पद पर कार्य कर रहे थे और उसी नाते वहां पर गये थे।

श्री मैनेजर सिंह–

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने कहा कि चयन समिति के सदस्यों की सहायता के लिये पंत जी बैठे थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो चयन समिति के तीन सदस्य थे वे गूंगे थे, बहरे थे जो वह सवाल पूछकर उनको बता रहे थे? क्या आप इस बात पर विचार करेंगे कि पंत जी जब विधिवत् रूप से चयन समिति के मेम्बर नहीं थे तो वे अभ्यर्थियों को पहले से ही यह बता दिये हों कि मैं यह सवाल पूछूंगा? इस बात पर आप पुनर्विचार करेंगे?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह सारा प्रकरण बड़ी गम्भीरता से देखा गया और जो जिज्ञासा माननीय सदस्यों ने उठाई मेरे मन में भी वही बातें आई थीं। उन सबको देखने के बाद जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई उसके अनुसार उन्होंने कोई भूमिका चयन में अदा नहीं की। एक सामान्य प्रबन्धक होने के नाते, चूंकि सारी रिपोर्ट उनके पास होती है, उनकी सहायता करने के लिये वे उसमें बैठे। मान्यवर, जब भी बोर्ड कोई बनता है, माननीय किरनपाल सिंह जी को लोक सेवा आयोग में आने का मौका मिला होगा कि जब बोर्ड बैठता है तो वे तकनीकी विषयों के ऊपर नहीं पूछते हैं जिससे अधिकारियों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या यह सही है कि इस चयन के बारे में जो अनियमितताएं बरती गई थीं एक पत्र मैंने माननीय मंत्री जी को जुलाई के आखिर में या अगस्त के शुरू में दिया था जिस पर उन्होंने यह आदेश दिया था उप दुग्धायुक्त को कि इस सम्बन्ध में नियुक्ति पत्र जारी न किये जांय? क्या इस पत्र की जांच करायी गई थी या नहीं? यदि करायी गई थी तो उसकी जांच आख्या क्या है और किस माध्यम से जांच करायी गई?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस पत्र का कोई हवाला प्रश्न में नहीं था इसलिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री अमिताभ अनिल ध्रुव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोई भी व्यक्ति जो चयन समिति का सदस्य न हो वह इण्टरव्यू में सवाल कर सकता है?

श्री उपाध्यक्ष–

उसका वह जवाब दे चुके हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद झा–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के लचर उत्तर के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि आप हमें संरक्षण दें। मैं आपसे ही पूछता हूं कि क्या आप उनके उत्तर से संतुष्ट हैं?

श्री उपाध्यक्ष–

जवाब उनको देना है सवाल आपका है उससे आपको संतुष्ट होना है उसमें मुझसे क्या करना है?

श्री जनार्दन प्रसाद झा–

वह जवाब कंविनसिंग है या नहीं यह देखें। यह मामला गंभीर है, यह आश्चर्य की बात है कि माननीय सदस्य बस्ती ने अनियमितता के सम्बन्ध में आपको पत्र दिया था उसकी आपने जांच कराई होगी।

श्री उपाध्यक्ष–

आप सवाल करें।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

उसकी जांच रिपोर्ट आई होगी, यह साफ है कि वहां पर कुछ न कुछ गड़बड़ी है तो इस बात को देखते हुये कि वहां संदेह की गुंजाइश है तो इस चुनाव को निरस्त करके पुन: चुनाव कराने का आदेश देंगे?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, लगभग ऐसा ही प्रश्न माननीय सदस्य मैनेजर सिंह जी ने किया, मैंने उसमें कहा था कि जो जिज्ञासा माननीय सदस्यों की है वही मुझे भी हुई थी और लगा था कि जो व्यक्ति उसका सदस्य न हो उसको इण्टरव्यू के समय क्यों बैठने दिया गया तो उसका क्या रोल था? मैंने सारे प्रकरण को देखा तो इनका रोल केवल जानकारी देना था चयन समिति के सदस्यों को, जहां कहीं जानकारी की कमी थी उतनी जानकारी प्राप्त की गयी उससे अधिक उनका कोई रोल नहीं रहा। इससे आगे अनियमितता की बात रह नहीं जाती है। मैं मान्यवर, माननीय सदस्यों के प्रति समर्पित हूं यदि कोई बात आज के प्रश्न के बाद भी ऐसी आती है और कोई माननीय सदस्य प्रश्न देते हैं उसका पूरा परीक्षण करूंगा, जांच करा लूंगा यह हमारा कर्तव्य है।

श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उसमें कितने अभ्यर्थी अनुसूचित जाति के, कितने जनजाति के और कितने पिछड़ी जाति के हैं और कितने अन्य जाति के हैं?

श्री उपाध्यक्ष–

यह तो प्रश्न में नहीं है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जितनी जानकारी मेरे पास है उतनी जानकारी दे दूंगा।

इसमें चार प्रकार के पद थे जिनके बारे में साक्षात्कार था पहला जूनियर इंजीनियर सिविल–इसमें 60 अभ्यर्थी बुलाये गये और 28 का पैनल बनाया गया, 24 की नियुक्ति अभी तक की जा चुकी है। दूसरा जूनियर इंजीनियर इलैक्ट्रिकल, मैकेनिकल–64 अभ्यर्थी बुलाये गये 25 का पैनल बनाया गया 19 नियुक्त हुये हैं फिर मैकेनिकल फिटर–53 बुलाये गये 17 का पैनल रखा गया और 12 नियुक्त हुये हैं, जूनियर इलैक्ट्रीशियन–77 अभ्यर्थी बुलाये गये 30 का पैनल बनाया गया और 15 की नियुक्ति अभी तक हुई है। दूसरी जो जानकारी उन्होंने पिछड़ी जाति के कितने थे, अनुसूचित जाति के कितने थे, वह प्रश्न में नहीं था उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री सुखपाल पाण्डे–

अखबारों में प्रकाशित किया होगा और उसमें आरक्षण का कोटा निर्धारित किया होगा, कितना कोटा था?

श्री उपाध्यक्ष–

यह सवाल में नहीं पूछा गया है।

श्री सुखपाल पाण्डे–

इसको चर्चा के लिये मान्यवर, स्वीकार कर लें।

श्री उपाध्यक्ष–

जब पूछा ही नहीं गया है तो जवाब कैसे देंगे?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, इस चयन के बारे में घोर अनियमिततायें मंत्री जी के संज्ञान में लाये थे लेकिन मंत्री जी ने अभी उत्तर दिया कि सूचना की आवश्यकता है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी वह सूचना एकत्र करके सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो अनियमितता माननीय सदस्य ने प्रश्न के माध्यम से जानकारी दी है यदि उनके अतिरिक्त कोई और अनियमितता हुई है तो उसकी जानकारी दे दें हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे।

*8–श्री अकबर हुसैन बाबर–

[दि0 1-7-87 को अता0प्र0सं0 26 द्वारा उत्तरित]

बिहार के बक्सर कोइलर बांध निर्माण से बलिया के गांवों में बाढ़

*9–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय (अनुपस्थित)–

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार के बक्सर कोइलर बांध बन जाने से उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के सैकड़ों गांव के लाखों लोग इस वर्ष डूबने की स्थिति में आ गये हैं? यदि हां, तो सरकार उनको बचाने के लिए क्या कार्यवाही करने जा रही है?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

प्रभावित ग्राम नदी के भ्रमण क्षेत्र में बक्सर कोइलर बांध (बिहार) तथा बलिया बेरिया व बैरया संसार टोला (उत्तर प्रदेश) के बीच स्थित है। नदी के भ्रमण क्षेत्रों में बसे ग्रामों की सुरक्षा प्रदान करना तकनीकी दृष्टि से एवं शासन की नीति के अनुसार संभव नहीं है।

विश्व बैंक स्कीम के अन्तर्गत सिंचाई हेतु डाली गयी अन्डरग्राउण्ड पाइप की सुरक्षा

*10–श्री अफजाल अंसारी (अनुपस्थित)–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व बैंक की स्कीम के द्वारा जो नलकूप लगाए गए हैं या लगाए जा रहे हैं उनमें सिंचाई हेतु जो अन्डरग्राउण्ड पाइप लाइनें बिछाई गयी हैं या बिछाई जानी हैं उसके लिए क्या जिस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाई गयी है या बिछेगी उसे सरकार द्वारा एक्वायर करने का प्राविधान है? यदि नहीं तो पाइप लाइन की सुरक्षा की क्या व्यवस्था है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

पब्लिक नलकूपों पर जो पाइप लाइन बिछाई जाती है वह भूतल से लगभग 0.8 मीटर नीचे होती है जिसकी सुरक्षा के लिये नलकूप पर कार्यरत अंशकालिक कूप चालक उत्तरदायी होता है।

*11—श्री मित्रसेन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

मेसर्स यंग इंडिया फिल्म्स नई दिल्ली को ब्लैक लिस्ट करने का औचित्य

*12—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन तथा समाज कल्याण निदेशक द्वारा पत्र संख्या 6116-17 दिनांक 20-3-85 को उद्योग निदेशक, कानपुर को लिखा गया इस आशय का कोई पत्र कि मेसर्स यंग इंडिया फिल्म्स, नई दिल्ली को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाय, प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर उद्योग निदेशक द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री निसार अहमद अंसारी)—

जी हां ।

मामले के परीक्षण उपरान्त सन्दर्भित फर्म को नियमों के अन्तर्गत विधिक आधार पर ब्लैक लिस्ट करने का औचित्य नहीं पाया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, दो विभागों के विवाद में एक भ्रष्टाचार के बड़े गम्भीर मामले को दबाने का प्रयास किया गया । मेरा मूल प्रश्न था कि क्या हरिजन तथा समाज कल्याण निदेशक ने पत्र उद्योग निदेशक को इस आशय का लिखा था कि मेसर्स यंग इंडिया फिल्म्स, नई दिल्ली को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाये । चूंकि नियमों के अनुसार उद्योग निदेशक के यहां से फर्म का पंजीकरण होता है, लाइसेंस दिया जाता है कि विभाग में काम करें और फर्म ने हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशक के अधीन काम किया है और हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग ने भ्रष्टाचार के आरोप सही पाये, इसलिये उन्होंने उद्योग निदेशक, कानपुर को लिखा कि फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाये, किन्तु उद्योग निदेशक ने कहा कि इसका औचित्य नहीं है । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के निदेशक ने वह कौन-कौन आरोप लगाये थे और क्या संस्तुति किया था जिसके आधार पर कहा कि ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाये ।

श्री निसार अहमद अंसारी—

मान्यवर, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग ने 20-3-85 को उद्योग विभाग को पत्र लिखा जिसमें खास बातें यह थीं-(1) मेसर्स यंग इंडिया फर्म को प्रोजेक्टर सप्लाई करने के आदेश दिये गये हैं, (2) फर्म द्वारा 89,512 रुपये के जनरेटर और फीचर व डाकूमेंटरी फिल्म सप्लाई नहीं की गयीं और मजबूर होकर रुपये सरकारी खजाने में जमा करना पड़ा,

(3) इसलिये फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाये ।

इस संबंध में मेरा निवेदन है कि इस प्रोजेक्टर के सप्लाई करने के बारे में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग ने लिखा था और जिस उद्योग विभाग के पत्र का हवाला दिया गया है वह एक स्वीकृति पत्र था, दर अनुबन्ध नहीं था, परचेज में दर अनुबंध होता है और स्वीकृति पत्र होता है । स्वीकृति पत्र केवल मात्र अनुबंध होता है तो यह प्रोजेक्टर सप्लाई करने के लिये यंग इंडिया फर्म से जो उद्योग विभाग के बीच एग्रीमेंट हुआ है उसमें इस रेट पर केवल दो फर्मों को डाइरेक्टर, इंफर्मेशन और डाइरेक्टर,

कालागढ़ परियोजना को अपनी मांग दिया था । उद्योग विभाग को कालागढ़ परियोजना से एक और सूचना विभाग से 8 प्रोजेक्टर की मांग थी । इसी के लिये एक स्वीकृति पत्र इस फर्म के लिए जारी किया गया था कि 9 प्रोजेक्टर सप्लाई करें। इस फर्म ने इन दोनों विभागों को इस स्वीकृति पत्र के अनुसार पूरा माल सप्लाई किया। बीच में जो हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग आया तो उन्होंने सीधे इस फर्म को आर्डर प्लेस किया। तो मान्यवर, वह उनके आपस का, बीच का मामला है। इसमें उद्योग विभाग कहीं बीच में नहीं आता है । यदि उद्योग विभाग के माध्यम से वह यह खरीदारी करना चाहता था और उद्योग विभाग से मांग करता तो यह विभाग अवश्य स्वीकृति पत्र जारी करता और यदि उसके अनुसार वह माल जारी न करता तो नियमानुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही हो सकती थी और ब्लैक-लिस्टेड भी हो सकता था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि कोई विभाग सामान उस विभाग से खरीदेगा, जिसको उद्योग विभाग से पंजीकृत किया गया है और स्वीकृति प्रदान की गई है? यदि हां, तो हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग ने 1 लाख रुपये का माल खरीदने के लिए जो सहमति प्रदान की और उस फर्म ने माल सप्लाई नहीं किया, जिससे उसे 1 लाख रुपया सरेन्डर करना पड़ा तो जब अपराध सिद्ध हो गया और इसके लिए निदेशक समाज कल्याण विभाग ने लिखा कि इस फर्म ने गलत काम किया और समय से नहीं किया, इसलिए फर्म को निरस्त कर दें तो इसमें कौन सा कारण बनता है उसके बाद भी उक्त फर्म को निरस्त न करने का ?

श्री निसार अहमद अंसारी—

इस प्रोजेक्टर्स की सप्लाई के सम्बन्ध में, केवल 9 प्रोजेक्टर सप्लाई के लिए उस फर्म से अनुबन्ध था । हरिजन समाज कल्याण विभाग की कोई उसमें मांग नहीं थी, केवल सूचना विभाग के लिए 8 और कालागढ़ प्रोजेक्ट के लिए 1 की मांग थी। इसमें एक शक यहां पैदा हो रहा है कि जो स्वीकृति-पत्र जारी किया गया है, यह सारे विभागों के लिए है, जबकि ऐसी बात नहीं है। यह तो मात्र 9 प्रोजेक्टर्स के लिए मात्रा अनुबन्ध है । जिसके अनुसार उन दो विभागों की मांगानुसार उसने कायदे से प्रोजेक्टर्स सप्लाई कर दिए। अब इसमें फर्म को ब्लैक लिस्टेड करने का सवाल कहां से पैदा होता है, उसे बैल्क लिस्ट करने का कोई सवाल नहीं उठता है। यदि वह उद्योग विभाग से मांगे होते तो ऐसी दशा में यकीनन वह ब्लैक लिस्टेड किये जा सकते थे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

तो क्या इस तरह की कोई व्यवस्था शासन में है कि उद्योग विभाग से पंजीकृत जितनी भी फर्में हैं, उनसे कोई विभाग माल खरीदना चाहे तो सीधे न खरीदकर उद्योग विभाग के माध्यम से ही खरीदेगा ? तब तो अपराध नहीं बनता, किन्तु यदि वैसा नहीं है तो हरिजन व समाज कल्याण विभाग का अपराध क्या था और फिर इस फर्म के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री निसार अहमद अंसारी—

जब दर अनुबन्ध हो जाता है, तो . . . (व्यवधान) देखिये दो चीजें इसमें मिला दी जा रही हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरा सवाल पहले ठीक से समझ लें, क्या इस तरह की शासन में व्यवस्था है कि उद्योग विभाग से जितनी भी पंजीकृत फर्में हैं, उनसे सामान खरीदते समय उद्योग विभाग के माध्यम से अनुबन्ध किया जाएगा या सीधे किया जा सकता है। यदि सीधे किया जा सकता है तो हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग का दोष क्या है ?

श्री निसार अहमद अंसारी—

जब उद्योग विभाग से किसी विभाग का दर अनुबंध हो जाएगा तो वह इस किस्म का होना कि इस दर पर इस अवधि के बीच ऐसा-ऐसा माल आप सप्लाई करोगे। यह दर अनुबन्ध कहा जाएगा। यह हो जाएगा तो कोई भी विभाग आर्डर प्लेस करेगा तो उसको उस दर पर और उस समय में माल सप्लाई करना होगा। किन्तु जो प्रश्न है यह दर अनुबन्ध का नहीं, यह स्वीकृति पत्र है जो केवल 9 के लिए जारी हुआ था। यह खास बात है, इससे माननीय सदस्य के मन में भ्रम पैदा हो रहा है। वह स्वीकृति-पत्र था कि वह 9 सप्लाई करे और उसने वह कर दिया और समय से कर दिया तो उसके खिलाफ कोई ऐसा चार्ज नहीं बनता कि उसे ब्लैक लिस्टेड किया जाए।

श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि कोई विभाग किसी फर्म को ब्लैक लिस्ट करने के लिए संस्तुति कर दे तो क्या दूसरा विभाग अपने यहां उसकी संस्तुति को न मान करके उसको रजिस्टर्ड कर लेगा ? क्या ऐसा कोई नियम है ?

श्री निसार अहमद अंसारी—

यदि कोई विभाग किसी फर्म के बारे में लिखता है कि फर्म ने यह-यह गड़बड़ी की है, तो कार्यवाही होती है। इस मामले में कोई दोषी नहीं पाया गया इसलिए कार्यवाही नहीं की गई।

उ0 प्र0 खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम द्वारा जिला प्रबंधकों का चयन

*13—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम द्वारा जिला प्रबंधक पद के चयन हेतु अभ्यर्थियों को 6, 7, 8 मार्च को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था ? यदि हां, तो साक्षात्कार को बीच में स्थगित करने का कारण क्या था और इन पदों पर अब तक नियुक्ति न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री हुकुम सिंह—

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम द्वारा जिला प्रबन्धक के पद के चयन हेतु अभ्यर्थियों को वस्तुतः दिनांक 5, 6 तथा 7 मार्च, 1986 को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था। उक्त साक्षात्कार बीच में ही इस कारणवश स्थगित कर देना पड़ा क्योंकि उस समय उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के कर्मचारियों की सेवा नियमावली को अंतिम स्वरूप प्रदान नहीं किया जा सका था। चयन प्रक्रिया अपूर्ण होने के कारण कोई नियुक्ति किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी हमारी पार्टी के बड़े सदस्य रहे हैं यह सवालों का जवाब बड़ी चतुरतापूर्वक देते हैं जिससे सही उत्तर नहीं आ पाता है मैं आपका संरक्षण

चाहता हूं मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि 5-6-7 मार्च, 1986 को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था । मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि 5-6 तारीख को साक्षात्कार हुआ और उसको 7 तारीख को स्थगित कर दिया गया, इसका कारण बताया गया है कि सेवा नियमावली नहीं थी । जब आवश्यक वस्तु सेवा निगम की नियमावली नहीं थी तो साक्षात्कार करने का क्या औचित्य था ? इसमें कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और इसका शुल्क क्या था ?

श्री हुकुम सिंह—

यह सही नहीं है कि 7 तारीख को साक्षात्कार स्थगित किया गया बल्कि 5 तारीख को ही साक्षात्कार स्थगित कर दिया गया था इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है सब बातें स्पष्ट हैं अगर इसमें ऐसी कोई बात होती तो परीक्षा ही क्यों ली जाती ? इसमें मान्यवर, परीक्षा कराई गई फिर साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया । इसमें मान्यवर, शासन स्तर से शिकायतें प्राप्त हुई थीं इससे पहले भी कई प्रश्न इस सम्मानित सदन और विधान परिषद् में किए जा चुके हैं कि इस निगम की नियमावली क्यों नहीं बनाई गई और जो लोग काफी समय से कार्य कर रहे हैं वह अभी तक अस्थायी हैं उनका स्थायीकरण क्यों नहीं किया जा रहा है, उनका भविष्य अधर में लटका है, तो मान्यवर, एक ओर तो सेवा नियमावली नहीं बनाई गई थी दूसरी ओर उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा था, तो इसमें शासन स्तर से आदेश हुए कि जब तक नियमावली नहीं बन जाती है तब तक साक्षात्कार नहीं होगा । मान्यवर, अब नियमावली बन गई है, कैबिनेट से एप्रूव भी हो गई है, बोर्ड से भी एप्रूव हो गई है अब साक्षात्कार की प्रक्रिया जल्दी पूरी की जाएगी ।

जिला सुल्तानपुर के कतिपय गांवों को जल भराव से बचाने हेतु हथौड़ा ड्रेन की सफाई

*14—श्री शिव नारायण मिश्र—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक लम्बुआ, तहसील कादीपुर, जिला सुल्तानपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा सैयलापुर, सरौया, बरहेता, लम्बुआ, डुहिइया, भटौली, बेबूपारा, घाटमपुर के किसानों की लगभग एक हजार एकड़ कृषि योग्य जमीन हथौड़ा ड्रेन की सफाई न होने से जल भराव से क्षतिग्रस्त रहता है? यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में हथौड़ा ड्रेन की सफाई एवं खोदाई करके गरीब किसानों को राहत दिलायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

ब्लाक लम्बुआ, तहसील कादीपुर, जिला सुल्तानपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा सैतापुर, सरैया बरेहता, लम्बुआ, डुहिया, खुदौली तथा बेबूपारा में जल भराव की समस्या के निदान हेतु 10.7 कि0 मी0 लम्बी हथौड़ा ताल ड्रेन का निर्माण वर्ष 1980 में किया गया था । प्रश्नगत ग्राम इस ड्रेन के कि0 मी0 6.0 से कि0 मी0 10.7 के बीच स्थित है । गत वर्ष वर्षा से पूर्व इस ड्रेन की सफाई कराई गई थी तथा तली की सफाई लम्ब छिन्नक में निर्धारित लेबिल के अनुसार करा दी गई थी । इन ग्रामों में लगभग 300 एकड़ क्षेत्र अभी भी जल भराव से प्रभावित होता है जिसका कारण यह है कि ड्रेन के किनारे इन ग्रामों की भूमि बहुत नीची है और उनमें भरा हुआ पानी पूर्वतः इस ड्रेन से नहीं निकल पाता है । इस समस्या के समाधान हेतु हथौड़ा ताल ड्रेन

तथा उससे आगे पीली ड्रेन का पुनरोद्धार कराने का कार्य जनपद सुल्तानपुर के लिये बनाये गये माइक्रो ड्रेनेज प्लान में सम्मिलित कर लिये गये हैं । इस कार्य को विस्तृत सर्वेक्षण एवं अनुमोदन तथा धन उपलब्ध होने पर कराया जाना सम्भव हो सकेगा ।

श्री शिव नारायण मिश्र—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हथौड़ा ड्रेन की सफाई न होने से जल भराव के कारण 300 एकड़ भूमि सैतापुर, लम्भुआ, खुदौली, कादीपुर की डूब रही है। उस पानी की निकासी के लिए और ड्रेन की सफाई के लिये क्या शीघ्र ही मंत्री जी पैसे की व्यवस्था करेंगे?

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि इसके लिये माइक्रो ड्रेनेज प्लान बनाया गया है और उस पर कार्य शुरू कर दिया गया है । यह पूरा प्लान 736 लाख रुपये का है । यह 1990 तक पूरा होगा । इसमें इस ड्रेन का भी प्लान है । मैं समझता हूं कि इसका समाधान हो जायगा ।

जनपद रायबरेली में देवीपुरा माइनर हेतु अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

*15—श्री मैनेजर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा थुलेंडी, तहसील महाराजगंज, जनपद रायबरेली के किसानों के खेत से बिना किसी सूचना के देवीपुरा माईनर (कोठी बछरावा) निकाली गयी है और किसानों ने अपने खेतों का मुआवजा दिये जाने हेतु दिनांक 8-12-86, 31-12-86 व 7-2-1987 को हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र अधिशासी अभियन्ता दक्षिणी शारदा कैनाल रायबरेली को दिया है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या मंत्री जी किसानों की उक्त अधिगृहीत भूमि का मुआवजा दिलवाने का आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

जी हां । पूर्व निर्मित देवपुरी माइनर की टेल बढ़ोत्तरी का कार्य ग्राम सभा थुलेंडी, तहसील महाराजगंज, जनपद रायबरेली की भूमि पर कृषकों की मांग पर किया गया ।

कृषकों द्वारा भूमि अधिग्रहण शीघ्र कराये जाने एवं प्रतिकर भुगतान कराये जाने हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे । उक्त माइनर की टेल बढ़ोत्तरी हेतु आवश्यक भूमि अध्याप्ति हेतु धारा 4(1) व 6(1) के अन्तर्गत विज्ञप्ति की कार्यवाही प्रगति में है । विज्ञप्ति प्रकाशित होने तथा अभिनिर्णय घोषित होने के बाद प्रतिकर वितरण की कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किसानों की भूमि बिना किसानों की सहमति के और बिना विधिवत् अध्याप्ति की कार्यवाही हुए ले ली गयी तो वह किस अधिकारी से ली गयी और इससे जो किसानों का नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति कब तक करेंगे?

श्री भोला शंकर मौर्य –

मान्यवर, उनकी सहमति से इसको बढ़ाया गया है । अब 20-2-87 के द्वारा भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही का प्रकरण शासन में आ चुका है और उस पर शीघ्र ही धारा 17 का प्रकाशन कराकर आगे हम कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, यदि माननीय मंत्री जी का कथन सत्य है कि सहमति से जमीन ली गयी है तो सरकार ने इस भूमि के मुआवजे का बाजार भाव से भुगतान क्यों नहीं किया है ? अगर सहमति ले ली गयी तो भूमि अध्याप्ति की क्या जरूरत है, रजिस्ट्री कराकर भुगतान करना चाहिए था । तो यह क्यों नहीं किया गया है ?

श्री भोला शंकर मौर्य –

मान्यवर, जो भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही की गयी है वह नियमानुसार की गयी है । प्राविधान है कि हम जिस दिन से भूमि लेंगे उस दिन से बाजार भाव की कीमत देनी पड़ेगी । अगर हम भूमि पहले ले लेते हैं तो उसका ब्याज भी हमें देना पड़ता है ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मंत्री जी को जानकारी देकर मैं प्रश्न पूंछना चाहता हूं । क्या मंत्री जी को जानकारी है कि बांसी पनघटिया बांध और सूपा नरकटवा बांध के लिए जो जमीन ली गयी थी उसका मुआवजा 20 साल हो गये हैं, अभी नहीं दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप इस सवाल के संबंध में पूंछें ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, सालों हो जाते हैं किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है । तो क्या माननीय मंत्री जी कोई नीति निर्धारित करेंगे कि अवाप्ति की कार्यवाही के बाद जमीन का कब्जा लिया जाय और जमीन पर कब्जा लेने के कितने दिन बाद किसानों को मुआवजा दे दिया जायगा ।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, यह मूल प्रश्न की परिधि में नहीं है । वैसे हमारी निश्चित नीति रही है कि जितनी जल्दी हो सके मुआवजा दिला दें । इसमें देरी होने का कारण यह है कि भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही एस0 एल0 ओ0 करते हैं । वह जितनी जल्दी कर देते हैं उसके बाद शासन स्तर से उसमें कोई ढील नहीं दी जाती है क्योंकि देर से भुगतान करने पर अधिक भुगतान करना पड़ता है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा –

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर दिया कि किसानों की सहमति से जमीन ली गयी है लेकिन यह प्रश्न में निहित है कि उनको बिना जानकारी के जमीन ले ली गयी है । तो वह कौन सा दस्तावेज है जिसके आधार पर मंत्री जी कहते हैं कि जमीन सहमति से ली गयी है । मेरी जानकारी है कि बिना पूछे किसानों से जमीन ली गयी है ।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मेरे पास जो सूचना है उसके आधार पर मैंने उत्तर दिया है । मुझे चीफ इन्जीनियर ने जो सूचना दी है कि उनकी मांग पर इसको बढ़ाया गया । इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता कि हमने बगैर सूचना के बात कही है ।

श्री नरेन्द्र देव –

मान्यवर, मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि अभी कई परियोजनाओं को उच्च न्यायालय ने इस आधार पर रोक दिया कि वहां के लोगों को मुआवजा नहीं मिला था । तो वह कौन सी कठिनाई है कि आप इस सदन में यह घोषणा नहीं करते हैं कि 6 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश शासन सुनिश्चित करेगा कि इतने समय में लोगों की जमीन का मुआवजा दे दिया जायगा । हमारे अपने जिले मिर्जापुर में 15-20 साल हो गये हैं लेकिन सिंचाई विभाग ने जिस भूमि को एक्वायर किया था उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है । मान्यवर, क्या उत्तर प्रदेश शासन किसानों के हित में यह घोषणा करने का कष्ट करेगी कि एक निश्चित अवधि में मुआवजे का भुगतान हो जायेगा ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, यह व्यवहारिक नहीं है । क्योंकि ऐसे लोगों को जितनी जल्दी हो सकता है एवार्ड डिक्लेअर करके दे देते हैं, बगैर एवार्ड के नहीं दे सकते हैं ।

श्री औसान सिंह–

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश का मामला है, हर जगह की यही हालत है कि माइनर और ड्रेन बना दी गयी और किसानों को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया तो मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जितने किसानों की भूमि अध्याप्ति कर ली गयी है और निर्माण कार्य पूरा हो गया है और आज तक कम्पनसेशन नहीं मिला है, उनको कम्पनसेशन दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि उनको यथाशीघ्र मुआवजा दिलाने की कार्यवाही करेंगे ।

श्री औसान सिंह–

मान्यवर, 10 साल हो गये, 15 साल हो गये लेकिन आज तक मुआवजा नहीं मिला । मैं माननीय मंत्री जी से एक निश्चित जानकारी चाहता हूं कि कितने महीने के अन्दर यह मुआवजा दे दिया जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष–

अब आपका सवाल हो गया, आप बैठें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा –

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जैसा मंत्री जी ने कहा कि मुझे जो सूचना प्राप्त हुई है उसके आधार पर कह रहा हूं । मैं माननीय मंत्री जी की सूचना को चैलेंज कर रहा हूं, किसानों की सहमति नहीं ली गयी है क्या इस प्रक्रिया की जांच करायेंगे और गलत सूचना देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेंगे?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, इसको दिखवा लेंगे ।

(श्री हरि शंकर तिवारी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं . . . .

श्री उपाध्यक्ष–

पाण्डे जी, आपको इजाजत नहीं मिली है, तिवारी जी को इजाजत मिली है । आप बैठें ।

श्री हरि शंकर तिवारी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा कि व्यवहारिक नहीं है । तो मान्यवर, कौन सी ऐसी व्यवहारिकता है शासन के सामने कि अब तक 15-20 साल हो गये जिनको मुआवजा मिलना चाहिए था उनको मुआवजा नहीं मिला जब कि यह उत्तर प्रदेश शासन का ही कार्यक्षेत्र है । भूमि अध्याप्ति अधिकारी भी उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारी हैं । तो शासन के समक्ष ऐसी कौन सी समस्या है जिसके कारण यह व्यवहारिक नहीं समझा जा रहा है ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, भूमि अध्याप्ति अधिकारी एक न्यायालय की तरह काम करते हैं और न्यायालय में सरकार का कोई दखल नहीं होता ।

प्रदेश में शराब की बिक्री बढ़ाने हेतु निर्देश

*16–श्री राम आसरे वर्मा (अनुपस्थित) —

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आबकारी विभाग द्वारा विगत कई वर्षों से प्रति वर्ष शराब की बिक्री बढ़ाये जाने के सिलसिले में प्रदेश भर के ठेकेदारों को निर्देशित किया जाता रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

*17–श्री महेन्द्र भाटी–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

*18–श्री पूरन सिंह माहरा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*19–श्री हफीज भारती–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद पौड़ी गढ़वाल में खोह नदी पर बैराज बनाने का प्रस्ताव

*20–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में खोह नदी पर बैराज बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी प्रगति क्या है और वह कब तक बन जायेगी ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह मेरी निश्चित जानकारी है कि इसका प्रिलिमिनरी सर्वे हुआ था । जियालोजिस्ट ने भी वहां जाकर इसका पूरा सर्वे किया और जिसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट शासन को भेजी गयी है, लेकिन प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं के रूप में दिया । मैं जानना चाहता हूं कि वह जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिओलोजिस्ट विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा आई उसके बारे में सही-सही जानकारी देने का कष्ट करेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, किसी भी परियोजना को स्वीकृत करते समय आवश्यक है कि उसमें लागत, लाभ को देख लिया जाय वह कम से कम एक होना चाहिए । इस परियोजना का जो लाभ लागत है वह .49 है यानि आधा है । यह इसलिए व्यवहारिक नहीं है । दूसरा इस पर अनुमानित 10 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है और इससे कुल सिंचाई जो प्रस्तावित है वह 2450 हेक्टेअर होगी तो इतनी छोटी योजना पर इतना बड़ा धन व्यय करके बनाना सम्भव नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल) –

मान्यवर, आपने जो अभी उत्तर दिया और यह कहा कि इससे बहुत कम क्षेत्र लाभान्वित हो पायेगा । मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि अगर आप इससे चाहें तो इसका क्षेत्रफल काफी बढ़ाया जा सकता है । इसमें पर्वतीय क्षेत्र का कोटद्वार भावर का क्षेत्र शामिल किया जा सकता है इसके साथ ही बिजनौर का क्षेत्र भी शामिल करके इसके क्षेत्र को और अधिक विस्तार किया जा सकता है ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मैंने सभी पहलुओं से इसका परीक्षण करा लिया है यह योजना व्यवहारिक और सम्भव नहीं है ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आबकारी के ठेके दिए जाते हैं एक प्रश्न यह है कि क्या यह ठेके बन्द करके शासन के विचार . . .

श्री उपाध्यक्ष–

सकलानी जी, अब आप बैठें, प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

अतारांकित प्रश्न

1–श्री अकबर हुसैन बाबर–

[4थे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 76 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नोट:–तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

2–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

बलिया में बैरिया संसार टोला बांध पर जयप्रकाश नगर रेगुलेटर के निर्माण से जल प्लावन

3–श्री मैनेजर सिंह–

क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया बैरिया संसार टोला बांध पर निर्मित जय प्रकाश नगर रेगुलेटर के निर्माण में बांध के भीतरी क्षेत्र में जल प्लावन से हजारों एकड़ भूमि में खरीफ की फसल बर्बाद हो रही है और हजारों एकड़ भूमि रबी की बुआई से वंचित हो रही है ? यदि हां, तो जल प्लावन की समस्या के निवारण के लिए क्या योजना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बैरिया संसार टोला बांध पर निर्मित जय प्रकाश नगर रेगुलेटर के निर्माण से बाढ़ से सुरक्षा हुई है तथा जल प्लावन से खरीफ की फसल बरबाद नहीं होती है । नदी की बाढ़ उतरने पर रेगुलेटर का फाटक खोल दिया जाता है जिससे सुरक्षित क्षेत्र में वर्षा से एकत्र पानी निकल जाता है और रबी के समय बोवाई हो जाती है ।

बलिया के क्षतिग्रस्त बकुलहा संसार टोला बांध का निर्माण

4–श्री मैनेजर सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जनपद के बकुलहा संसार टोला सिंचाई विभाग के क्षतिग्रस्त बांध को ठीक कराने की क्या योजना है और कब तक उक्त बांध ठीक हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बलिया जनपद के बकुलहा संसार टोला बांध क्षतिग्रस्त नहीं है वरन् उसका स्तर ऊंचा करना है व साइड स्लोप ठीक करना है। यह बकुलहा संसार टोला बांध के स्तर ऊंचा करने से संबंधित योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है। वर्ष 1987-88 में रु0 7.00 लाख आवंटित कर दिया गया है तथा रेजिंग व काउन्टर बर्म बनाने का कार्य कराया जा रहा है जो इस वर्ष पूर्ण होना प्रस्तावित है ।

5–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

[4थे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 156 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

6-7–श्री शारदा नन्द अंचल–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

फर्रुखाबाद के नवनिर्मित सूती मिल कम्पिल हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति में धांधली

8–श्री महरम सिंह–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवीन निर्मित सूती मिल कम्पिल जनपद फर्रुखाबाद में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए जिला सेवायोजन कार्यालय फर्रुखाबाद द्वारा 30 जून, 85 से लेकर 30 जून, 86 के बीच नाम मांगे गये थे और इसी अवधि में सीधे आवेदन-पत्र मिल के अधिकारियों द्वारा प्राप्त किये गये थे? यदि

हां, तो किस-किस श्रेणी के कर्मचारियों के चयन के लिए जिला सेवा योजन कार्यालय द्वारा नामों की सूची मांगी गयी और किस-किस श्रेणी के कर्मचारियों के चयन के लिये सीधे आवेदन-पत्र प्राप्त किये गये और उनकी संख्या क्या-क्या है तथा जिला सेवा योजन कार्यालय द्वारा एवं सीधे प्राप्त आवेदन-पत्रों में कितने-कितने व्यक्तियों का किन-किन तिथियों में इण्टरव्यू करके किस-किस व्यक्ति का चयन किस-किस, श्रेणी में किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

उ0 प्र0 सहकारी कताई मिल्स लि0, कम्पिल, जनपद फर्रुखाबाद में दिनांक 30-6-85 से 30-6-86 की अवधि में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये प्राप्त आवेदन-पत्रों की, चयन की तिथि तथा चयनित व्यक्तियों का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 130 पर)

9–श्री महरम सिंह–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि नव निर्मित कम्पिल मिल में कर्मचारियों के चयन के लिये इण्टरव्यू में अधिकारियों द्वारा मन चाहे ढंग से उम्मीदवारों को बुलाया गया है और उसमें किसी नीति का परिपालन नहीं किया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि किन-किन व्यक्तियों को इण्टरव्यू में बुलाकर चयन किया गया और क्या उनसे अधिक योग्यता वाले उम्मीदवारों के आवेदन-पत्रों पर विचार तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो 30 जून, 1985 से 30 जून, 86 तक किस-किस योग्यता के कितने आवेदन-पत्र मिल कार्यालय को प्राप्त हुए ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सम्पूर्ण उम्मीद्वारों तथा उनके प्रार्थना-पत्रों पर समुचित विचार करने के उपरान्त ही चयन समिति द्वारा निर्धारित योग्यता आहरण करने वाले उम्मीद्वारों को ही चयनित किया गया था ।

10-11–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

अकबरपुर फैजाबाद में स्वतः रोजगार योजना हेतु चयनित व्यक्तियों को देय ऋण

12–श्री नत्थू लाल चिकल–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985 में विकास खण्ड अकबरपुर जिला फैजाबाद में स्वतः रोजगार योजना के अंतर्गत किन-किन पात्रों का किन-किन उद्योगों के लिए चयन किया गया था। चयनित पात्रों ने कितना-कितना ऋण लिया और क्या उनके द्वारा वे औद्योगिक इकाइयां अथवा रोजगार संबंधी कार्य चलाये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 1985-86 में विकास खण्ड अकबरपुर में लाभान्वित 27 व्यक्तियों की सूची, उनके नाम एवं पते सहित, संलग्न है । इनमें से 21 व्यक्तियों ने ऋण का सदुपयोग किया है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 131-133 पर)

बलिया के क्षतिग्रस्त बकुलहा संसार टोला बांध का निर्माण

13—श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जनपद के बकुलहा संसार टोला सिंचाई विभाग के क्षतिग्रस्त बांध को ठीक कराने की क्या योजना है और कब तक उक्त बांध ठीक हो जायेगा ? क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि गत 28 अक्टूबर, 1986 को मुख्य मंत्री ने झांसी घाट सेतु के कार्य प्रारम्भ के अवसर पर धन स्वीकृति की घोषणा की थी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बलिया जनपद के बकुलहा संसार टोला बांध क्षतिग्रस्त नहीं वरन् उसका स्तर ऊंचा करना है व साइड स्लोप ठीक करना है । यह रेजिंग आफ बकुलहा संसार टोला बांध के योजना के अंतर्गत किया जा रहा है । वर्ष 1987-88 में रु0 7.00 लाख आवंटित कर दिया गया है तथा रेजिंग व काउन्टर बर्म बनाने का कार्य कराया जा रहा है जिसके इस वर्ष में पूर्ण होने की संभावना है । ऐसी कोई घोषणा की सूचना नहीं है ।

बलिया के दवाबा क्षेत्र की बाढ़ से सुरक्षा

14—श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दवाबा क्षेत्र, जनपद बलिया के पूर्वी छोर पर स्थित आबादी इब्राहिमाबाद नौबरार तथा भवन टोला मौजा कोडरहा नौबरार के बाढ़ रक्षा हेतु क्या कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दवाबा क्षेत्र, जनपद बलिया के पूर्वी छोर पर स्थित आबादी इब्राहीमाबाद नौबरार तथा भवन टोला मौजा कोड़रहा नौबरार, बकुलहा संसार टोला बांध तथा घाघरा नदी के बीच बाढ़ परिक्षेत्र (फ्लेड प्लेन) में स्थित है। इन गांवों के बाढ़ रक्षा हेतु कोई योजना सिंचाई विभाग के विचाराधीन नहीं है । बांध एवं नदी के बीच स्थित बाढ़ परिक्षेत्र में स्थित ग्रामों को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करना तकनीकी दृष्टि से एवं शासन की नीति के अनुसार सम्भव नहीं है ।

सहायक खाद्य आयुक्त, गोरखपुर मण्डल द्वारा पूर्ति निरीक्षकों का स्थानान्तरण

15—श्री मैनेजर सिंह तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक खाद्य आयुक्त गोरखपुर मण्डल द्वारा वर्ष 1986 में कितने पूर्ति निरीक्षकों का स्थानान्तरण एक जनपद से दूसरे जनपद में किया गया है उनका आधार क्या था ? क्या यह सत्य है कि स्थानान्तरण आदेश के पश्चात् कुछ पूर्ति निरीक्षकों का स्थानान्तरण रद्द कर दिया गया ? यदि हां, तो कितने निरीक्षकों का और क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—

सहायक खाद्य आयुक्त गोरखपुर मंडल द्वारा वर्ष 1986 में सामान्य स्थानान्तरण नीति के अंतर्गत प्रशासनिक आधार पर 21 पूर्ति निरीक्षकों का स्थानान्तरण किया गया । इनमें से तीन पूर्ति निरीक्षकों का स्थानान्तरण मंडलायुक्त गोरखपुर द्वारा अपर जिलाधिकारी (आपूर्ति) गोरखपुर तथा जिला पूर्ति अधिकारी, देवरिया की संस्तुतियों के आधार पर निरस्त कर दिया गया ।

16–श्री शारदा नन्द अंचल–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

17–श्री हर्ष वर्धन–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

पर्यटन विभाग का गत तीन वर्षों का मैदानी व पर्वतीय क्षेत्र का परिव्यय

18–श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पर्यटन विभाग का पिछले तीन सालों का प्रति वर्ष परिव्यय क्या था व इस वर्ष कितना है ? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में कितना-कितना धन पिछले तीन सालों में दिया गया व इस वर्ष कितना रखा गया ?

ऊर्जा एवं पर्यटन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

पिछले तीन सालों में पर्यटन सेक्टर के मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र के परिव्यय की स्थिति निम्नवत् है :– (लाखों रु0 में)

वर्ष/परिव्यय	मैदानी क्षेत्र	पर्वतीय क्षेत्र	कुल
1984–85	256·00	250·00	506·00
1985–86	280·00	300·00	580·00
1986–87	500·00	315·00	815·00

चालू वित्तीय वर्ष 1987-88 के लिए आवंटित परिव्यय की धनराशि रु0 1041·00 लाख है ।

गत तीन वर्षों में प्रदेश के मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में जो धनराशि पर्यटन विकास के लिए दी गयी है, उसका विवरण निम्नवत् है।

वर्ष	धनराशि	(लाख रुपए में)	
1984-85	205·39	258·83	464·22
1985-86	552·88	222·33	775·21
1986-87	455·80	315·49	771·29

चालू वित्तीय वर्ष 1987-88 में कुल दी गयी धनराशि का आंकलन मार्च, 1988 में किया जा सकेगा ।

जलेसर, जनपद एटा में कांच का सामान बनाने की फर्जी इकाइयां

19–श्री प्रेम पाल सिंह–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि कांच के सामान बनाने हेतु लघु उद्योग की 32 पंजीकृत इकाइयां जलेसर, जनपद एटा में फर्जी रूप से कार्यरत हैं तथा उक्त इकाइयां 35-35 वैगन कोयला ब्लैक में बेच देती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं। वर्तमान में जलेसर, जनपद एटा में कुल 16 कांच इकाइयां कार्यरत हैं। जिनको वर्ष 1987 में क्षमता तथा परफारमेंस के आधार पर 3 बाक्स वैगन से 37 बाक्स वैगन तक कोयला आवंटित किया गया है । कोई भी इकाई फर्जी रूप से कार्यरत नहीं है। 35-35 वैगन कोयला ब्लैक में बेचने की कोई सूचना अथवा शिकायत जानकारी में नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

20—श्री प्रेम पाल सिंह—

[4थे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 162 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

21—श्री मैनेजर सिंह—

[4थे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 174 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

तहसील बांसगांव, जनपद गोरखपुर में चीनी तथा मिट्टी के तेल वितरण में धांधली

22—श्री जनार्दन प्रसाद आभा तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अमर बहादुर चन्द्र उपाध्याय, युवा जनता गोरखपुर ने अपने पत्र दिनांक 13-11-86 और अनुस्मरण-पत्र दिनांक 17-11-86 द्वारा तहसील बांसगांव (गोरखपुर) के चीनी तथा मिट्टी के तेल वितरण के संदर्भ में शिकायती पत्र दिया था ? यदि हां, तो क्या उस शिकायती-पत्र की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह—

जी हां। श्री अमर बहादुर चन्द्र उपाध्यक्ष युवा जनता गोरखपुर का शिकायती-पत्र दिनांक 13-11-86 प्राप्त हुआ था जिस पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, गोरखपुर द्वारा जांच करायी जा रही है।

तहसील बांसगांव, जनपद गोरखपुर में मिट्टी के तेल के वितरण में अनियमितता

23—श्री जनार्दन प्रसाद आभा तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के बांस गांव तहसील में वर्ष 86 में किस-किस महीने में कितनी मात्रा में अतिरिक्त मिट्टी का तेल आवंटित किया गया और उसका वितरण कितनी-कितनी मात्रा में किन-किन कोटेदारों को किया गया ? क्या यह सच है कि अतिरिक्त आवंटित मिट्टी का तेल तहसील के कुछ निश्चित कोटेदारों को ही हर महीने दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—

गोरखपुर जनपद की तहसील बांस गांव में वर्ष 1986 के प्रत्येक महीने में अतिरिक्त आवंटित मिट्टी तेल की मात्रा तथा जिन-जिन कोटेदारों में उसका वितरण किया गया, उसका ब्योरा संलग्न है।

जी नहीं। क्षेत्र विशेष की आवश्यकता को देखते हुए जनहित में अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

श्री राम लखन सिंह, प्रधान डोमहर माफी सहजनवां, गोरखपुर द्वारा नलकूप जांच की मांग

24—श्री जनार्दन प्रसाद आभा तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामलखन सिंह, ग्राम प्रधान, डोमहर माफी सहजनवां, जनपद गोरखपुर ने अपने पत्र दिनांक 16-12-86 द्वारा नलकूप सं0 259 बीजी के संबंध में जांच की मांग की है ? यदि हां, तो अब तक जांच न करायी जाने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

---

†छापा नहीं गया।

हथकरघा निगम के बुनकरों को शीघ्र भुगतान की मांग

25–श्री राम नरेश यादव–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुनकरों को उनके द्वारा बुने गये कपड़ों का मूल्य हथकरघा निगम द्वारा तीन-तीन माह के बाद भुगतान किया जाता है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या सरकार इस आशय का निर्देश देगी कि भुगतान हर कीमत पर पन्द्रह दिन के अन्दर कर दिया जाय ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

हथकरघा निगम का यह भरसक प्रयास रहता है कि बुनकरों को उनके कपड़े का मूल्य समय से भुगतान कर दिया जाय । परन्तु कभी-कभी कार्यशील पूंजी की कमी होने के कारण न चाहते हुए भी भुगतान में विलम्ब हो जाता है । इसका मुख्य कारण यह है कि हथकरघा वस्त्रों की बिक्री पूरे वर्ष समान नहीं रहती है जबकि खरीद लगातार वर्ष भर करनी होती है । वर्तमान में भुगतान हेतु 15 दिन की समय-सीमा निर्धारित करना व्यवहारिक न होगा ।

क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, मेरठ मण्डल, के विरुद्ध जांच

26–श्री राम नरेश यादव–

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार के गुड़ एवं खाण्डसारी को बाहर भेजने पर लगाये गये प्रतिबन्ध का पालन गत वर्ष मेरठ मण्डल के क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक ने विभिन्न मण्डियों में कराया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार संबंधित अधिकारी के विरुद्ध जांच करायेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां । मेरठ मण्डल के क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक ने गत वर्ष सरकार के गुड़ एवं खाण्डसारी को बाहर भेजने पर लगाये गये प्रतिबन्ध का पालन विभिन्न मण्डियों में करवाया था, अतः संबंधित अधिकारी के विरुद्ध जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

27–28–श्री राम सजीवन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता की प्रोन्नति हेतु आरक्षण नीति

29–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1981, 83 व 85 में अधिशासी अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता की प्रोन्नति में आरक्षण नीति अपनाई गयी थी ? यदि हां, तो किस प्रकार ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पदों पर प्रोन्नति हेतु वर्ष 1981 व 1985 में कोई चयन नहीं हुआ । वर्ष 1983 में अधिशासी अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पदों पर प्रोन्नति हेतु तदर्थ चयन किया गया, जिसमें शासनादेश सं0 65/2/69-रा0एकी0, दिनांक 8 मार्च, 1973 द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति नियमानुसार अपनायी गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

30—श्री मैनेजर सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

31—श्री मैनेजर सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

फ्रूड सेल की स्थापना का उद्देश्य

32—श्री मैनेजर सिंह—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य आयुक्त से संबंधित फ्रूडसेल की स्थापना किन उद्देश्यों के लिए की गयी थी ? क्या उक्त सेल द्वारा वही कार्य किये जा रहे हैं जिनके लिए उसकी स्थापना की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—

जमाखोरी, तस्करी, मुनाफाखोरी के विरुद्ध खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा विभिन्न नियंत्रण आदेशों के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही में समन्वय, स्मगलिंग रोकने के लिये पुलिस से सम्पर्क कर रेड्स आयोजित करने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत चल रहे मुकदमों की देख-रेख के साथ खाद्य आयुक्त द्वारा समय-समय पर अभिदिष्ट कार्यों का निस्तारण फ्रूड सेल की स्थापना के उद्देश्य हैं । अभी तक फ्रूड सेल के माध्यम से मुख्यतः उपरोक्त में से अंतिम एक उद्देश्य के अनुरूप, शासन एवं खाद्य आयुक्त द्वारा समय-समय पर अभिदिष्ट कार्यों का निस्तारण कराया जाना ही अपेक्षित समझा गया है ।

33—श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

प्रदेश में देशी शराब की नई दुकानें खोलने का औचित्य

34—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या आबकारी व मद्य निषेध मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपदों में देशी शराब की दुकानों की शाखायें बढ़ाने तथा नई दुकानें खोलने का आधार और औचित्य क्या है ? क्या नई दुकानें खुलने से मद्य निषेध पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अवैध मद्य-निष्कर्षण वाले क्षेत्रों में तथा सुदूर देहाती क्षेत्रों में अवैध व नकली शराब की बिक्री रोकने तथा उसके स्थान पर वैध मानक मदिरा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आबकारी मैनुअल खण्ड-प्रथम के नियम-325 के प्राविधानों के अन्तर्गत देशी मदिरा की वर्तमान दुकानों के एकान्तिक विशेषाधिकार क्षेत्र में देशी शराब की उप दुकान खोलने का निर्णय लिया गया है । इससे मद्य-निषेध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का प्रश्न नहीं उठता, बल्कि इससे अवैध मद्य-निष्कर्षण से होने वाली राजस्व की क्षति रोकने में सफलता मिलती है ।

जनपद अलीगढ़ क्षेत्र सिकन्दराराऊ की उपभोक्ता वस्तुओं का अनियमित वितरण

35—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री को जानकारी है कि अलीगढ़ जनपद के सिकन्दराराऊ क्षेत्र में पूर्ति विभाग के अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र की उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण सिकन्दराराऊ नगर की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से सम्बद्ध करके कराते हैं? यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्र की उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण शहरी क्षेत्र के दुकानदारों से कराने तथा एक दुकान से अन्य तीन चार दुकानों की उपभोक्ता वस्तुएं वितरण के लिए सम्बद्ध करने का क्या औचित्य है?

श्री हुकुम सिंह—

जी हां।

अलीगढ़ जनपद के सिकन्दराराऊ क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र की उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण सिकन्दराराऊ नगर की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से अपरिहार्य एवं विशेष परिस्थितियों में कराया गया।

ग्रामीण क्षेत्र की कतिपय उचित दर की दुकानों द्वारा सामग्रियों का नियमित उठान/वितरण न किये जाने एवं माह नवम्बर, 1986 में राज्य कर्मियों की हड़ताल के कारण इन दुकानों द्वारा आवश्यक वस्तुओं का उठान न किये जाने के परिणाम स्वरूप ग्रामीण उपभोक्ताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखकर निकटवर्ती शहरी क्षेत्र के दुकानदारों से आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया गया तथा निकटतम् दुकानों से इन ग्रामीण उपभोक्ताओं को सामग्रियां दिलाने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार एक ही दुकान से तीन-चार दकानों की उपभोक्ता वस्तुएं वितरण के लिए सम्बद्ध की गयीं।

राप्ती नदी, जनपद बस्ती के बांसी से शाहपुर तक बन्धा निर्माण पर व्यय

36—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के राप्ती के बायें तट पर बांसी से शाहपुर तक बन्धा बनाने का कार्य ड्रेनेज खण्ड प्रथम बस्ती द्वारा कराया जा रहा है? यदि हां, तो अब तक कुल कितने कि0 मी0 बन्धा बना और उस पर कितनी धनराशि व्यय हुई और कितना कार्य शेष है तथा उसके लिए कितनी धनराशि चाहिए? क्या शेष धनराशि सरकार वित्तीय वर्ष 87-88 में आवंटित करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, बस्ती जनपद में राप्ती नदी के बायें तट पर बांसी से शाहपुर तक 222.14 लाख रुपये की लागत से 34.5 कि0 मी0 लम्बा बांसी-डुमरियागंज नामक बांध ड्रेनेज खण्ड, बस्ती के अंतर्गत निर्माणाधीन है। अब तक 6.50 कि0 मी0 बांध का निर्माण हुआ है जिस पर 36.26 लाख रुपये की धनराशि व्यय हुई। 28.00 कि0मी0 बांध का निर्माण कार्य शेष है जिसके लिए 185.88 लाख रुपये की धनराशि आवश्यक है। सीमित वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में शेष सम्पूर्ण धनराशि वित्तीय वर्ष 1987-88 में आवंटित किया जाना सम्भव नहीं है और न ही अवशेष कार्य उक्त वर्ष में पूर्ण हो सकता है।

37—श्री करन पाल सिंह—

[5वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 155 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद अलीगढ़, तहसील सिकन्दराराऊ के कतिपय गांवों में जल प्लावन

38—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद की तहसील सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत ग्राम सभा दभी, करहला, दरियापुर तथा जुझगपुर की जलप्लावन समस्या का निराकरण करने हेतु दभा-करहला-नाले के पुनरोद्धार के लिए आर0 एल0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत आवंटित 5,00,000 रु0 की धनराशि से सिंचाई विभाग के गंगा नहर डिवीजन, अलीगढ़ द्वारा नाले को गहरा करते समय किनारों की छटाई नियमानुसार तिरछी न करके सीधी करने से मिट्टी गिरकर नाला पुनः अवरुद्ध हो गया है तथा लगभग 2 कि0 मी0 भाग की खुदाई का कार्य अवशेष है? क्या इस नाले का कार्य निर्धारित मानक के अनुसार न किये जाने तथा आवंटित धनराशि का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अलीगढ़ की रिपोर्ट पत्रांक 4444 दिनांक 9-3-87 शासन को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो इस नाले के अधूरे कार्य को कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

डा0 वाई0 पी0 सिंह, पशुधन अधिकारी, गोरखपुर के भ्रष्टाचारों की जांच

39—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या पशुधन विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश शाखा, गोरखपुर के मंत्री (श्री रमाशंकर प्रसाद) ने अपने पत्र दिनांक 22-12-86 द्वारा उप निदेशक, गोरखपुर मण्डल तथा डा0 वाई0 पी0 सिंह, पशुधन अधिकारी, गोरखपुर पर भ्रष्टाचार एवं शासकीय निर्देशों की अवहेलना के आरोप लगाये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उसकी जांच करायी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह—

जी, हां, किन्तु शिकायत कर्ता का नाम श्री रामचन्द्र प्रसाद है।

जांच कराई गई। रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

40—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने कारण हटाया गया]

41—श्री शारदानन्द अंचल—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने कारण हटाया गया]

लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा विज्ञप्ति सहायक अभियन्ता के पदों पर नियुक्ति

42—श्री दीप चन्द्र सोनकर—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद, उ0प्र0 के फरवरी माह सन् 86 के विज्ञापन सं0 12-/85-86 के अंतर्गत जो पद सहायक अभियंता के लिए विज्ञाप्ति किए गए थे उनकी नियुक्ति हुई या नहीं? यदि हुई, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की कोई सूची शासन को प्राप्त नहीं हुई है अतः नियुक्ति किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

खरखोदा (मेरठ) में काली नदी के आस-पास गिरता जल स्तर

43—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री को यह जानकारी है कि काली नदी के आस-पास विशेषतया खरखोदा (मेरठ) क्षेत्र में लगातार जल स्तर गिर रहा है ? यदि हां, तो सरकार जल स्तर को उठाने के लिए क्या-क्या व्यवस्थाएं कर रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

44—श्री जमुना प्रसाद दोस—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद बस्ती में राप्ती नदी पर बने बांसी पनघटिया बांध हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

45—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में राप्ती नदी के दाएं तट पर बने बांसी पनघटिया बांध में डुमरिया बुजुर्ग डडिया खुर्द ग्रामों की ली गयी भूमि का मुआवजा भू-स्वामियों को अब तक क्यों नहीं दिया गया जबकि बांध के बने लगभग बीस वर्ष से अधिक का समय हो गया है? क्या मुआवजा संबंधी कोई पत्र संख्या 348/निरीक्षक भूमि अध्याप्ति अधिकारी बस्ती ने दिनांक 24-8-85 को 5(1) व 6(1) के विषयों के प्रकाशन हेतु उप निदेशक भूमि अध्याप्ति निदेशालय सिंचाई विभाग उ0 प्र0 लखनऊ को भेजा है? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बस्ती जिले में राप्ती नदी के दायें तट पर बने बांसी-पनघटिया बांध में डुमरिया बुजुर्ग व डड़िया खुर्द ग्रामों में ली गई भूमि का मुआवजा वितरण हेतु भू-प्रस्ताव विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बस्ती को प्रेषित किया जा चुका है तथा मुआवजा वितरण कार्यवाही विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बस्ती द्वारा किया जाना है।

निदेशक (भूमि) द्वारा विज्ञप्ति राजकीय गजट में प्रकाशन हेतु भेजा गया है। धारा 6(1) के गजट में प्रकाशन के उपरान्त मुआवजा वितरण की कार्यवाही विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बस्ती द्वारा किया जायेगा।

जनपद आगरा के कतिपय नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि

46—श्री विजय सिंह राणा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले में नलकूप संख्या 8, 9, 10, 11 व 12 कब से कार्यशील है और इनसे प्रति वर्ष कितनी भूमि की सिंचाई होती है? वर्ष 1983-84, 84-85, व 85-86 में इन नलकूपों से कितनी जमीन की सिंचाई की गयी ? क्या नलकूपों से सिंचन क्षमता को और अधिक बढ़ाये जाने की व्यवस्था की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद सुल्तानपुर की अजीतपुर माइनर को ठीक कराया जाना

47—श्री शिव नारायण मिश्र—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत अजीतपुर माइनर ब्लाक लम्बुआ जो गोहानी से निकल कर गरैया भिटौरा तक जाती है द्वारा हेड से टेल तक सिंचाई होती है? यह कब खोदी गयी तथा उस पर कितना व्यय हुआ तथा इसमें कब से पानी चल रहा है ? क्या यह सत्य है कि गरैया और भिटौरा के बार्डर पर माइनर नहीं खोदी गयी और न गरैया हाई स्कूल के समीप माइनर पर पुलिया बनायी गयी है जिस पानी का जल भराव होकर कई हजार बीघा की फसल की क्षति किसानों को हो रही है तथा बच्चों को विद्यालय जाना कठिन है ? यदि हां, तो क्या जनहित में उस नहर को यथाशीघ्र ठीक कराकर दोषी अधिकारी को दण्डित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

अजीतपुर माइनर जिसकी कुल लम्बाई 6.4 कि0 मी0 है, के विरुद्ध वर्ष 1986-87 तक 6.2 कि0 मी0 तक खोदी जा सकी है तथा इस पर 1.29 लाख रुपया व्यय हुआ है । वर्ष 1982-83 (1390 फसली) से पानी आंशिक रूप से चल रहा है ।

यह सत्य नहीं है कि गरैया और भिटौरा के बार्डर पर नहर नहीं खोदी गई है।

गरैया हाई स्कूल के समीप कदम पुलिया का निर्माण कार्य लगभग 75 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है, अवशेष कार्य 2 माह में पूर्ण होना प्रस्तावित है । नहर के समरेखन में छूटे गैप्स के पूर्ण हो जाने के पश्चात् अब जल-भराव की समस्या नहीं है। अतएव किसी अधिकारी को दंडित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर, ब्लाक भदैया के कतिपय ग्रामों में जल भराव

48—श्री शिव नारायण मिश्र—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 17/18 दिसम्बर, 86 को भीषण वर्षा से ब्लाक भदैया के अन्तर्गत ग्राम सभा केनौरा का दक्षिण छोर की लगभग 1 हजार एकड़ भूमि जल भराव के कारण क्षतिग्रस्त हो रही है ? यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में उक्त ग्रामों के जल भराव से फसल की सुरक्षा एवं जीविकोपार्जन के लिए पानी के निकास की कोई व्यवस्था करायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, विकास खण्ड भदैया के अन्तर्गत ग्राम सभा केनौरा का दक्षिणी छोर वर्षा के समय जल भराव से प्रभावित होता है, तथा दिनांक 17/18 दिसम्बर, 1986 की वर्षा की समय भी प्रभावित हुआ । जल भराव की समस्या के समाधान हेतु [illegible] ड्रेन सुल्तानपुर जनपद के ड्रेनेज प्लान में सम्मिलित है । इसका सर्वेक्षण करने तथा लम्ब छिन्नक अनुमोदित होने व भूमि अध्याप्ति होने के बाद निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा ।

49—श्री यदुनाथ सिंह—

[व्यक्तिगत दोषारोपण होने के कारण निरस्त]

जनपद सुल्तानपुर में पर्यटन विकास हेतु कार्यरत व स्वीकृत योजनायें

50—श्री जय नारायण तिवारी—

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर में पर्यटन विकास की कौन-कौन सी योजनाएं कार्यरत हैं तथा उनकी स्थिति क्या है? क्या पर्यटन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिला प्रशासन ने जनपद सुल्तानपुर के पर्यटन विकास की कौन-कौन सी योजनाओं को शासन में भेजा है तथा उनमें कितनी स्वीकृत हुई हैं ? यदि नहीं, तो कब तक हो जायेंगी ?

श्री प्रमोद कुमार—

जनपद सुल्तानपुर में पर्यटन विकास की निम्न योजनायें स्वीकृत हैं :—

योजना का नाम	कार्य की प्रगति
1—मार्गीय सुविधा, जगदीशपुर	100 प्रतिशत
2—मार्गीय सुविधा, मुंशीगंज	70 प्रतिशत
3—बिजेथुआ का विकास	67 प्रतिशत
4—मार्गीय सुविधा, सुल्तानपुर	

उपरोक्त में से मार्गीय सुविधा, सुल्तानपुर के लिए जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा ग्राम सभा की 5-0-0 है0, पर्यटन विभाग को आवंटित भूमि का अनुमोदन चयन समिति द्वारा किया जा चुका है । जनपद सुल्तानपुर में जिला सेक्टर के अन्तर्गत प्राप्त पर्यटन योजनाओं की स्थिति निम्नवत् है:—

1—घोपाप का पर्यटन विकास ।
2—बिजेथुआ का पर्यटन विकास ।
3—स्थानीय पर्यटन विकास के अन्तर्गत जायसी की मजार का पर्यटन विकास ।
4—सूफीसंत अब्दुल लतीफ की सत्थिन स्थित मजार का पर्यटन विकास ।
5—मूर्ति हेतु शेड का निर्माण ।

बिजेथुआ एवं जायसी मजार के पर्यटन विकास की योजनायें स्वीकृत हैं । जायसी के मजार हेतु अवशेष धनराशि 1.20 लाख का व्यय, मूर्ति हेतु शेड के निर्माण की योजना इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है। घोपाप तथा सूफी सन्त अब्दुल लतीफ की सत्थिन स्थित मजार के पर्यटन विकास की योजना जिला योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित की गयी थी लेकिन धनाभाव के कारण चालू वित्तीय वर्ष में इसका कार्यान्वित किया जाना संभव नहीं है ।

सुल्तानपुर में साईं सम्प्रदाय के ऐतिहासिक मठ चन्दौर को पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग

51—श्री जय नारायण तिवारी—

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर के चन्दौर स्थित साईं सम्प्रदाय के ऐतिहासिक मठ चन्दौर का सर्वेक्षण कराकर पर्यटन स्थल घोषित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार—

जी नहीं ।

सर्वेक्षण का सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।

सहायक पर्यटन कार्यालय अयोध्या को सुल्तानपुर व क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय फैजाबाद को अयोध्या में स्थानान्तरण का प्रस्ताव

52—श्री जय नारायण तिवारी—

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त महोदय फैजाबाद ने सहायक पर्यटक कार्यालय अयोध्या को सुल्तानपुर व क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय फैजाबाद को अयोध्या स्थानान्तरित करने हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा है ? यदि हां, तो जनहित में यह स्थानान्तरण कब तक हो जायेगा?

श्री प्रमोद कुमार—

जी हां ।

प्रस्ताव विचाराधीन है ।

जनपद सुल्तानपुर में मार्गीय सुविधा, मुंशीगंज के निर्माण कार्य की प्रगति

53—श्री जय नारायण तिवारी—

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर में मार्गीय सुविधा मुंशीगंज का निर्माण कब प्रारम्भ हुआ और उसकी क्या प्रगति है ? क्या पर्यटन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि विजेथुवा महावीरन सुल्तानपुर का पर्यटन विकास क्यों रूक गया है ?

श्री प्रमोद कुमार—

मार्गीय सुविधा मुंशीगंज का निर्माण दिसम्बर, 1982 में प्रारंभ किया गया था जिसका कार्य मार्च, 1987 तक 70 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है ।

बिजेथुआ महावीरन सुल्तानपुर में पर्यटन विकास का कार्य माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार रोक दिया गया था परन्तु अब निर्णय शासन के पक्ष में हो जाने से कार्य पुनः प्रारंभ कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद बलिया में पंजीकृत व स्वीकृत औद्योगिक इकाइयां

54—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1983-84 एवं 1984-85 में बलिया जनपद में कितनी उद्योग इकाइयां पंजीकृत हुईं और उन्हें कार्यशील पूंजी के रूप में कितना-कितना ऋण स्वीकृत हुआ तथा अब तक उन्हें कुल कितने-कितने ऋण दिए गए एवं वर्तमान में उन औद्योगिक इकाइयों की स्थिति क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां

वर्ष 1983-84	201
वर्ष 1984-85	225

स्थायी रूप से पंजीकृत की गयी इकाइयों की वित्तीय संस्थाओं से स्वीकृत कार्यशील पूंजी वर्षवार (सूची संलग्न)

वर्ष 1983-84	15 इकाई	रु0 3.50 लाख
वर्ष 1984-85	27 इकाई	रु0 7.80 लाख

स्थायी रूप से पंजीकृत इकाइयों की स्थिति

वर्ष 1983-84 में पंजीकृत 201 में से 59 इकाई कार्यरत ।

वर्ष 1984-85 में पंजीकृत 225 में से 81 इकाई कार्यरत ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 134-135 पर)

55–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

56–हृदय नरायन दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

57–श्री विष्णु देव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

58–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

59–श्री मैनेजर सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

60–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

61–श्री भगौती सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

डी0 एम0 गाजियाबाद की संस्तुति पर क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय का स्थानान्तरण

62–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी गाजियाबाद व अन्य लोगों द्वारा तत्कालीन वैयक्तिक सहायक श्री रोहतगी के भवन में स्थित क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय को पर्यटन की दृष्टि से अनुपयुक्त बताते हुए उक्त कार्यालय अन्यत्र स्थानान्तरित करने के लिए मुख्यालय को लिखा था? यदि हां, तो कब तक उक्त कार्यालय हटाया जायगा?

श्री प्रसाद कुमार–

जी हां, क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय "के"–99 सेक्टर-3 नेहरू नगर, गाजियाबाद से दिनांक 30 मार्च, 1987 को हिन्डन पर्यटन काम्पलेक्स, जी0 टी0 रोड, गाजियाबाद में स्थानान्तरित किया जा चुका है।

दुग्ध पैकेट विक्रेताओं का कमीशन बढ़ाने की मांग

63–श्री शारदा प्रताप–

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ जनपद में लखनऊ प्रोड्यूसर्स मिल्क कोआपरेटिव यूनियन द्वारा प्रति आधा लीटर दूध की पैकेट पर विक्रेताओं को वही कमीशन दिया जाता है जो उन्हें पहले आधा लीटर दूध के पैकेट के दाम एक रुपया अस्सी पैसा पर दिया जाता था जबकि अब आधा लीटर दूध के पैकेट के दाम दो रुपया पचास पैसे कर दिये गये हैं? यदि हां, तो उक्त पैकेट विक्रेताओं का कमीशन बढ़ाने का आदेश देंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आधा लीटर दूध पर जो कमीशन पूर्व में (वर्ष 1983 में) दिया जा रहा था वही अब दिया जा रहा है परन्तु वर्ष 1984-85 से विक्रेताओं की मांग के अनुसार मक्खन, घी, पनीर तथा मिल्क-केक भी बिक्री हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है जिसके फलस्वरूप विक्रेताओं की आय में सामान्य तौर पर अत्यन्त बढ़ोत्तरी हुयी है। अतः तरल दूध पर कमीशन बढ़ाये जाने का औचित्य नहीं है।

64—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद इटावा, तहसील विधूना को आबपासी में छूट की मांग

65—श्री औसान सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29 नवम्बर, 1986 तहसील विधूना, जनपद इटावा में वर्ष 1388, 1389 व 1390 फसली की आबपासी में छूट संबंधी प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

66—श्री विष्णु देव—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद बरेली में कार्यरत सस्ते गल्ले की दूकानें

67—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में पिछले 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष कुल कितनी सस्ते गल्ले की दुकानें कार्यरत थीं?

श्री हुकुम सिंह—

जनपद बरेली में पिछले 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष कार्यरत सस्ते गल्ले की दूकानों का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	कार्यरत सस्ते गल्ले की दूकानें
(1) वर्ष 1983	644
(2) वर्ष 1984	843
(3) वर्ष 1985	853
(4) वर्ष 1986	937
(5) वर्ष 1987	962

जनपद नैनीताल के बौर तथा हरीपुर जलाशयों में संचित पानी के कुप्रबन्ध हेतु दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

68—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद नैनीताल में स्थित बौर तथा हरीपुर जलाशय में 1 जनवरी, 1986 को कितने-कितने क्यूबिक फुट पानी संचित था तथा 1 जुलाई, 86 तक कितने-कितने क्यूसेक पानी इन जलाशयों से लाभान्वित होने वाले सिंचन संकर्मों को कब-कब दिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

नैनीताल जनपद में स्थित बौर एवं हरिपुरा जलाशय के जलस्तर 781.50 फुट के ऊपर एक हो जात हैं। एक जनवरी, 1986 को दोनों जलाशयों का सम्मिलित जलस्तर 793.10 फुट था और इस स्तर पर कुल संचित पानी 48.082 क्यूसेक दिवस (4,145 मिलियन घनफुट) था। 1-1-86 से 1-7-86 तक हरिपुरा जलाशय एवं बौर जलाशय से क्रमशः 22,511 क्यूसेक दिवस एवं 23,180 क्यूसेक दिवस पानी लाभान्वित होने वाले सिंचन संकर्मों को दिया गया।

69–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि मार्च, अप्रैल तथा मई के महीनों में जब सिंचाई की आवश्यकता न्यूनतम थी फिर इन जलाशयों से पानी, मांग के बिना ही नीचे स्थित हेडवर्क्स को पानी दिया जाता रहा जो अधिकांशतया बेकार हो गया परन्तु जून तथा जुलाई के प्रथम सप्ताह में नीचे के सिंचाई संकर्मों जैसे कि भकडानहर प्रणाली द्वारा इन्डेन्ट भेजने के बाद भी पानी नहीं भेजा गया? क्या मा0 मंत्री जी इन जलाशयों के प्रबन्ध देखने वाले अधिकारी के खिलाफ इस कुप्रबन्ध के लिए कोई कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मार्च, अप्रैल, मई, 1986 में पानी की मांग न्यूनतम थी और तदनुसार जलाशयों से न्यूनतम पानी मांग के अनुसार छोड़ा गया तथा पानी बेकार नहीं गया। माह जून तथा जुलाई, 86 के प्रथम सप्ताह में नीचे के सिंचाई संकर्मों द्वारा इन्डेन्ट भेजे जाने के बाद उनको पानी मांग के अनुसार दिया गया। हरिपुरा जलाशय में जल क्षमता कम होने के कारण रामपुर नहर खण्ड, रामपुर को दि0 23-6-86 से दिनांक 6-7-86 की अवधि में मांग के अनुसार पानी देना सम्भव नहीं हो सका। बौर जलाशय में साइफन के निर्माण में अवरोध न हो, के कारण केवल दो दिन की आपूर्ति में कमी करनी पड़ी। इसलिए पानी इन्डेन्ट के अनुसार नहीं दिया जा सका जिसे कुप्रबन्ध नहीं कहा जा सकता और इसके लिए किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

70–श्री हर्षवर्धन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

लखनऊ और उन्नाव जनपद की सीमा पर बसे कतिपय गांवों की सुविधा हेतु नहर की पटरी पर खड़ंजा बिछाने की मांग

71–श्री शारदा प्रताप–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ और उन्नाव जनपद की सीमा पर बसे हुए गांवों जैसे सैरोती, अर्जुनामऊ, नदौहा, महमूदपुर, जनपद उन्नाव रहीमनगर, पड़ियाना, हाजीपुर गौड़वा, हुलासखेड़ा ककौंहा सबसुखखेड़ा, बहजनामऊ, भठगवां पाण्डे आदि तथा जनपद लखनऊ में कुसुम्भी से लेकर कानपुर लखनऊ मार्ग तक लगभग 15 कि0 मी0 नहर की पटरी पर खड़ंजा बिछाने का आदेश मुख्य मंत्री द्वारा 16 मई, 1986 को अधोहस्ताक्षरी एवं श्री सच्चिदानन्द बाजपेई सदस्य, विधान सभा द्वारा दिए गए पत्र दिनांक 8 मई, 1986 पर दिया गया था? यदि हां, तो अब तक उक्त मामले में क्या प्रगति हुई एवं उक्त कार्य को कब तक पूरा किया जायगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। प्रश्न में निहित विषयक प्रश्नकर्ता व श्री सच्चिदानन्द बाजपेई, सदस्य विधान सभा के पत्र पर नहर की पटरी को खड़न्जा कराने के आदेश माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा दिये गये थे।

प्रश्न से संबंधित जैतीपुर राजबहा की पटरी को शीर्ष से आखिर तक कुल 16·60 कि0 मी0 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत खड़न्जायुक्त करने से सम्बन्धित प्राक्कलन जिलाधिकारी, उन्नाव व लखनऊ को भेजा जा चुका है। सम्पूर्ण कार्य की अनुमानित लागत रु0 21·98 लाख आंकी गयी है।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा प्राक्कलन स्वीकृत किये जाने और धन उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही कार्य आरम्भ किया जा सकेगा।

जनपद मथुरा की मांट ब्रान्च व अपर आगरा नहरों की लम्बाई

72–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में मांट ब्रान्च व अपर आगरा नहरों से संबंधित कितनी और कौन-कौन से माइनरों की लम्बाई पिछले पांच सालों में बढ़ाई गई? क्या उसी हिसाब से मुख्य रजवहों में पानी की क्षमता भी बढ़ाई गई है? यदि हां, तो कितनी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

आगरा नहर की किसी भी माइनर की लम्बाई नहीं बढ़ाई गयी है। अतः राजबहों की क्षमता बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता।

मांट शाखा के अन्तर्गत कुलावे के स्थान पर केवल खुर्रम माइनर का निर्माण किया गया है जो कि मुख्य नहर के मील 62-0-580 के बायें किनारे से निकलती है जिसका डिस्चार्ज 0·8 क्यूसेक से बढ़ाकर 3·1 क्यूसेक हो गया है। इसलिये केवल 2·3 क्यूसेक डिस्चार्ज की बढ़ोत्तरी के लिये मुख्य नहर में पानी बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता।

मांट ब्रान्च गंगा नहर प्रणाली पर स्थित निरीक्षण भवन एवं उनकी रिपेयरिंग हेतु आवंटित धन

73–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मांट ब्रान्च गंगा नहर पर कितने निरीक्षण भवन हैं? क्या इन्सपेक्शन भवनों की सालाना रिपेयर हेतु धन आवंटित किया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 1985 व 86 में प्रत्येक निरीक्षण भवन पर कितना धन आवंटित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मांट ब्रांच गंगा नहर प्रणाली पर 15 निरीक्षण भवन हैं। इन निरीक्षण भवनों की वार्षिक मरम्मत हेतु धन आवंटित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 1985-86 में इन गत प्रत्येक निरीक्षण भवन की मरम्मत हेतु रु0 350/- का आवंटन किया गया।

विराट सागर बांध परियोजना (झांसी) पर कार्यरत मस्टर रोल मजदूरों की मजदूरी का भुगतान

74—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड द्वितीय झांसी द्वारा विराट सागर बांध परियोजना पर जनवरी से मार्च, 1986 में जो सर्वे कार्य लगभ 200 मजदूरों द्वारा मस्टर रोल पर कराया गया था, को मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो एक वर्ष तक मजदूरों की मजदूरी का भुगतान न करने के लिए कौन दोषी है? क्या मंत्री जी मजदूरों का शीघ्र भुगतान करा कर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विराट सागर बांध परियोजना पर जनवरी से मार्च, 1986 में कराये गये सर्वे कार्य का भुगतान किया जा चुका है।

मजदूरों के भुगतान में विलम्ब के निम्नलिखित कारण थे :—

(1) अधिकतर मस्टर रोल पर ग्राम व पते अंकित नहीं थे तथा मजदूर दूसरे स्थानों पर कार्य हेतु चले गये थे।

(2) साख सीमा का बहुत कम उपलब्ध होना।

अतः विलम्ब के लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है। फिर भी जिन कारणों से मजदूरों के भुगतान में विलम्ब हुआ उसके लिए संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को भविष्य में सतर्कता बरतने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

जनपद बस्ती के नरकटहा टाउन प्रोटेक्शन बांध हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

75—श्री हरिश्चन्द्र 'हरीश जी'—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में राप्ती नदी के बाएं तट पर बने नरकटहा टाउन प्रोटेक्शन बांध में ली गयी भूमि का मुआवजा भूस्वामियों को दिया जा चुका है? यदि हां, तो किस दर से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूरी हो जाने पर मुआवजा वितरित किया जायेगा।

76—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

77—श्री विष्णु देव—

[6वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 153 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मे0 माडर्न क्राकरी इण्डस्ट्री गडेर, जनपद देवरिया को उपलब्ध कराया गया धन

78—श्री अर्जुन सिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माडर्न क्राकरी इण्डस्ट्री, गडेर, जनपद देवरिया को उद्योग विभाग द्वारा स्वीकृत सारे धन को उपलब्ध करा दिया गया है और यह उद्योग चल रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उद्योग मंत्री ने इस उद्योग को चलाने के लिए प्रमुख सचिव, उद्योग को जनवरी, 1987 में कोई आदेश दिया था?

यदि हां, तो उसका अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मे0 माडर्न क्राकरी इण्डस्ट्रीज, देवरिया को उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा कुल स्वीकृत ऋण 6.33 लाख रुपये में से 3.874 लाख रुपए वितरित किए गए । इसके अतिरिक्त जिला उद्योग केन्द्र द्वारा कुल स्वीकृत 42,700 रुपये भी उपलब्ध कराये गए । इकाई द्वारा स्वयं का अंशदान व वांछित प्रत्याभूति न दिए जाने के कारण इकाई उत्पादन नहीं कर सकी ।

जी नहीं । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

79–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

80–श्री विष्णु देव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

81–श्री राज किशोर सिंह–

[4थे बुधवार के लिए स्थगित]

82–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

बहादुरगढ़ रजवाहा को अनूपशहर ब्रांच नहर, जिला बुलन्दशहर से जोड़ने का प्रस्ताव

83–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्याना क्षेत्र की जनता की तरफ से बहादुरगढ़ रजवाहा को अनूपशहर ब्रांच नहर, जिला-बुलन्दशहर से जोड़ने का प्रार्थना पत्र हाल में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रस्ताव का विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त परीक्षण किया जा रहा है ।

84–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

मेरठ व गोरखपुर मण्डल में पशु चिकित्सालयों की संख्या

85–श्री राजेन्द्र शर्मा–

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ मण्डल व गोरखपुर मण्डल में कुल कितने पशु चिकित्सालय हैं ? क्या यह सही है कि पशुओं में बीमारी के अनुपात को देखते हुए मेरठ मण्डल में पशु चिकित्सालयों की बहुत कमी है ? यदि हां, तो तो सरकार बीमारियों की अधिकता को देखते हुए पशु चिकित्सालयों की संख्या बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

वर्तमान में मेरठ मण्डल में 114 व गोरखपुर मण्डल में 199 पशु चिकित्सालय हैं ।

पशुओं में बीमारी की संख्या को देखते हुए गोरखपुर मण्डल की अपेक्षा मेरठ मण्डल में पशुओं के उपचार हेतु पशु चिकित्सालयों की कमी है ।

पशु चिकित्सालयों की स्थापना जिला योजना का अंग है । जिला नियोजन समिति द्वारा किसी स्थान पर पशु चिकित्सालय की स्थापना करने हेतु उसकी संस्तुति प्राप्त होने पर तथा परिव्यय उपलब्ध होने की दशा में पशु चिकित्सालय के स्थापना की स्वीकृति दी जाती है ।

जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद की कड़ा बैंगिल एसोसिएशन नामक फर्जी संस्था को कोयला आपूर्ति

86—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद में कड़ा बैंगिल और छड़ा बैंगिल की कार्यरत कुल 7-8 पकाई भट्ठी हैं और इन पुरानी इकाइयों के आस-पास अन्य एक भी भट्ठी नहीं है ? यदि हां, तो क्या वर्ष 85-86 और 1986-87 कड़ा बैंगिल एसोशिएशन, फिरोजाबाद नामक फर्जी संस्था को कड़ा एवं छड़ा बैंगिल यूनिटों के लिए रानीगंज कोल फील्ड से एक ट्रक कोयला दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । अपितु जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद में कड़ा बैंगिल और छड़ा बैंगिल की कुल क्रमशः 50 व 5 पकाई भट्ठी हैं । चूंकि 7-8 पकाई भट्ठियों के विशिष्ट नाम नहीं दिए गए हैं अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि इनके आस-पास अन्य भट्ठी है या नहीं है ।

मे0 कड़ा बैंगिल एसोशिएशन फिरोजाबाद नामक संस्था फर्जी संस्था नहीं है । वर्ष 1985 86 में इस संस्था को 179 बैगन कोयला रेल द्वारा तथा 1716 मी0 टन कोयला रोड द्वारा आवंटित किया गया था । वर्ष 1986-87 में उक्त संस्था के पक्ष में कोई कोयला आवंटित नहीं किया गया है ।

87—श्री शारदा नन्द अंचल—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

88—श्री अफजाल अंसारी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

89-90—श्री अफजाल अंसारी—

[5वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 156-157 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोरखपुर के ब्लाक भटहट के ग्राम आराजी चिलबिलवा से ग्राम बरगदही तक नाले के किनारे बंधे का निर्माण

91—श्री सैय्यद जावेद अली सब्जपोश—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर विकास खण्ड भटहट के ग्राम आराजी चिलबिलवा से ग्राम बरगदही तक पूरा नाले के किनारे बांध बनाने के लिए कई वर्षों पूर्व भूमि एक्वायर कर ली गई थी और मुआवजा भी किसानों को दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसी वर्ष बांध बनवाने का कार्य आरम्भ करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद-गोरखपुर विकास खण्ड भटहट के ग्राम बाराजी चिलबिलवा से ग्राम बरगदही तक तुर्रा नाले के किनारे बांध बनाने की कोई योजना नहीं बनाई गई है और न ही इसके लिए प्रश्नगत ग्रामों की भूमि अधिग्रहीत की गयी है । अतः बांध बनाने का प्रश्न नहीं उठता है।

गोरखपुर के कृषकों की नहर हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

92–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर विकास खंड भटहट के ग्राम सखनी के किसानों की भूमि 15 वर्षों पूर्व एक्वायर कर नहर बनाई गई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम के किसानों को भूमि का मुआवजा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

मुआवजा संबंधित काश्तकारान के नाम बनाया गया और उनके न लेने पर कोषागार में जमा कर दिया गया । उक्त ग्राम के कुछ किसान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अपना मुआवजा प्राप्त कर चुके हैं ।

गोरखपुर के कृषकों की कंथवलिया माइनर हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

93–श्री सैय्यद जावेद अली सब्जपोश–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर वि0 खं0 भटहट के ग्राम कंथवलिया एवं मलिखेर के किसानों को कंथवलिया माइनर के लिए जो भूमि आज से 5 वर्ष पहले अधिग्रहीत की गयी थी उसका मुआवजा किसानों को अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मुआवजा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

ग्राम कंथवलिया के किसानों को मुआवजा का भुगतान हो चुका है तथा ग्राम मलिखेर कंथवलिया माइनर के समरेखन में नहीं है ।

गोरखपुर के कतिपय ग्रामों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्यास नाले पर जल सेतु का निर्माण

94–श्री सैय्यद जावेद अली–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि गोरखपुर जनपद के ग्राम बरगदवा मंकापुर निमनिया इत्यादि पचासों ग्रामों की भूमि की सिंचाई के लिए प्यास नाले पर जल सेतु बना कर बुधना डी0 वाई0 द्वारा सिंचाई पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक निर्णय ले लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

गोरखपुर जनपद के प्यास नाले पर जल सेतु बनाकर बुधना डी0 वाई0 से ग्राम–बरगदवा मंकापुर निमनिया इत्यादि ग्रामों की भूमि की सिंचाई के लिए कोई योजना विचाराधीन नहीं है क्योंकि गण्डक नहर में अतिरिक्त पानी उपलब्ध नहीं है ।

गुरसहाय नहर प्रणाली की सफाई की मांग

95–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि गुरसहाय नहर प्रणाली की सफाई, रबी 1394 फसली में नहर चलने से पूर्व कराई गई थी तथा नहर चलने के बाद माह नवम्बर में नहर के धमना हेड से लगभग दस किलोमीटर तक नहर में जमी घास की सफाई कराने में कितना-कितना धन व्यय किया गया ? क्या यह सही है कि रबी 1394 फसली में नहर चलने से पूर्व नहरों की सफाई न कराये जाने के कारण ही नहर चलने के बाद नहर द्वारा पानी न दे पाने पर माह नवम्बर में सफाई कराना पड़ा है ? यदि हां, तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध वित्तीय घोटाले की कठोर कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

नहर में जमी घास की सफाई पर कोई धन व्यय नहीं किया गया ।

जी नहीं ।

वित्तीय घोटाले का कोई प्रकरण जानकारी में नहीं आया है अतः इस स्तर की जांच का प्रश्न नहीं उठता है ।

96–श्री पारस नाथ यादव–

[4थे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 163 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

97–श्री भगौती सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद के अन्तर्गत रामपुर नहर खण्ड, रामपुर के तृतीय उपखण्ड कैमरी सेक्शन में बनी पीलाखर सिस्टम पर केवल बोल्डर की आपूर्ति में घोटाला

98–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सिंचाई कार्य मण्डल मुरादाबाद के अन्तर्गत रामपुर नहर के तृतीय उपखण्ड में 1984-86 तक कैमरी सेक्शन में बनी पीलाखार सिस्टम पर बोल्डर एवं बल्लियों की आपूर्ति हेतु अनुबन्ध संख्या 5/ई0 ई0 83/84 एवं 3/ई0 ई0, 85-86 बल्ली इत्यादि के अन्तर्गत भारी घोटाला किया गया है जिसकी अनुमानतः राशि लगभग दस लाख रुपए है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच कर उन्हें दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद के अन्तर्गत रामपुर नहर खण्ड, रामपुर के तृतीय उपखण्ड में 1984–86 तक कैमरी सेक्शन में बनी पीलाखार सिस्टम पर केवल बोल्डर की आपूर्ति हेतु अनुबन्ध संख्या–3/ई0 ई0/85-86 निर्गत किया गया । इस कार्य के प्रति रुपया 1,50,752.00 का व्यय हुआ है ।

अनुबन्ध संख्या–5/ई0 ई0/83-84 केवल मिट्टी के कार्य के लिए किया गया । इस कार्य के लिए रु0 30,300.00 का व्यय हुआ है । इस प्रकार दोनों अनुबंधों के विरुद्ध रु0 1,81,052.00 का कुल व्यय किया गया है न कि रुपया दस लाख (रु0 10,000,00.00) का । उपरोक्त कार्यों में घोटाले का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

99–श्री मो0 रिजवानुल हक–

[6ठे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 154 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

100–श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद झांसी की बड़वार नहर प्रणाली को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने की मांग

101–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि झांसी जिले की गरौठा तहसील की बड़वार नहर प्रणाली को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने की दृष्टि से बेतवा नहर द्वारा बड़वार झील में पानी छोड़ने की योजना शासन के विचाराधीन है, जिसका सर्वेक्षण पहले ही किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या इसे सातवीं पंच वर्षीय योजना में लिए जाने पर शासन विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बड़वार नहर प्रणाली को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गुरसराय नहर द्वारा बड़वार झील को जोड़ने के प्रस्ताव का अभी प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया है । जब तक विस्तृत सर्वेक्षण, परीक्षण व परियोजना प्राक्कलन की स्वीकृति नहीं मिल जाती इसे सप्तम पंचवर्षीय योजना में शामिल किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बंदेरिया ब्लाक रामपुर कारखाना स्थित सिंधुआताल से निकली डुमरी व सिंधुवा ड्रेनों की सफाई व सिंचन क्षमता

102–श्री मयंकर सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के पहले बुधवार दिनांक 12-2-86 के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 120 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त दोनों डुमरी व सिंधुवा ड्रेनों का सिंचाई क्षेत्र कितना है और कितने क्षेत्र पर बुआई की जाती है और कितने क्षेत्रों पर बुआई नहीं की जाती है ? क्या इसकी जांच पड़ताल की गयी है ? जिन क्षेत्रों पर बुआई नहीं हुई है या नहीं होती है, तो उसके क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी दोनों ड्रेनों की सफाई का पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या निरीक्षण कर इन ड्रेनों की सफाई कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

डुमरी एवं सिंधुवा ड्रेनों से सिंचाई नहीं की जाती है । अतः उनका कोई सिंचाई क्षेत्र नहीं है । कुछ गहरे भाग को छोड़कर शेष भागों में बुवाई होती है । जी हां भू-स्तर नीचा होने के कारण बुवाई होना सम्भव नहीं है । दोनों ड्रेनों की सफाई वर्ष 1984-85 में की गई थी । डुमरी ड्रेन पर रु0 1891/- एवं सिंधुवा ड्रेन पर रु0 3074/- व्यय हुआ था । आवश्यकतानुसार सफाई कराई जाती है ।

103–श्री भगौती सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

गढ़मुक्तेश्वर गाजियाबाद में पर्यटकों के लिए मार्गीय सुविधा

104—श्री कनक सिंह—

क्या पर्यटन मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के दूसरे मंगलवार के अता0 प्रश्न सं0 39 के उत्तर के सन्दर्भ में उन्होंने स्वीकार किया है कि गढ़ मार्गीय सुविधा के लिए पर्यटक स्थल का न तो निर्माण किया गया है और न ही कोई धन इस पर खर्च किया गया है ? यदि हां, तो क्या पर्यटन मंत्री को यह भी जानकारी है कि पर्यटन विभाग उ0 प्र0 के कार्य कलाप 1985-86 की बुकलेट के पेज 26 के आइटम नं0 3241 पर यह अंकित है कि गढ़मुक्तेश्वर में 8 बिस्तर की मार्गीय सुविधा निर्माणाधीन है? यदि हां, तो इसका क्या आधार है? क्या यह सही है कि उक्त पर्यटक स्थल पर 3 कमरे बने खड़े हैं ?

श्री प्रमोद कुमार—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के दूसरे मंगलवार हेतु निर्धारित अता0 प्रश्न सं0—39 में यह पूछा गया था, क्या गढ़मुक्तेश्वर गाजियाबाद में कोई मार्गीय सुविधा उपलब्ध कराई गयी है ? यदि हां, तो कितने पर्यटक अब तक वहां ठहरे तथा वहां के अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या क्या है ? यदि हां, तो कितनी लागत से इसका निर्माण हुआ तथा क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

क्योंकि मार्गीय सुविधा निर्माणाधीन थी अतः पर्यटकों के लिये उपलब्ध नहीं थी। मार्गीय सुविधा का प्रारम्भिक आगणन रु0 3·81 लाख था जो दो बार पुनरीक्षित होने के उपरान्त रु0 10·81 लाख हो गया है। आगणन पुनः पुनरीक्षणाधीन होने के कारण तथा कार्य निर्माणाधीन होने के कारण निश्चित लागत नहीं बतायी जा सकती थी यह उत्तर दिया गया था।

जी हां। ऊपर स्पष्ट किया गया है कि गढ़मुक्तेश्वर में मार्गीय सुविधा निर्माणाधीन थी।

ऊपर स्थिति स्पष्ट की गई है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत आख्या के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 1987 तक योजना का 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

105—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

सदन में प्रस्तुत अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिवेदन में उल्लिखित संस्तुतियों पर कृत कार्यवाही

106—श्री फजलुल बारी—

क्या सरकार प्रथम सत्र 1986 में प्रस्तुत अल्प संख्यक आयोग के प्रतिवेदन में उल्लिखित संस्तुतियों पर कार्यवाही करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रथम सत्र 1986 में विधान मण्डल में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक आयोग के प्रतिवेदन 1983-84 में उल्लिखित संस्तुतियों पर आवश्यक कार्यवाही, संस्तुतियों से संबंधित विभागों द्वारा की जानी है। एतदर्थ, संबंधित विभागों को प्रतिवेदन की प्रतियां उपलब्ध कराते हुये शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है ।

सहायक खाद्य आयुक्त गोरखपुर मण्डल द्वारा पूर्ति निरीक्षकों के स्थानान्तरण में अनियमितता की शिकायत

107–श्री मैनेजर सिंह–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 86 में गोरखपुर मण्डल में पूर्ति निरीक्षकों के मनमाने ढंग से स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में सहायक खाद्य आयुक्त, गोरखपुर मण्डल के विरुद्ध पक्षपात तथा भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां। प्रश्नगत शिकायतों में उल्लिखित तथ्यों की जांच अपर आयुक्त (प्रशासन), गोरखपुर, मण्डल, गोरखपुर से कराई गई और जांचोपरान्त शिकायतें निराधार पाई गई।

108–श्री कुशल पाल सिंह–

[4थे बुधवार के लिए स्थगित]

पंजाब में हुए बस हत्याकांड पर चर्चा किये जाने की मांग

(विरोध पक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर घोर व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष–

पहले 301 हो जाय उसके बाद सुनूंगा, पहले 301 हो जाने दें। माननीय शतरुद्र प्रकाश जी, कल्यान सिंह जी आप सब लोग बैठें।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, मैं ऐसा समझता हूं कि जो हृदय विदारक घटना हुई है यह 300 और 301 से ज्यादा महत्वपूर्ण है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(घोर व्यवधान)

(विरोध पक्ष के कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हो गये)

(व्यवधान के मध्य)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग आसन ग्रहण करें, अभी मैं किसी को नहीं सुन रहा हूं। ऐसा है कि शतरुद्र प्रकाश जी भी कह रहे हैं कि व्यवस्था का प्रश्न है और आप भी कह रहे हैं कि व्यवस्था का प्रश्न है। एक बार आप सभी लोग बैठ जाइये, तब मैं सुन सकूंगा। अभी तो जितने माननीय सदस्य खड़े हैं, सभी बोलना चाहते हैं। आप लोग आसन ग्रहण करें, तब मैं कोई बात सुनूंगा।

अब मैं 301 ले रहा हूं, उसके बाद आप सबको सुनूंगा।

(घोर व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, आप जो नियम 301 की सूचनाएं ले रहे हैं, उसी के बारे में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

यह तो रोजाना नियम 301 की सूचनाएं ली जाती हैं।

(घोर व्यवधान)

(श्री कल्यान सिंह के पुकारे जाने पर)

(व्यवधान के मध्य)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा नियम 311 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव है। मान्यवर, आप नियम 301 लेने जा रहे हैं। मान्यवर, पहले आप मेरी एक बात सुन लें, तब उसके बाद नियम 301 लें। मेरा निवेदन है कि प्रश्नोत्तर काल के बाद एक प्रस्ताव आपके समक्ष विचाराधीन है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने माननीय कल्यान सिंह को बुला लिया है। आप अपना आसन ग्रहण करें।

(व्यवधान के मध्य)

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, मैंने नियम 110 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव दिया है। नियम 110 के अन्तर्गत बिना किसी सूचना के भी कोई प्रस्ताव रखा जा सकता है। मैंने तो अपने प्रस्ताव का नोटिस भी आपके पास भेज दिया है। मान्यवर यह जो 6/7 जुलाई, 1987 की रात्रि में पटियाला (पंजाब) के ग्राम लालडू के निकट तथा हरियाणा में सिरसा जिले में फतेहाबाद मार्ग के दरियापुर पुल पर आतंकवादियों द्वारा अमानवीय एवं नृशंस हत्या काण्ड हुआ है, जिसमें 74 आबाल वृद्ध, नर-नारियों की नरबलि हुई है, मैं नहीं समझता हूं कि इसको पहले न लिया जाय और नियम 301 पहले ले लिया जाय। मान्यवर, सारे नियमों को आप निलंबित करके, इसको पहले ले लें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

यह अभी नहीं आ सकता है, संदेश चाहे बधाई का हो या शोक का हो, चाहे खुशी का हो, जब अनुज्ञा मिलेगी, तभी कोई प्रस्ताव लाया जा सकता है।

(श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री राम आसरे वर्मा तथा अन्य कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, अभी माननीय कल्यान सिंह जी ने नियम 110 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव की सूचना दी है और जिस विषय के बारे में दिया है वह विषय बहुत गंभीर और विचारणीय है और निश्चित तौर पर उस पर यहां विचार करना चाहिए। हम लोगों ने भी नियम 311 के अन्तर्गत उसी घटना के सम्बन्ध में एक सूचना दिया है और यह कि नियमों को निलम्बित किया जाय और प्रश्नोत्तर काल के तुरन्त बाद इस घटना पर विचार किया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाय। हमारा प्रस्ताव है कि माननीय कल्यान सिंह जी ने अपना प्रस्ताव दिया है जिसमें राजेन्द्र गुप्त जी और कई अन्य माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं तथा हम लोगों ने जो दिया है उसमें माननीय राम नरेश जी, राम आसरे वर्मा जी तथा अन्य कई माननीय सदस्यों के नाम हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इससे गम्भीर कोई बात हो नहीं सकती है इसलिए आप पहले नियमों को निलंबित करके इसको ले लीजिए उसके बाद 301 की सूचना आप बाद में ले लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष–

बात आपकी सही है। संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

उपाध्यक्ष जी, जहां तक इस दुखद घटना का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि जिस व्यक्ति के भी सीने में दिल है वह इससे अवश्य प्रभावित हुआ होगा और इसमें चाहे इस तरफ के बैठने वाले हों या उस तरफ के बैठने वाले, सबको बराबर का दुख है और जो लोग जिनके परिवारों में यह घटना घटी है, जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं, उनके साथ हमें पूरी हमदर्दी है और हम अपनी संवेदना भेजते हैं। मान्यवर, 110 में जो प्रस्ताव की बात कही गई, यह परम्परा रही है कि इस प्रकार के प्रस्ताव नेता सदन की अनुमति से लाये जाते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप लोग भी बैठ जायं और हम लोग भी बैठ जायं और एक प्रस्ताव ले आयें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इस समय जो प्रस्ताव रखा गया उस पर मैं दो बातें कहना चाहूंगा। मान्यवर, यह बात सही है कि इस तरह के प्रस्ताव, जब कहीं कोई संवेदनशील घटना घट जाय तो नेता सदन के परामर्श से आने चाहिए लेकिन मान्यवर, नेता सदन एक व्यक्ति का नाम अवश्य हो सकता है लेकिन पद कभी रिक्त नहीं रह सकता है। हम लोगों ने यह प्रस्ताव साढ़े नौ बजे दिया था और इस समय साढ़े बारह बज रहे हैं इतने अन्तराल में नेता सदन कहीं भी होते उत्तर प्रदेश के अन्दर, उनसे परामर्श हो सकता था, अगर यह सरकार विचार करना चाहती तो, इस प्रकार की बात कहकर अप्रत्यक्ष रूप से इस बात को नकारना है। यदि नेता सदन नहीं थे तो उनके उप नेता हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, मंत्रि-मण्डल के वरिष्ठ सदस्य हैं। कई बार ऐसे अवसर आये हैं कि निधन के आदेश नेता सदन ने न रखकर संसदीय कार्य मंत्री ने रखा है और आज योग्य संसदीय कार्य मंत्री द्वारा नेता सदन के परामर्श का बहाना लेकर इस गम्भीर विषय पर चर्चा को टालना सुखद बात नहीं है। यह एक नृशंस अत्याचार की एक अभूतपूर्व घटना है। मान्यवर, मरने वाले 74 लोग हैं और उसमें अधिकांश लोग उत्तर प्रदेश के हैं इसलिए हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम इस पर सब काम रोककर सदन में विचार करें। नेता सदन हों या न हों, इस पर प्रस्ताव आना चाहिए सत्तापक्ष की तरफ से और इस पर चर्चा के लिए आप घोषणा करें, मान्यवर।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब कुछ नहीं लिखा जायेगा, गुप्ता जी व सभी माननीय सदस्य, कृपया विराजे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, इस पर दो प्रस्ताव आ चुके हैं एक तो माननीय कल्यान सिंह जी की तरफ से नियम 110 के तहत और दूसरा 311 के तहत हम लोगों की तरफ से मा0 शतरुद्र प्रकाश जी ने प्रस्तुत किया है और दोनों प्रस्तावों की भावना एक ही है मान्यवर और इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा है यही प्रश्न बड़ा संवेदनशील प्रश्न है और इस हृदय विदारक घटना पर वह भी स्तब्ध हैं और हम लोग भी स्तब्ध हैं, दोनों की भावनाएं इस पर एक हैं तो मान्यवर, जब ऐसी स्थिति आ गयी है तो मा0 नेता सदन में हों या न हों सदन तो चलेगा ही और संविधान के अनुसार मंत्रि परिषद् का उत्तर संयुक्त दायित्व भी होता है तो ऐसी स्थिति में नेता सदन के अलावा जो भी वरिष्ठ मंत्री यहां पर मौजूद हैं, वह इस प्रस्ताव को ला सकते हैं क्योंकि इससे महत्वपूर्ण और दुखद घटना इस देश व प्रदेश के इतिहास में नहीं देखी गयी है कि एक जगह पर इतनी निर्मम हत्याएं हो जाएं और हम सब मौन बने रहें।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस संबंध में प्रस्ताव लाना तो चाहते हैं, उन्होंने मना कहां किया है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

लेकिन आप तो इसकी इजाजत नहीं दे रहे हैं, जब मान्यवर आप इसको नियम 301 के बाद लाना ही चाहते हैं, तो इसको पहले ही ले लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष–

अब ले तो लिया है, और बगैर हमारी सुने आप लोगों ने कहना शुरू कर दिया।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

अगर मान्यवर आपने ले लिया है तो आपको मेरी तरफ से मुबारकबाद है।

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं अब मैं इस पर इजाजत नहीं दे रहा हूं, कृपया बैठें।

(घोर व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, बड़ा गम्भीर मामला है, इसमें उत्तर प्रदेश के लोग भी मारे गये हैं। मुझे केवल इतना निवेदन करना है कि सदन चल रहा है और जन-प्रतिनिधि होने के नाते क्या हम लोग इस पर अपनी संवेदना भी नहीं प्रकट कर सकते हैं, क्या हम अपना कर्तव्य इतना भी नहीं निभा सकते हैं कि जिन लोगों द्वारा यह घटना घटी है, उन्होंने गलत काम किया है, उनकी आलोचना भी हम नहीं कर सकते हैं। अगर इसको नियम 301 के बाद लेना चाहते हैं तो पहले ले लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष–

जो प्रस्ताव आप लोग लाना चाहते हैं, ऐसे प्रस्ताव नियम 311 के अन्तर्गत शोक से संबंधित हों, या खुशी से नेता सदन की तरफ से आने चाहिए, मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं। कृपया सभी लोग बैठ जाएं।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, नियम 110 और नियम 311 दोनों को एक प्रस्ताव के रूप में मिला कर लिया जाए और इस बात का सदन में मतदान करा लिया जाए और देख लें कि लोग किस राय के हैं कि पहले इस पर अन्य कार्य को रोकर चर्चा कराई जाए या नेता सदन की ओर से पहले इस पर शोक प्रस्ताव आए, तब उसके बाद इस महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की जाए, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपना इस पर व्यवस्था दे दें।

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहेंगे?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

इसको नियम 110 में लाया जा सकता है और जहां तक निलंबन का प्रश्न है, यह मान्य नहीं है। इसको 110 में ले लिया जाय, मा0 नेता सदन से परामर्श करके, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

अगर आपको प्रस्ताव स्वीकार नहीं है तो अस्वीकार कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अपनी व्यवस्था दे चुका हूं कि सदन की जो परम्परा रही है, उसके अनुसार ही काम चलेगा ।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, नियमों के निलम्बन के लिये कोई जरूरी नहीं है कि नेता सदन की ओर से ही प्रस्ताव आए ।यह परम्परा कहीं भी नहीं है कि नियमों के निलम्बन के लिये विपक्ष की ओर से प्रस्ताव नहीं आ सकता।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

(घोर व्यवधान के मध्य) मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने नियम 110 के सम्बन्ध में मा0 नेता सदन से परामर्श की बात कही है, लेकिन यदि नेता सदन उपस्थित न हों तो वे स्वयं सक्षम हैं इस प्रस्ताव को लाने के लिये।

(घोर व्यवधान)

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मैं बड़े ही अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि 74 लोगों की हत्याएं हुई और शोक संवेदना या भावार्पण के लिये कोई बहस हो। इस पर दो प्रस्ताव आए हैं नियम 110 और 311 में और प्रश्न यह है कि इसको 301 के पहले लिया जाय, या बाद में लिया जाय। इससे महत्वपूर्ण विषय और क्या हो सकता। नेता नहीं है तो क्या यह आदरणीय सदन नहीं चलेगा, देश और प्रदेश नहीं चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री हैं। इनका दायित्व था कि यह प्रस्ताव उधर से आता । इससे पहले भी और कई अवसर आए हैं। इतनी भयानक घटना हुई है। इसमें उत्तर प्रदेश के लोगों का इन्वाल्वमेंट है, जो लोग मारे गये हैं उनमें अधिकांश लोग उत्तर प्रदेश के हैं। क्या हम इतने हृदयहीन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो गाते हैं कि इस प्रकार के प्रस्ताव पर भी बहस हो सकती है । आप नियमों को निलम्बित कीजिये। अगर इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो यह मानवीयता पर कलंक होगा। प्रदेश के लोग क्या कहेंगे कि ऐसे सवालों पर भी विवाद हो रहा है कि बहस हो या न हो। नियमों का निलम्बन कर इस पर चर्चा हो कि नहीं, इस पर भी विवाद होगा। आप नियमों को निलम्बित करके इस पर चर्चा करावें।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, यह जो पंजाब और हरियाणा में हमारे प्रदेश के लोग मर गये हैं, इससे आज आपके विवेक के इस्तेमाल होने का सवाल जुड़ गया है। मान्यवर, सारा देश स्तब्ध है और वैसे तो लोग अपने स्तर से श्रद्धांजलि दे सकते थे, लेकिन विशेष रूप से चूंकि सदन बैठा है और हमें मौका है कि यह जो पूरे प्रदेश का सवाल है, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। इस तरह के प्रस्ताव पर इनको आपत्ति नहीं करनी चाहिए। लोग बाहर अखबारों में इस बात को पढ़ेंगे कि असेम्बली में बहस हुई कि मरने वालों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की जायं या नहीं, तो क्या कहेंगे? हमारे सिर शर्म से झुक जाएंगे (घोर व्यवधान) आप दोनों नियमों को जोड़ दीजिये। आज नियमों की बात नहीं है, आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आप नियमों को निलम्बित कीजिये ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठिये ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । तीन तरह की सूचनाएं इस सदन में आयी हैं। एक यह कि जो भी नियम हैं, उनको निलम्बित करके चर्चा करा लें, दूसरे मा0 कल्यान सिंह जी ने कहा है कि उन्होंने संवेदना और श्रद्धांजलि का प्रस्ताव भेजा है और तीसरा यह कि इस पर तमाम कामरोको प्रस्ताव आए हैं। मान्यवर, तीनों की भावनाएं एक हैं और उसी के ऊपर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। यह सही है कि इस माननीय सदन की परम्परा रही है कि इस तरह के संवेदनशील, श्रद्धांजलि या किसी को धन्यवाद देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से और नेता सदन की तरफ से लाया जाता रहा है। मान्यवर, एक अहम् मसला था उसके बारे में हमने सूचना भेजी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री को वह सूचना मिल गयी। नेता सदन न हों, तो कैबिनेट तो यहां पर है। सारे मामलों पर आप ज्वाइंट रिसपांसिबिल्टी की बात प्लीड करते हैं, इस मसले पर नियमों को निलम्बित भी रखा जा सकता है। नेता सदन आयेंगे तो यह बात तय होगी, यह क्या बात है? इस सदन में जो इस समय इसी पर जो विवाद बहस हो रही है, उससे सारे देश में प्रदेश में लोगों के मन में कौन सी भावना बैठेगी? इनको आप 5–10 मिनट ड्राफ्टिंग के लिए समय अपनी पीठ से दे सकते हैं। अगर ऐसी घोषणा हो जाय कि इतने बजे, इतने समय पर, इन्हीं की तरफ से यह प्रस्ताव आयेगा, तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर यह इतना भी न करायें तो इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि नियमों को निलम्बित करके इस पर तुरन्त चर्चा करायी जानी चाहिए।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, मुझे बड़ा खेद है कि ऐसे विषय पर इतनी देर से चर्चा हो रही है,

जिस पर इस प्रकार की बहस की आवश्यकता नहीं है। हम में से क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इन 74 मृतकों या उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना न रखता हो? अत्यन्त खेद है कि सरकार ने इतने संवेदनशील मामले में अपनी हृदयहीनता का परिचय दिया है। यह कहना कहां तक उचित है कि नेता सदन यहां पर नहीं है, उनके परामर्श के बिना शोक प्रस्ताव नहीं हो सकता? मान्यवर, आज ही सदन प्रारम्भ होने से पूर्व, मेरी मुलाकात संसदीय कार्य मंत्री जी से हुई थी, और इस सम्बन्ध में बातचीत भी हुई थी। उनसे मैंने यही कहा था कि अच्छा रहेगा कि इस संवेदनशील मसले पर सरकार की तरफ से प्रस्ताव आ जाये। उन्होंने कहा कि नेता सदन नहीं है, उनसे परामर्श कर लें। उस समय से अब तक, माननीय संसदीय कार्य मंत्री को बहुत समय मिला। मान्यवर, नेता सदन नहीं है, तो क्या सरकार नहीं है? संयुक्त उत्तर-दायित्व की भावना नहीं है? इतने संवेदनशील मसले पर संसदीय कार्य मंत्री सक्षम नहीं है? मान्यवर, जिस पर कोई विवाद नहीं है, 74 लोगों की जानें गयी हैं, इस घटना से पूरा राष्ट्र स्तब्ध है। इस लोमहर्षक घटना ने सिद्ध कर दिया है कि आतंकवादियों का उग्रवाद कितना बढ़ गया है। मान्यवर, इतने गम्भीर विषय पर यह सरकार अपने पत्थर दिल और हृदयहीनता का परिचय दे रही है। नेता सदन नहीं है, उसका बहाना लेकर इस गम्भीर मसले को टालने की कोशिश कर रही है। मान्यवर, सरकार की इस हृदयहीनता के खिलाफ मैं और मेरा दल थोड़े समय के लिए इस सदन का त्याग करता है।

(श्री कल्यान सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

*श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, 74 लोगों की दर्दनाक हत्या से पूरा देश, पूरा प्रदेश, स्तब्ध रह गया है। मान्यवर, जब पूरे देश, पूरे प्रदेश की जनता यह सुनेगी कि इतने संवेदनशील विषय पर चर्चा के लिए ही विधान सभा में तमाम विवाद होता रहा, नियमों के निलम्बन के प्रस्ताव पर ही विवाद होता रहा, तो क्या सोचेगी? सत्तापक्ष इतने गम्भीर और अहम मसले को नेता सदन के परामर्श का बहाना लेकर टालने की कोशिश की, इससे बड़ी क्षोभ की बात और कोई नहीं हो सकती। पूरे प्रदेश की भावना इस घटना के साथ में जुड़ी हुई है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर जो प्रस्ताव माननीय शतरुद्र प्रकाश, मैंने और अन्य साथियों ने मिलकर रखा हो, उस पर जोर देते हुए कहना चाहता हूं कि नियमों को निलम्बित करके इस प्रस्ताव को लाया जाय।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, जो घटना हरियाणा, पंजाब के अन्तर्गत हुई है जिसमें काफी लोगों की जानें गयी, मैं समझता हूं कि यह केवल वहां की घटना ही नहीं है, बल्कि मान्यवर, यह सूचक है कि किस तरह से उग्रवाद बढ़ रहा है। बेहतर होता कि आज सत्ता पक्ष ही नियमों के निलम्बन का प्रस्ताव लाता।

संवेदन का प्रस्ताव लाते और उन परिवारों के व्यक्तियों के प्रति, जिनकी जानें गई हैं, संवेदना प्रकट करते। यह कोई ऐसा मुद्दा भी नहीं था, जिससे सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हो और कोई विवाद हो। पहले तो सत्ता पक्ष को यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रस्ताव लाना चाहिए था, यदि वह नहीं लाये हैं तथा विपक्ष की ओर से ऐसा प्रस्ताव आया है तो इसे स्वीकार करना चाहिए और यह एक मानवीय कर्तव्य भी है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आप इस पर व्यवस्था दें। नियमों के अन्तर्गत जो हमको अधिकार प्राप्त हैं, उसी के हिसाब से प्रस्ताव लाया गया है।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा और जहां तक प्रस्ताव का सम्बन्ध है, उससे मैं ही नहीं, पूरा सदन सहमत है सिर्फ इसको फारमल शेप देने की बात है। जो नियमों में प्राविधान है, माननीय नेता विरोधी दल व अन्य नेताओं से परामर्श करके यह प्रस्ताव माननीय नेता सदन द्वारा लाया जाय और उसे सर्वसम्मति से पास किया, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष–

क्योंकि सदन की यह परम्परा रही है कि नेता सदन ही इस तरह का प्रस्ताव रखते हैं। नियम 110 व 311 के अन्तर्गत प्रस्ताव अध्यक्ष पीठ की अनुज्ञा से ही लाया जा सकता है, इसलिए परम्परानुसार मैं इसकी अनुज्ञा नहीं देता हूं और उक्त प्रश्नगत सूचना को अस्वीकार करता हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(श्री राम आसरे वर्मा व श्री फजलुलबारी भी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने निर्णय दे दिया है।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, आपका संरक्षण हमें प्राप्त नहीं होता है, हम आशा करते हैं कि आप हमें संरक्षण देंगे जो प्रस्ताव लाया गया है वह जायज है, वह कोई विवाद का मुद्दा नहीं है, इसलिए इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाना चाहिए। इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं निर्णय दे चुका हूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 311 व नियम 110 के अन्तर्गत इतना महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है। सबेरे से लेकर इस समय तक नेता सदन कहां है, कोई मालूम नहीं। इसलिए रेडियो व टेलीविजन से एनाउन्समेंट कर दिया कि मुख्य मंत्री जी लापता हैं। बताने वाले को मैं 500 रुपए इनाम दूंगा। इसका एलान करा दीजिये क्योंकि इससे ज्यादा लापरवाही की, इससे ज्यादा उदासीनता की बात नहीं हो सकती है कि उत्तर प्रदेश के 40 लोग मार दिये गये हों और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री सदन में बयान देने के लिए मौजूद न हों। मुझे जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश के जो लोग मारे गये हैं, उनकी लाश को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है, घायलों की चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है, उनको कोई जानता नहीं है कि कौन मरा है। इसकी जितनी निन्दा की जाय, वह कम है। हम

आतंकवादियों की निन्दा तो कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार जो कुछ कर रही है, वह भी कम नहीं है। मैं कहता हूं कि जब तक मुख्य मंत्री नहीं आ जाते हैं तब तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाय और जब वह आ जायं तब सदन की कार्यवाही को चलाया जाय, दिन-दहाड़े हत्यायें हो रही हैं . .

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, आप लोग बैठ जायं, कुछ नहीं लिखा जायगा।

(विरोध पक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, आप भी इतने हृदयहीन हो गये हैं?

श्री उपाध्यक्ष–

यह हृदयहीनता की बात नहीं है, नियम और परम्पराओं का सवाल है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

पंजाब में जहां राष्ट्रपति शासन लागू हो . . .

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, आप बैठें। मैं निर्णय दे चुका हूं, उस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। इस विषय पर कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हूं।

(घोर व्यवधान)

(श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री किरन पाल सिंह द्वारा खड़े होकर बिना इजाजत के बोलने का प्रयत्न करने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

इस विषय पर बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं, आप लोग अपना आसन ग्रहण करें।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मुख्य मंत्री को सदन में बुलाया जाय। यह शर्म की बात है, सरकार के लिए।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय नेता, विरोधी दल से आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्यों को आसन ग्रहण करायें।

(घोर व्यवधान)

(संसदीय कार्य मंत्री जी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हैं, कृपया आप उनको सुन लें।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

अब इनको नहीं सुना जायेगा। जब तक नेता सदन नहीं आयेंगे, इनको नहीं सुना जायेगा। हम स्टैपनी को नहीं सुनेंगे। जिस टायर में पंक्चर हुआ है, उसको

यहां लाइये, अब बहुत हो गया, अब स्टैपनी और भोंपू काम नहीं करेगा, अब स्टैपनी से काम नहीं चलेगा।

[सारे लोकदल (अ) के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारे लगाने लगे कि :–

"मुख्य मंत्री, सदन में आओ।"

"लापता मुख्य मंत्री, सदन में आओ।"]

[लोकदल (अ) के सदस्यों द्वारा बार-बार यही नारे दोहराये जाते रहे।]

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(इस समय 12 बजकर 55 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गयी। 1 बजकर 10 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचना दी कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया है।

1 बजकर 25 मिनट पर मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि मा0 उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट के लिए और बढ़ा दिया है।

1 बजकर 35 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुयी।)

ग्राम लालरू, जिला पटियाला (पंजाब) और दरियापुर, जिला हिसार (हरियाणा) में आतंकवादियों द्वारा किये गये अमानवीय और नृशंस हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में शोक संवेदना का प्रस्ताव

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, जैसा सभी माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि आतंकवाद पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए बहुत घातक है। जितनी भी हम इसकी निन्दा कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए और इसका मुकाबला भी हमें पूरे देश की जनता और सभी लोगों को मिल कर करना चाहिए। हम चाहे जिस भी पार्टी के हों दल से ऊपर उठकर हमें आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसका पूरा मुकाबला कर सकते हैं। आज मान्यवर, मैं आपके सामने शोक प्रस्ताव जो घटना पटियाला में और हरियाणा में घटी है उसके संबंध में प्रस्तुत करता हूं।

"यह सदन दिनांक 6-7-87 को ग्राम लालरू, जिला पटियाला (पंजाब) और दरियापुर, जिला हिसार (हरियाणा) में आतंकवादियों द्वारा किये गये अमानवीय और नृशंस हत्याकाण्ड, जिसमें 74 आबाल, वृद्ध, नर-नारियों का हृदयविदारक नरसंहार हुआ है, की घोर निन्दा करता है और मृतकों, जिनमें अधिकांश लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, के प्रति गहरा शोक एवं संवेदना व्यक्त करता है।

यह सदन देश में आतंकवाद की घोर निन्दा करता है क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा और हत्या का कोई स्थान नहीं हो सकता है।"

मान्यवर, आज यह प्रस्ताव जो रखा जा रहा है मैं चाहता हूं कि पूरा सदन एक स्वर से आज जो पंजाब में या और कहीं भी जो आतंकवादी हमारी व्यवस्था में बाधा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डाल रहे हैं और दूसरे देशों के इशारे पर देश को कमजोर करना चाहते हैं। आज हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मिल करके इसका पूरा मुकाबला करें और जितनी भी इसकी हम निन्दा कर सकते हैं हमें करना चाहिए। जो लोग उत्तर प्रदेश के इस घटना में मारे गये हैं, इसमें जिनकी मृत्यु हो गयी है, उन्हें हम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 15 हजार रुपये और जो व्यक्ति घायल हुए हैं उन्हें 5 हजार रुपये सहायता देने की घोषणा करते हैं। यह भी प्रयास किया जायेगा कि जो घायल हैं उनकी दवा आदि की पूरी व्यवस्था की जायेगी ताकि जितनी सहायता कर सकते हैं, वह करें।

मान्यवर, इस देश और प्रदेश में अमन-चैन कैसे रखा जाये, इसकी हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गयी है और जो तत्व देश को कमजोर करने में लगे हैं, ऐसे तत्वों का कड़ा मुकाबला हमें करना है और पूरी निष्ठा के साथ इसका मुकाबला करेंगे। इस तरह की जो घातक घटनायें होती हैं उनकी हम घोर निन्दा करते हैं और हम चाहते हैं कि यह सदन इस प्रस्ताव को जो अभी रखा गया है; इसको पारित करें और जो मृतक परिवार हैं उनके लिए संवेदना हम सब लोग भेजेंगे। इसके साथ ही यह प्रयास किया जायेगा कि ऐसी घटनायें न घटने पायें।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नेता सदन ने जो आतंकवाद की निन्दा की है तथा मृतक परिवारों के लिए जो संवेदना के शब्द कहे हैं, उनसे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 6–7 तारीख को जो दर्दनाक घटना हुई है मैं समझता हूं कि सारे देश का उससे दिल दहल गया है। इस तरह की घटना से मालूम पड़ता है कि यह सरकारें ज्यों ज्यों आतंकवाद के खिलाफ दवा करने की कोशिश करती हैं त्यों त्यों यह मर्ज बढ़ता जा रहा है और इस पर कहीं पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। मान्यवर, मैंने अहसास किया है कि पंजाब के अन्दर रात्रि में बस सेवाओं की पूरी तरह से मनाही है लेकिन सरकार की कितनी बड़ी लापरवाही दिखाई देती है कि रात में घटना हुई, लोग मारे गये, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग घायल हुए और काफी लोग यहां के मारे गये हैं जिनके सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम मृतकों के परिवार वालों को 15 हजार रुपये और घायल को 5 हजार रुपये देंगे, यह घोषणा की लेकिन मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इससे ज्यादा घोषणा उनको करनी चाहिए थी।

मान्यवर, नेता सदन इस गंभीर घटना को देखते हुए इस बात की भी घोषणा उनको करनी चाहिए थी कि उनके मंत्रिमंडल का कोई सदस्य मौके पर जाता और जो घायल हैं उनका जायजा लेता कि उनका सही उपचार हो गया है कि नहीं और मृतकों के शव उनके घरों तक पहुंचाये गये हैं कि नहीं, इसको देखना चाहिए था। इसके साथ ही साथ मान्यवर, इस आतंकवाद की जितनी निन्दा की जाये वह कम है लेकिन निन्दा से ही काम नहीं चलना है और जब तक सरकारें अपनी क्षमता का परिचय नहीं देती हैं क्योंकि इनके कानून तब बनते हैं जब दर्द विदारक घटनायें हो जाती हैं और उन पर पहले से कदम नहीं उठाते हैं। इसलिए मैं मान्यवर, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि संवेदना के शब्द मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से उन हताहत परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें और साथ साथ मान्यवर, मैं इन आतंकवादियों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की घोर निन्दा करता हूं और साथ में सरकार की लापरवाही और अक्षमता के लिए भी इन सरकारों की घोर निन्दा करता हूं।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, पंजाब प्रान्त के जिला पटियाला के लालरू गांव और हरियाणा प्रदेश के जिला हिसार स्थित दरियापुर गांवों में 6–7 जुलाई को जो हृदय विदारक हत्याकाण्ड हुए हैं और उसके सम्बन्ध में माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने आतंकवादियों की निन्दा करते हुए मृतकों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है, मैं उनकी इन भावनाओं के साथ अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, पंजाब का मसला केवल पंजाब तक ही सीमित नहीं है, यह ऐसा सवाल है जो पूरे राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है। इतने निर्मम हत्याकाण्ड से पूरा राष्ट्र स्तब्ध रह गया है। यह देश की अखण्डता, एकता और अक्षुणता के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है। अफसोस तो तब होता है जब चन्द आतंकवादी जनजीवन के साथ इतना भयानक खिलवाड़ कर जाएं और उनके खिलाफ कोई भी कारगर कार्यवाही न की जा सके। मैं मानता हूं कि जो भी आतंकवादी हैं, हत्यारा है, उसको किसी मजहब, साम्प्रदाय या पन्थ के साथ जोड़ना सही नहीं है। आतंकवादी को अलग-थलग करके चलना होगा। आतंवादी की निन्दा हम सभी को करनी होगी और देश पर घिर आए हिंसा और हत्याओं के काले बादल को हम सभी को –चाहे कोई राजनैतिक दल हो, सारी जनता को अपने मत-भेद की दीवारों को ढहाकर आगे आना होगा। मान्यवर, जो 74 लोग मारे गये, उन्हें तो इतना भी पता नहीं होगा कि जो वह ऋषिकेश जा रहे हैं, वह वहां पहुंच पायेंगे या नहीं। आतंवादियों का यह कुकृत्य बड़ा घिनौना और कायरतापूर्ण है और प्रस्ताव में जो शब्द प्रयोग किये गये हैं कि लोकतन्त्र में हिंसा और हत्या का कोई स्थान नहीं हो सकता है, बहुत सही कहे गये हैं। हमें चिन्ता इस बात की भी है कि यह मामला पंजाब से खिसक कर हरियाणा पहुंच गया है और उत्तर प्रदेश में भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं।

इस प्रदेश में भी आतंकवादियों द्वारा लिखे गये जगह जगह धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं। एक पत्र कानपुर स्टेशन के स्टेशन मास्टर को मिला है कि हम कान-पुर और उसके आसपास के 11 महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ा देंगे। इसी प्रकार तराई क्षेत्र में भी आतंकवादियों की गतिविधियां तेज और खतरनाक हो रही हैं। शासन को इस ओर सतर्क रहने की आवश्यकता है। इससे भी बढ़ कर बात यह है कि जब आतंकवाद का सामना करने में बरनाला सरकार अक्षम साबित हुई तो उसको समाप्त कर दिया गया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। हम इसका समर्थन करते हैं, हमने उसकी मांग भी की थी। लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद भी 74-74 लोग मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, यह गहरी चिन्ता का विषय हमारे लिए हो गया है। अब प्रश्न यह है कि आगे क्या किया जाए कि वह रुके, यह आपको देखना है। चाहे केन्द्र की सरकार हो या चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, सरकार सभी राष्ट्रीय दलों के लोगों को बुलाएं और सबके साथ बैठकर इस समस्या पर विचार करें। सबका सहयोग होगा, आतंकवादियों के काले कारनामों का अन्त करने के लिए और अपने देश तथा प्रदेश में अमन चयन कायम रखने के लिए। देश की अखण्डता व एकता अक्षुण्य बनी रहे, इसमें किसी का कोई मतभेद नहीं हो सकता है। सरकार

कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाए, जन समर्थन के बिना इतनी बड़ी समस्या का हल निकाल सकना उसके लिए सम्भव नहीं है। इसलिए इस दुखद अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि यह केन्द्र सरकार का दायित्व है कि वहां पर यह सभी दलों के नेताओं से बात करें और उत्तर प्रदेश की सरकार से भी मैं कहना चाहता हूं कि वह समय निकालें और सभी दलों के लोगों के साथ मिलकर विचार करें। सामाजिक संस्थाओं को अपने विश्वास में लें। इस प्रकार हत्या और हिंसा को रोकने के लिए और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कुछ कर सकेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो 74 लोग मारे गये हैं, उनके बारे में अपनी व अपने दल की ओर से गहरी संवेदनायें व्यक्त करता हूं और जो आतंकवादियों ने कृत्य किया है उनकी कठोरतम शब्दों में भर्त्सना करता हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि आतंकवाद देश से जाए इसमें जो भी योगदान अपेक्षित होगा उसको हम करने को तैयार हैं।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, अभी माननीय नेता सदन ने जो प्रस्ताव रखा है, उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। यह इस देश की विडम्बना है कि आज भी इस देश में हिंसा और हत्या की राजनीति चल रही है। हमने सोचा था कि गांधी जी का खून हिंसा और हत्या को दफन करने में सहायक होगा लेकिन हम लोगों की भावना गलत साबित हुई, उसके बाद भी हिंसा का दौर चल रहा है। 74 लोगों की हत्यायें आतंकवादियों ने कर दीं, जिनका कोई धर्म नहीं था, जिनका कोई मजहब नहीं था, जिनका कोई मानवीय उद्देश्य नहीं था। मेरी और मेरे दल की स्पष्ट धारणा है कि ऐसे विवादास्पद मामले में आपसदारी से बातचीत करके विचार होना चाहिए। जहां तक पंजाब का सवाल है इसमें हमारी धारणा है कि जब तक इस पर आपस में सारे भेदभाव छोड़कर मिल बैठकर विचार किया जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। एक लोकप्रिय बरनाला की सरकार को अपदस्थ किया गया क्योंकि वह आतंकवाद को रोकने में असफल रही। इसलिए मेरी और मेरे दल की धारणा मजबूत हो रही है कि इन समस्याओं का समाधान, राजनीतिक समाधान ही हो सकता है, मिल बैठकर इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। यह केवल पंजाब हरियाणा का मामला नहीं है, यह समूचे देश का मामला है। मान्यवर, जब दूसरे देश के लोग अखबार हमारे यहां का देखेंगे तो वह क्या सोचेंगे ? मान्यवर, यह घृणित कार्य जिन लोगों ने किया है उसकी कठोरतम शब्दों में भर्त्सना करता हूं। मेरे और मेरे दल की सम्वेदनायें मृतक के परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जो प्रस्ताव माननीय नेता सदन ने रखा है और प्रस्ताव के सम्बन्ध में माननीय नेता विरोधी दल ने, माननीय कल्याण सिंह जी ने और माननीय ओझा जी ने जो उद्गार व्यक्त किए हैं, उससे मैं अपने को और निर्दलीय विधायक समुदाय को सम्बद्ध करता हूं।

*फजलुल बारी–

मान्यवर, 74 इन्सानों का यह कत्ल नहीं है अगर हम गौर करें तो यह इस मुल्क की जम्हूरियत का कत्ल है। जम्हूरियत में इस तरह का कत्लेआम उसे कमजोर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर सकता है। आतंकवाद क्यों होता है? इसका क्या इलाज हो सकता है? हमारे तमाम नेताओं ने ख्यालात रखे हैं उससे मैं अपने को जोड़ता हूं। हमें राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत के नाते गौर करना पड़ेगा। यह ऐसी स्थिति है कि मुल्क के लिए खतरे का अलामत पैदा हो गया है। अगर इस देश को बचाना है तो सबको एक साथ बैठकर तय करना चाहिए। लोगों के कत्ल को रोका जाना चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ उन तमाम लोगों को जिनका दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिया गया है उनके साथ अपने दिली जजबात और उनके लिए हमदर्दी को जाहिर करते हुए चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी इस तरह की कोई मीटिंग बुलायें ताकि इन तमाम मसलों का हल निकाला जा सके।

श्री उपाध्यक्ष–

नेता सदन ने जो प्रस्ताव रखा है और नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं जो आतंकवाद के प्रति निन्दा का प्रस्ताव लाये हैं, मैं भी उसकी घोर निन्दा करता हूं और उन मृतक परिवारों के साथ, इस प्रस्ताव के साथ अपने आपको सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि 2 मिनट का मौन उनके लिए रखें।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिए मौन खड़े हुए।)

श्री उपाध्यक्ष–

अब हम उठते हैं 3 बजे तक भोजनावकाश के लिए।

(इस समय सदन अपराह्न 3 बजे तक भोजनावकाश हेतु स्थगित हुआ। भोजनावकाश के उपरान्त सदन की कार्यवाही 3 बजे श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, जो प्रस्ताव माननीय नेता सदन ने यहां पर पढ़ा, उसके बारे में मुझे यह कहना है कि वह तो प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत भी नहीं किया गया और न पारित किया गया और पौने 2 से 3 बजे तक की कार्यवाही वह बगैर घोषित किये, भोजनावकाश के समय में चलती रही। मान लीजिए कि वह आपके विवेक पर है, लेकिन न तो प्रश्न उपस्थित किया गया और न पारित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष–

वह तो सबकी सहमति से था।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, उसको आप यहां से पारित तो करा दीजिए?

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय नेता सदन ने सदन में प्रस्तुत किया है, वह स्वीकार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

रानीगंज बाजार, बलिया में भागड़ नाले पर पुल निर्माण कार्य में विलम्ब एवं व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत आज 14 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं–(1) श्री मैनेजर सिंह (2) श्री हरेन्द्र सिंह (3) श्री बदन सिंह (4) श्री मनोहर लाल (5) श्री जगबीर सिंह (6) श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी (7) श्री हरिशंकर तिवारी (बिलग्रामी)। तो इनको तो पढ़ा हुआ मान लिया जाय, समय का अभाव है?

(सदन की अनुमति से निम्नांकित सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

श्री मैनेजर सिंह–

[मान्यवर, माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । बलिया जनपद के अन्तर्गत छावा क्षेत्र के केन्द्र में स्थित रानीगंज बाजार, भागड़ नालें पर पुल निर्माण कार्य गत 5 वर्षों से सा0 नि0 वि0 द्वारा कराया जा रहा है । विभाग के अधिकारियों की लापरवाही, अकर्मण्यता के फलस्वरूप उक्त पुल का निर्माण अभी भी अधूरा है । गत 5 वर्ष में अभी चारों पाये भी पूर्ण नहीं हुए जिससे आवागमन अवरुद्ध है, जनता को घोर संकट का सामना करना पड़ रहा है । विभागीय अभियन्ताओं में कार्य का बंटवारा भी असंतुलित एवं पक्षपात पूर्ण होने के कारण संबंधित अभियन्ता कार्य को समय से पूर्ण करने में असमर्थ रहे हैं । इसी क्षेत्र में संबंधित अभियन्तागण के अन्तर्गत निर्माणाधीन बकुलहा-जय प्रकाश नगर सा0 नि0 वि0 का मार्ग दो वर्षों से अधूरा चल रहा है । ठेकेदारों से मिलकर सामानों की आपूर्ति समय से नहीं करायी जाती है और गलत भुगतान कर आधा तोर-आधा मोर का हिसाब जारी है, जिससे क्षेत्रीय जनता में क्षोभ एवं आक्रोश व्याप्त है ।

अतः उपरोक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर शासन से त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

मण्डी क्षेत्र शाहपुर में ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के प्रस्तावित निर्माण-कार्य के प्रबन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरेन्द्र सिंह–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को लाना चाहता हूं । मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र की मण्डी शाहपुर में इस वर्ष 10 लाख रुपये की लागत से ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य होना प्रस्तावित था, जिसके प्रस्ताव सरकार द्वारा जिले के मांगे गये थे । परन्तु शासन स्तर पर सचिव कृषि ने मेरे क्षेत्र की सड़कों का प्रस्ताव नामन्जूर कर दिया चूंकि मैं विरोध पक्ष का विधायक हूं । मण्डी के पास पैसा अन्य बचत में जमा है, जिलाधिकारी को प्रभारी मंत्री मा0 श्री भोला शंकर मौर्य जी ने उक्त मार्गों के निर्माण के निर्देश दिए थे । परन्तु सचिव कृषि ने उन्हें भी नहीं माना ।

मान्यवर, सड़कों का निर्माण न होने से क्षेत्रीय जनता में रोष एवं आक्रोश है । मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि शाहपुर मण्डी क्षेत्र के सभी मार्ग तुरन्त निर्मित कराये जायें ।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

टाउन एरिया किरावली, आगरा में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा नागरिक सुविधाओं का अभाव होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बदन सिंह–

[मान्यवर, जनपद आगरा की टाउन एरिया किरावली के अधिकारियों ने नागरिकों के ऊपर भारी चुंगीकर, पथकर, भवन निर्माण कर, तहबाजारी कर, बिना उनकी आपत्ति सुने लगा दिए हैं और पन्द्रह हजार की आबादी के इस कस्बे के लिए न तो कोई पेयजल की व्यवस्था, न सफाई, न बिजली और न सड़कों की गई है। कस्बे में पेयजल आपूर्ति के संकट में लोग प्यासे मर रहे हैं, गन्दगी का साम्राज्य व्याप्त है। मुहल्लों में सड़कों और विद्युतीकरण न होने के कारण जनता नारकीय जीवन व्यतीत कर रही है। इस पर भी एक दम भारी कर रोपन कर दिया गया है उसके विरोध स्वरूप दिनांक 3-4 जुलाई को किरावली कस्बे का पूरा बाजार बन्द रहा, राष्ट्रीय मार्ग 11 पर चार घण्टे का जाम लगाया गया और तहसीलदार व परगनाधिकारी का घेराव किया गया जिसके फलस्वरूप वहां का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और जिला प्रशासन आगरा इस अस्त-व्यस्त जीवन की भयावह स्थिति को हाथ पर हाथ रखे और मूकदर्शी होकर देख रहा है। यदि शीघ्र कर थोपन बन्द न किया गया और नागरिक सुविधायें प्रदान नहीं की गईं तो जन-संघर्ष समिति किरावली द्वारा 11 जुलाई को यह आन्दोलन और अधिक भयानक रूप धारण कर लेगा।

शासन के संज्ञान में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को लाकर टाउन एरिया किरावली के भारी कर थोपन को बन्द करने तथा नागरिक सुविधा प्रदान करने की मांग करता हूं।]

प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोहर लाल–

[मान्यवर, श्रीमती सनन्दा प्रसाद प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम अपने भ्रष्ट कारनामों से निरन्तर निगम को घाटे की ओर ले जा रहे हैं। दिनांक 20/21 फरवरी, 85 की रात से लौह एवं इस्पात के मूल्यों की 15 प्रतिशत के बढ़ोत्तरी की सूचना जे0 पी0 सी0 विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई गई थी। श्री आर0 के0 कपूर, वरिष्ठ विभागीय प्रबन्धक ने आदेश दिया कि लौह एवं इस्पात की बिक्री तुरन्त रोक दी जाय। एवं नये रेट पर बिक्री करें, परन्तु प्रबन्ध निदेशक ने आदेशों की अवहेलना करते हुए 22-2-85 से 20-3-85 तक पुराने दरों पर ही अपने दलालों एवं खास लोगों को माल बेच कर निगम को 25 लाख रुपये की चोट पहुंचाई। इसी तरह इलाहबाद (नैनी) में साढ़े चार सौ मैट्रिक टन लौह एवं इस्पात तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक ने बिक्री में रखा था लेकिन वर्तमान प्रबन्ध निदेशक ने चार्ज लेते ही कानपुर की एक पार्टी को कम मूल्य पर बेच कर पांच लाख रुपये का निगम को नुकसान पहुंचाया। प्रबन्ध निदेशक ने मुख्य सचिव के आदेशों की अवहेलना करते हुए सात नई कारें एवं तीन नई क्रेने खरीद कर लगभग 35 लाख रुपये का अपव्यय किया। मेसर्स एक्सपो टाइम इण्डस्ट्रीज कानपुर के टेण्डर में माल गायब करके 40 लाख रुपये की हानि निगम को पहुंचाई है।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः आपके माध्यम से सदन एवं सरकार के संज्ञान में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सी0 बी0 आई0 से जांच कराने की मांग करता हूं ।]

जनपद अलीगढ़ में नहरी पानी के अभाव में किसानों में व्याप्त असंतोष होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगबीर सिंह–

[मान्यवर, जनपद अलीगढ़ मे नहरी पानी के अभाव में गन्ना तथा मूंग की फसलें नष्ट हो गयी हैं । अलीगढ़ जनपद के लिए आवंटित नहरी पानी की बड़े पैमाने पर बुलन्दशहर व मेरठ स्थित सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा चोरी करने से अलीगढ़ के लिए आवंटित पानी की आधी भी मात्रा नहीं मिल पाती है । इस लिए कोई भी रजवहा व माइनर पूरे गेज व रोस्टर के अनुसार न चल पाने से सिंचाई नहीं हो पाती है। अलीगढ़ स्थित सिंचाई विभाग के डिवीजनों को रख-रखाव व सफाई आदि के लिए पर्याप्त धन न मिल पाने से भी नहरे पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पा रही है । जनपद का खैर क्षेत्र प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है । परन्तु रबी में पानी के अभाव से इस वर्ष गेहूं की पैदावार में विशेष गिरावट आयी है । सिंचाई का पानी न मिलने से कृषकों में आक्रोश व्याप्त है ।

अतः मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाकर इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शीघ्र प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

विकास खण्ड हसायन, अलीगढ़ के कतिपय ग्रामों में जल भराव की समस्या होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

[मान्यवर, हसायन विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम कोड़रा वकायन, हेदलपुर, छीतपुर, सीतलवाड़ा, श्यामपुर, पिछौती, आदि स्थायी रूप से जलभराव की समस्या से ग्रसित हैं । इस पूरे क्षेत्र में पानी भर जाने के कारण खरीफ में कोई फसल नहीं हो पाती है तथा रबी में भी फसल बोना सम्भव नहीं होता है । जाऊ माइनर की टेल पर छोड़े गये पानी से समस्या में और अधिक वृद्धि हो जाती है । वर्षा ऋतु में पूरा क्षेत्र 7 कि0 मी0 लम्बी तथा 6 कि0 मी0 चौड़ी झील का रूप ले लेता है । उक्त सभी ग्रामों के निवासियों को अपने परिवार तथा पशुओं को लेकर हसायन की सड़क के किनारे तथा वकायन ग्राम में स्थित टीले पर शरण लेकर चार मास व्यतीत करने पड़ते हैं । इस समय पशुओं तथा मनुष्यों में भयंकर बीमारियां भी फैलती हैं । सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा समस्या के निराकरण के लिए कोई कार्यवाही न किये जाने से जनता में घोर असंतोष व क्षोभ व्याप्त है ।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

विकास खण्ड साण्डी, हरदोई में एन0 आर0 ए0 पी0 योजना के अंतर्गत आदमपुर मलवा अकबेलपुर मार्ग के निर्माण कार्य में व्याप्त भ्रष्टाचार होने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री हरिशंकर तिवारी (बिलग्रामी)–

[मान्यवर, विकास खण्ड साण्डी, जिला-हरदोई में आदमपुर मलवा अकबेलपुर मार्ग एन0 आर0 ए0 पी0 योजना के अन्तर्गत निर्मित किया जाना है कुछ लोगों ने जबरजस्ती कार्य प्रारम्भ किया था। अवर अभियंता ने थाना-साण्डी में प्रथम रिपोर्ट की तथा जिलाधिकारी व विभागीय निर्माण इकाई हरदोई के अधिशासी अभियन्ता, वी0 के0 बरेड़ा ने कार्य रोक दिया था। वहीं असामाजिक व्यक्ति पुनः इस सड़क पर मिट्टी का कार्य ठेके पर कर रहे हैं। जबकि दैनिक मजदूरी पर अनाज वितरण करके कार्य होना चाहिए। यह कार्य भी नियम के विरुद्ध हो रहा है तथा शासन के धन का दुरुपयोग भी हो रहा है। ठेकेदार के पास स्थानीय मजदूर भी नहीं है।

कृपया इस संबंध में उपरोक्त कार्य रोकने की व्यवस्था करें तथा शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से जनहित में सदन को अवगत करायें।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचनाएं थीं, उनको सबको अस्वीकार कर दिया।

इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1987 तथा उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) संशोधन विधेयक, 1987

उप सचिव (विधान सभा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि:—

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1987, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 30 जून, 1987 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 7 जुलाई, 1987 को वापस प्राप्त हो गया।

(2) उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1987 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 1987 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 7 जुलाई, 1987 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का अष्टम प्रतिवेदन†

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का अष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) (नियुक्ति प्राधिकारी) विधेयक, 1987†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) (नियुक्ति प्राधिकारी) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) (नियुक्ति प्राधिकारी) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) (नियुक्ति प्राधिकारी) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

आज 16 सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, पिछले वर्ष राज्य कर्मचारियों ने 19 दिन तक एक अभूतपूर्व हड़ताल की थी। उसके बाद सरकार और राज्य कर्मचारियों के बीच में एक समझौता हुआ और उसके बाद अन्तरिम सहायता दी गई तथा एक कमेटी बनाई गई, जो केन्द्र और राज्य के वेतन मानों में समानता पर विचार करेगा। उस समय कर्मचारियों में असंतोष इतना ज्यादा था और समझौते में यह तय हुआ था कि 6 महीने में कमेटी की रिपोर्ट आ जायेगी, उस हिसाब से 29 मई, 86 तक रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी लेकिन उसके बाद सरकार ने वायदा खिलाफी की और कमेटी का कार्यकाल 30 जून, 87 तक कर दिया लेकिन उसके बाद अभी दो दिन पहले राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिये उस कमेटी का कार्य-काल 31 मार्च, 88 तक कर दिया गया है अर्थात् 11 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इससे कर्मचारियों में असन्तोष का वातावरण उत्पन्न हो गया है और 4-6 दिन के बाद उनका आन्दोलन फिर प्रारम्भ होने वाला है। मान्यवर, यह विषय वस्तु है, इसकी ग्राह्यता पर मैं दो बातें कहना चाहूंगा। यह मार्च, 88 तक जो कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने की घोषणा की गई है उस घोषणा का परिणाम यह हो रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षकों, स्थानीय निकाय के कर्मचारियों, सबमें असन्तोष व्याप्त है। क्योंकि इन सब कर्मचारियों के समझौते के आधार पर कमेटी बनाई गई थी और अब अगर कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया जाना आवश्यक था तो सिद्धान्त का तकाजा यह था कि दोनों के बीच में फिर से समझौता होना चाहिए था लेकिन सरकार ने ऐसा न करके एक-तरफा घोषणा जारी कर दी है जिससे आन्दोलन होने की सम्भावना है, आन्दोलन से सरकारी

---

†दिनांक 13 जुलाई, 1987 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कामकाज ठप्प होने से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में एक अव्यवस्था और ऐसी स्थिति पैदा हो जायेगी जिससे शान्ति और कानून व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय के ऊपर सम्पूर्ण कार्यवाही रोककर कार्य स्थगन के रूप में चर्चा कराई जाय क्योंकि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। मान्यवर, इस पर चर्चा होना अत्यन्त आवश्यक है। इन शब्दों के साथ मैं अपने कार्य स्थगन प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों का आन्दोलन पिछले वर्ष नवम्बर में 17 दिन तक जिस उग्रता के साथ चला और जो वेतन समिति का समझौता हुआ उसका समय बढ़ाने से संकट और खतरा उतपन्न हो सकता है। वेतन समिति के कार्यकाल को 29 मई से 30 जून और अब 31 मार्च, 88 तक बढ़ाकर सरकार ने फिर से एक बार साबित कर दिया है कि यह वायदा खिलाफी और आश्वासन तोड़ने वाली सरकार है और ऐसी सरकार को सरकार कहलाने का कोई हक नहीं है। इस प्रकार से समझौता करके और उसके अनुसार काम न करने से असन्तोष पैदा होता है और इस तरह से प्रदेश को फिर से एक बार आन्दोलनों की आग में झोंके जाने की तैयारी हो रही है। मान्यवर, कृपया इस पर चर्चा करा दें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी) —

जहां तक राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों पर सहानुभूति का संबंध है, सरकार को पूरी इनसे हमदर्दी है। मान्यवर, एक समझौता हुआ था राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और सरकार के बीच और मान्यवर, आप भी जानते हैं कि दोनों ने आपस में बैठकर समस्या का समाधान किया था और इस पर एक कमेटी नियुक्त की गयी, लेकिन मान्यवर, कभी-कभी ऐसे अवसर आ पड़ते हैं, जैसे साक्ष्य लेने हैं, वह पूरे नहीं हो पाये, कुछ काम दूसरों को सौंपे गये, वह पूरे नहीं हो पाये या और कुछ ऐसे स्कोप हैं जो समय से पूरे नहीं हो पाये, जिनकी वजह से ऐसा करना पड़ता है, लेकिन मान्यवर, समय इस लिए नहीं बढ़ाया गया है कि राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों ने जो मांग रखी हैं, उनको टालना चाहते हैं, बल्कि यह उनके हित में है कि पूरी तरह सारी मांगों पर छान-बीन कर ली जाए और जो इनकी सही व जेन्यून मांगे हैं, उनको पूरा करने के लिये ही कमेटी बनाई गयी है ताकि विस्तार पूर्वक बात-चीत के बाद निर्णय लिया जाय इसलिए इस मामले को कार्य-स्थगन में लाने का कोई औचित्य नहीं बनता क्योंकि यह एडेमिनिस्ट्रेटिव मामला है और ऐसी स्थिति कभी-कभी आ जाती है, जिससे मजबूरन ऐसे फैसले करने पड़ते हैं, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कार्य-स्थगन को अस्वीकार कर दिया जाय।

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, 5 जुलाई इतवार के दिन हमारे जनपद बुलन्दशहर से एक तीर्थ-यात्रियों की बस जा रही थी, उसका मोदी नगर के पास एक्सीडेन्ट हो गया और करीब 2-3 व्यक्ति तो घटना-स्थल पर ही मर गये और जो घायल हुए थे 50-60 लोग, उन्हें गाजियाबाद अस्पताल ले जाया गया, परन्तु न तो उनका वहां पर ठीक से उपचार हुआ न किसी प्रकार की देख-रेख जिसकी बजह से 7 घायल और मर गये । साथ ही मान्यवर, बड़े दुःख की बात यह कि जब इन घायलों को गाजियाबाद और मोदी नगर अस्पतालों ले जाया जा रहा था तो रास्ते में और अस्पताल में उन घायलों के पर्स, औरतों के मंगलसूत्र व जेवर तथा घड़ियां

आदि लूट ली गयीं और जब यह बातें जनता के सामने आयीं तो स्थिति मान्यवर, और गम्भीर हो गयी तो कलेक्टर गाजियाबाद को इस मामले में इण्टरवीन करना पड़ा, तब जाकर यह मामला थोड़ा बहुत शांत हुआ। मान्यवर, यह सारी लूट पुलिस वालों ने की जो जनता के रक्षक और प्रहरी कहे जाते हैं और अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा की गयी जो स्वास्थ्य के रक्षक कहलाते हैं, यह उन घायलों का कहना है, वह लोग उन्हें पहचान भी नहीं सके क्योंकि वह लोग घायल अवस्था में थे और उनमें से कुछ लोग बेहोश थे। पहले मान्यवर, एक्सीडेन्ट होने पर घायलों और मरने वालों का सामान जनता लूटती थी लेकिन मान्यवर, यह नई बात सामने आयी कि सरकारी कर्मचारियों ने यह कार्य किया है। इसलिए मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि इस मामले में एक जांच कमेटी बनाई जाए जो इस लूट की जांच करे और जिन्होंने यह गलत काम किये हैं, उनको दंडित किया जाए।

श्री अम्मार रिजवी—

यह घटना मान्यवर, जो मा0 किरनपाल सिंह जी ने ध्यान आकर्षित करवाई है और मामले की सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी की मांग की है, मान्यवर यह इन्क्वायरी कराने में मुझे कोई हिचक नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें बेफायदा समय अधिक लगेगा, इसलिए मान्यवर, आपके माध्यम यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस मामले में हम डिविजनल कमिश्नर से जांच करा देंगे जो 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट दे देंगे और इसमें जो भी दोषी अधिकारी व कर्मचारी होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री किरन पाल सिंह—

मांग थी कि या तो सी0 आई0 डी0 से जांच करावें या लखनऊ से कोई हायर आफिसर जांच के लिये भेजें।

श्री उपाध्यक्ष—

डिवीजनल कमिश्नर से जांच करवा तो रहे हैं।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, वहां पर उन घायलों को लूटा है पुलिस के लोगों ने, इसलिये मेरी मांग है कि कम से कम लखनऊ से किसी हायर आफिसर को भेज कर ग्राम सैदपुर, ग्राम सीही ग्राम बरकातपुर और मेरे निर्वाचन क्षेत्र अगौता की इस बात की जांच करवा लें।

गृह मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

मान्यवर, इसमें डिवीजनल कमिश्नर से जांच करवा रहे हैं और वह 15 दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे देंगे, इससे अधिक जल्दी और क्या हो सकता है, जो दोषी पाए जाएंगे उनको सजा देंगे।

श्री औसान सिंह—

मान्यवर, कई दिन से .....

श्री उपाध्यक्ष—

आपने जो विधायक निवास में पाइप लाइन में विद्युत करेंट दौड़ने की बात कही है, मैं सरकार को निर्देश दे रहा हूं कि इसकी जांच करावें।

श्री औसान सिंह–

मान्यवर, कई दिन से विधायक निवास में पाइप लाइन में करंट आ रहा था, इसकी शिकायत मैंने व्यवस्थाधिकारी से की थी, विद्युत विभाग के अधिकारियों से भी कहा था। परसों वे ठीक करने आए, लेकिन देख सुन करके चले गये। मैं परसों नहाने गया तो फिर करंट आया और मुझे जोरों से झटका लगा। मेरे कमरे में ही नहीं, ऊपर के कमरे में और बगल के कमरे में भी करंट था। मेरी मांग है कि इस सम्बन्ध में जिस अधिकारी द्वारा उदासीनता बरती गयी है, उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्देश देने की कृपा करें। यह हम विधायकों के जीवन-मृत्यु का प्रश्न है। आप भी उस दारुलशफा में रह चुके हैं। दारुलशफा आज चिड़ियाखाना और बूचड़खाना बना है, वहां बिजली पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। आज सुबह भी बिजली चली गयी और बिजली न होने के कारण पानी उपलब्ध नहीं हुआ। सुबह पीने के लिये पानी उपलब्ध नहीं हो पाया। यह दारुलशफा का हाल है। विधायक लोग जहां रहते हैं, वहां कोई व्यवस्था नहीं है, जिन अधिकारियों ने उदासीनता बरती है, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री अम्मार रिजवी–

मुझे बड़ा दुख है कि मा0 औसान सिंह जी ने जैसा कि नोटिस में लिखा है, पानी से करंट का झटका लगा, मुझे इस बात का बहुत दुख है। मैंने आज सुबह स्टेट आफिसर और संबंधित अभियन्तागण को बुलाया था और पूछताछ की थी। ग्यारह बजे के पहले उन्होंने रिपोर्ट दी है कि जो सप्लाई थी उसको फिर से चालू कर दिया गया है और जो त्रुटि थी, उसे दूर कर दिया गया है। फिर भी मैंने निर्देश दे दिये हैं कि इसको देखें और यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार की घटना दोबारा न हो।

श्री औसान सिंह–

मान्यवर, पिछले कई दिनों से शिकायत करने के बावजूद ठीक नहीं किया गया, आज सुबह मेरे चलने के समय तक ठीक नहीं हुआ था, मेरी मांग है कि इसके लिये जो अधिकारी दोषी है, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

श्री अम्मार रिजवी–

आप आज देख लें और यदि किसी प्रकार की कोई बात रह जाती है तो कल बतावें।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, 20 तारीख को आजमगढ़ जनपद में ग्राम फतेहपुर शेरली में (एक घर में) परिवार को पुलिस बुलाती है, एक परिवार के तीन लोगों को पकड़ती है और इतनी बुरी तरह से पिटाई करती है कि एक व्यक्ति राम अब पुलिस हिरासत में मर जाता है। मान्यवर, उनको रात भर पुलिस थाने में बन्द रखा, बुरी तरह से पीटा और इस तरह से पीटा कि वह आदमी पानी मांग रहा था, पानी नहीं दिया गया खाने का तो सवाल ही नहीं था। बिना पानी के वे रात में तड़पते रहे और सुबह उठने पर उनको फिर पुलिस ने पीटा, फिर ले जा रहे थे जीप में बैठाकर 151 जा0 फौ0 में मैजिस्ट्रेट के पास कि रास्ते में एक ने दम तोड़ दिया। यह एक इस प्रकार की घटना है जो अविलम्बनीय लोक महत्व की है, इस पर रोक लगाने के लिये पुलिस कर्मियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही कराई जाय और सारी घटना की सी0आई0डी0 से जांच कराई जाय और सारे सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

मान्यवर, इस घटना में हम पूरी जांच करा लेंगे । माननीय सदस्य जिस जांच से संतुष्ट होंगे, उसी तरह की जांच करा देंगे ।

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, पुलिस स्वयं इसमें इन्वाल्व है । पुलिस की कस्टडी में हत्या हुई । सी0आई0डी0 से इस मामले की जांच करायी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं श्री अनुग्रह नारायण सिंह की सूचना पर, जो सी0ए0वी0 इण्टर कालेज, इलाहाबाद के छात्र की हत्या के संबध में मैजिस्ट्रेट जांच विषयक है, शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । श्री सरदार सिंह की सूचना, जो रामगंगा प्राधिकरण कानपुर द्वारा किसानों से नाजायज वसूली के संबंध में है—की ओर भी शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । श्री हरेन्द्र सिंह, श्री जगबीर सिंह, श्री कनक सिंह, प्रभु दयाल प्रधान, श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी, डा0 बंगाली सिंह, श्री मनोहर लाल की सूचना, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वकीलों की हड़ताल के संबंध में है, की ओर भी शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । श्री रघुबर दयाल वर्मा व श्री मैनेजर सिंह की सूचना, जो फिरोजाबाद को जिला बनाये जाने विषयक है, की ओर भी शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । शेष सभी सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं ।

(श्री हरेन्द्र सिंह व श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग बैठें । मैं अपना निर्णय दे चुका हूं । हरेन्द्र सिंह जी आपकी सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है ।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मेरी अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचना है । 17 जिलों में वकीलों की हड़ताल है । 107/16 और 323 में, इन जैसी छोटी धाराओं के अन्तर्गत, लोग जेलों में सड़ रहे हैं । पश्चिमी उ0 प्र0 में जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है । यह सरकार आंखे मूंदे हुए बैठी है । वकीलों के प्रतिनिधि मंडल ने मेरी उपस्थिति में 27-6-87 को जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया । उनकी मांगे जायज हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से नहीं बात होगी । कनक सिंह जी, हरेन्द्र सिंह जी, आप लोग बैठें । मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है बर्क साहब, आप भी बैठें । अब बजट शुरू होने दें । सिंचाई विभाग का बजट है ।

(घोर व्यवधान)

(श्री भोला शंकर मौर्य के खड़े होने पर सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय हरीशजी, अनुग्रह नारायण सिंह, हरेन्द्र सिंह जी, बर्क साहब, आप सब बैठें । मैंने अपना निर्णय दे दिया । हरेन्द्र जी, आप कृप्या बैठें ।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मुझे सुन लें, अहम मसला है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपने अपनी सूचना में स्पष्ट कारण नहीं लिखा कि किस कारण हड़ताल है । मैंने उस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, वकीलों के साथी का कत्ल हुआ । कातिलों को दण्ड नहीं मिल रहा है । उच्चाधिकारी एस0 पी0, सी0 ओ0 के स्थानान्तरण की मांग, गृह मंत्री ने आश्वासन देने के बाद भी, मंजूर नहीं की है ।

(व्यवधान)

श्री हरदेव–

मान्यवर, अभी तक यह लोग सूखा-सूखा चिल्लाते रहे, अब जब पानी के लिए सिंचाई का बजट आया, तो हल्ला मचा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप लोग अपने-अपने स्थान पर बैठें । हरेन्द्र जी बैठें ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, गृह मंत्री जी वकीलों जैसे बुद्धजीवी वर्ग को इंसाफ नहीं दे सकते । उन्हें शासन में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है । वह त्याग पत्र दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

ऐसे काम नहीं चलेगा, आप लोग बैठें ।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, मेरी अति महत्वपूर्ण सूचना थी । एक 60 वर्षीय वृद्ध की पुलिस ने टांग तोड़ दी ।

(इस बीच श्री हरेन्द्र सिंह सदन के फ्लोर पर आ गये और वहां बैठ गये । उसके बाद श्री कनक सिंह भी उनके साथ फ्लोर पर आकर बैठ गये)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

मान्यवर, यह जो मुरादाबाद वाली घटना है जिसमें 60 वर्षीय वृद्ध की थानाध्यक्ष द्वारा टांग तोड़ी गयी है, उस पर सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश दे दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

हरेन्द्र जी, इस तरह सदन के फ्लोर पर बैठे रहने से क्या होगा आप अपने आसन पर जायें। मैंने ध्यान आकृष्ट कर दिया है शासन का। मैं किसी को नहीं सुनूंगा। मैंने अपना निर्णय दे दिया है । आप लोग बैठें ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय हरेन्द्र सिंह जी ने जो नोटिस दिया है, मेरा आपके माध्यम से उनसे नम्रतापूर्वक अनुरोध है कि वह अपना आसन ग्रहण करें । उन्होंने इसमें किसी स्पष्ट घटना का हवाला नहीं दिया है । आपके कक्ष में आकर वह बात कर लें, जो भी कार्यवाही होगी, कर ली जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, कक्ष में आकर बात कर लें ।

(श्री हरेन्द्र सिंह और कनक सिंह, प्रधान प्रभु दयाल के प्रयास से सदन के फ्लोर से अपने आसन पर वापस चले गये)

(व्यवधान)

(श्री शफीकुर्रहमान के खड़े होकर बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

बर्क साहब, अब आप बैठें । बर्क साहब आप भी कक्ष में बात कर लें । जिनका रह गया है कक्ष में आकर बात कर लें ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, मेरी सूचना महत्वपूर्ण थी------

(इस बीच श्री मोहम्मद रिजवानुल हक बोलने की अनुमति मांगते हुए सदन के फ्लोर पर आ गये ।)

(श्री माता प्रसाद पाण्डेय व श्री सुखपाल पाण्डे के प्रयास से श्री रिजवानुल हक अपने स्थान पर वापस चले गये ।)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

इलाहाबाद में पुलिस वालों ने एक छात्र की हत्या कर दी । 6 जुलाई को मजिस्टीरियल जांच में भी बाधा उत्पन्न की गई और उन लोगों को मजिस्ट्रेट की जांच में सम्मलित नहीं होने दिया ।

वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 76–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) अनुदान संख्या 77–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से व श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76– सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 89,72,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से व श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 77-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,96,40,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से मैं कुछ बातें सिंचाई के संबंध में कहना चाहता हूं । . . . . .

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । सिंचाई का महत्वपूर्ण बजट है, कई पालिसी मैटर के बारे में भी मंत्री जी को कहना पड़ेगा लेकिन जो मंत्री सिंचाई का बजट पेश कर रहे हैं, उन्हें कैबनेट की मीटिंग्स में भाग लेने का अधिकार नहीं है । सिंचाई विभाग के कैबिनेट मंत्री से बजट पेश न कराकर राज्य मंत्री जी से बजट पेश कराने का क्या औचित्य है, इस पर हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष–

कोई भी मंत्री बजट रख सकता है ।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । जिस मंत्री के खिलाफ आरोप लगाए गए हों और उसके खिलाफ एक संसदीय कमेटी बैठी हो, तो ऐसे मंत्री द्वारा बजट पेश करना आपत्तिजनक है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अभी कोई आरोप नहीं है ।

*श्री भोला शंकर मौर्य –

मान्यवर, उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है, बिना इसकी उन्नति के प्रदेश की उन्नति संभव नहीं है इसलिए सिंचाई साधनों के विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में जो हमारी बड़ी व मझौली योजनायें थीं, उनसे 62.15 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध कराई गई तथा जो हमारे राजकीय नलकूप थे, उनसे 33.43 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई । इस प्रकार कुल मिलाकर 95.54 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा का सृजन किया गया । 7वीं पंचवर्षीय योजना काल में हमने इन बड़ी व मझौली योजनाओं के तहत 1904.15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, जिससे 13.40 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधाओं का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है । जिन जिलों में सिंचाई साधन उपलब्ध कम थे, उनमें इसकी आपूर्ति करने का प्रयास किया जा रहा है । मान्यवर, इसके अतिरिक्त हम नवीन पद्धति के द्वारा, हमारी जो नई टैक्नालाजी है, उसके द्वारा सिंचाई विभाग में कार्य करके यह कर रहे हैं कि जितने भी नवीन कार्य हों उनमें नवीन टैक्नालाजी का इस्तेमाल किया जाय और कार्यों में मितव्ययता लायी जाय और गुणवत्ता में सुधार किया जाय, क्वालिटी कण्ट्रोल के लिए विशेष प्रयास किये जायें और उच्च स्तर का लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक क्वालिटी कण्ट्रोल का भी प्राविधान कर रखा है। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश में निर्माण कार्य में लागत आ रही है, उसमें काफी मितव्ययता हुई है । प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है कि सभी भागों का समुचित विकास हो । अभी तक जो पिछड़े क्षेत्र थे, जिनको सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, योजनाकाल के बाद उनके लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया । इसी का परिणाम है कि जो पूर्वी जिले थे, जहां योजनाकाल से पहले बहुत कम सिंचाई सुविधाएं थीं, वे बढ़कर पश्चिमी जिलों के सम-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कक्ष आ गये हैं । हम देखते हैं कि सिंचाई के साधनों में जो कमी थी, उन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा को बढ़ाया गया है । इसी प्रकार प्रदेश में सीमित संसाधन हैं, उनको देखते हुए हमने जो कार्य किये हैं, उसके लिए हमने बाहरी जो सहायता है, उसके लिए भी प्रयास किया है। जो बड़ी योजनायें हैं, उसके काम के लिए विश्व बैंक से कर्जा लिया है और दूसरी योजनाओं के लिए प्रयास कर रहे हैं कि विदेशी सहायता मिले । आगे जो कार्यक्रम है सप्तम योजना के लिए, बड़ी और मझोली योजनाओं के लिए 1421 करोड़ रु0 का परिव्यय रखा है, जिससे 6.37 लाख हेक्टेयर की नयी सिंचन क्षमता प्राप्त होगी । सप्तम योजनाकाल के प्रथम दो वर्षों में 429 करोड़ रु0 व्यय किया है । जो लक्ष्य था वह 94 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता बढ़ाने का था, उसके मुकाबले 102 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया । इससे सिद्ध होता है कि लक्ष्य से अधिक काम किया है । इसी तरह से वर्ष 86-87 में 64 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता का जो लक्ष्य था, वह पूर्ण किया । वर्ष 87-88 में 254.30 करोड़ रु0 का बजट का प्राविधान है । इस वर्ष में हम 116.5 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजन का लक्ष्य है, संसाधनों की कमी के कारण पुराने कार्यों को ही पूर्ण करने का और सिंचन क्षमता को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है । जो पुरानी परियोजनायें हैं और पूरी होने को हैं, उन्हीं को अधिक रुपया दे रहे हैं और उनमें जितना जल्द से जल्द काम कर सकते हैं और अन्तरिम लाभ ले सकते हैं, वह काम कर रहे हैं । इसी तरह से 130 साल पुरानी गंगा नहर है, उसका आधुनिकीकरण होना जरूरी है, इसके लिए विश्व बैंक से कर्जा ले रहे हैं । प्रथम चरण में 6 कि0 मी0 से 36 कि0 मी0 के भाग में पक्का काम तथा पुनर्निर्माण और समानान्तर नहर का निर्माण, 190 कि0 मी0 से 240 कि0 मी0 तक समानान्तर नहर का निर्माण प्रस्तावित है, इस कार्य को करेंगे । अन्य नहरों का निर्माण भी किया जा रहा है . . .

(व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

अगर पढ़ा हुआ भाषण ही देना है, तो उसकी प्रतिलिपि बंटवा दें, सदन का समय व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

वे पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि उससे सहायता ले रहे हैं ।

श्री भोला शंकर मौर्य–

यह महत्वाकांक्षी परियोजना है, इसमें ऊपरी गंगा नहर के आधुनिकीकरण की परियोजना है । इसमें प्रथम चरण में नहर के 6 कि0 मी0 से 36 किलोमीटर तक के भाग में बने पक्के कार्यों का पुनर्निर्माण, इन्हें जोड़ते हुए समानान्तर नहर का निर्माण तथा नहर के 190 किलोमीटर से 240 किलोमीटर तक एक समानान्तर नहर का निर्माण प्रस्तावित है ताकि मध्य गंगा नहर के पानी का उपयोग भाट ब्रांच, हाथरस ब्रांच तथा अन्य नहरों में हो सके । परियोजना के सम्पादन में ज्वालापुर व आसफनगर पर रेगुलेटर्स के निर्माण हेतु नहर को बन्द किये बिना डायवर्ट किया गया है ।

परियोजना के अन्तर्गत चार बृहत क्रास ड्रेनेज कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ कराया जा रहा है क्योंकि वर्तमान में बने कार्यों की दशा काफी खराब है । उनके क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में नवनिर्मित कार्यों के माध्यम से नहर चलाये रखना सम्भव हो सकेगा । नहर की लाइनिंग

का कार्य पेवर मशीन से करना प्रस्तावित है । सम्बर्धन नलकूपों का कार्य जो 88-89 में प्रस्तावित था, इसी वर्ष किया जा रहा है ।

इसके अतिरिक्त गंगा नदी पर भीमगोडा हेडवर्क्स की बाईं तरफ से 4850 क्यूसेक क्षमता की पूर्वी गंगा नहर बना कर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में गंगा नदी के बांयें तट पर खरीफ में 1.05 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए पूर्वी गंगा नहर परियोजना का निर्माण किया जा रहा है ।

मध्य गंगा परियोजना के अन्तर्गत मुख्य नहर को चला दिया गया है तथा अनूपशहर ब्रांच एवं ऊपरी गंगा नहर प्रणाली को खरीफ की सिंचाई हेतु 3000 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है । लखावट शाखा एवं इसके वितरण प्रणाली का कार्य प्रगति में है ।

आगरा जनपद की तहसील बाह एवं इटावा जनपद की तहसील इटावा के चम्बल एवं यमुना नदियों के दोआब में स्थित पिछड़े हुए एवं डाकूग्रस्त क्षेत्र की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चम्बल नदी से चम्बल डाल सिंचाई योजना निर्माणाधीन है । इस परियोजना के निर्माण से 62,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा प्रणाली के चालू होने पर भूगर्भीय जल स्तर भी ऊपर उठने की आशा है । वर्ष 1986-87 में प्रथम चरण के पम्प हाउस का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है एवं कूएं लगाने का कार्य प्रगति में है । इस पम्प गृह को द्वितीय चरण के पम्प गृह से जोड़ने वाली 1.44 किलोमीटर लम्बी लिंक नहर का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है तथा वितरण प्रणाली पर कार्य प्रगति पर है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी बराबर भाषण पढ़ रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

वे पढ़ नहीं रहे हैं, सहायता ले रहे हैं कागज से ।

श्री भोला शंकर मौर्य–

बेवर फीडर परियोजना के अन्तर्गत बेवर बैराज में फाटकों, दायें व बायें मार्जिनल बन्धों का कार्य, पोषक नहर के पक्के कार्य प्रगति में हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, मंत्री जी बजट भाषण पढ़ रहे हैं और यदुनाथ सिंह आगे की सीट पर आकर बैठ गये हैं तो मंत्री घबड़ा जाते हैं ।

श्री शारदा प्रताप–

उपाध्यक्ष जी, इनको पीछे बिठाइये क्योंकि मंत्री जी अपनी बात सही ढंग से नहीं कह पा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

यदुनाथ सिंह और वे दोनों दोस्त हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, नियम यह है कि भाषण पढ़ा नहीं जायेगा लेकिन चूंकि यदुनाथ सिंह जाकर सामने बैठ गये हैं तो मंत्री जी सामने न देख कर आंख नीची करके भाषण पढ़े जा रहे हैं, चाहे कुछ सुनाई पड़े या नहीं, इससे उन्हें कोई मतलब ही नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अनुग्रह नारायण जी, उनको बोलने दीजिये । आप का ही समय जा रहा है ।

श्री भोला शकर मौर्य—

मान्यवर, राजघाट नहर परियोजना के अंतर्गत जाखलोन पम्प नहर का निर्माण किया जा रहा है । इस नहर का निर्माण का नियोजन इस प्रकार से किया गया है कि यह राजघाट बांध के पूरे होने पर निर्भर न रहे तथा सिंचाई सुविधा शीघ्र मिलने लगे । इस नहर को पूरा करने पर विशेष बल दिया जा रहा है तथा आवश्यकतानुसार वांछित धनराशि प्राथमिकता पर उपलब्ध कराई जा रही है । उर्मिल बांध, मौदहा बांध, गुन्टानाला बांध एवं केन नहर का पुनरोद्धार परियोजनाओं पर कार्य को तेजी से चलाने के लिये धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है । पथरई बांध पर प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिये गये हैं तथा इस बांध को शीघ्र पूरा करने हेतु बल दिया जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, यह क्या है, भाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

(व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह) —

मान्यवर, हम लोग माननीय सिंचाई मंत्री जी को सुनने के लिये यहां पर बैठे हैं, माननीय मंत्री जी पढ़ रहे हैं और इस पर विवाद पैदा हो गया है, आप तो नियमों को जानते हैं । माननीय मंत्री जी अपने आप बोलें, पढ़कर बोलना नियमों के विरुद्ध है और वह भाषण पढ़ते चले जा रहे हैं और व्यवधान पैदा हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह पढ़ नहीं रहे हैं, वह सहायता ले रहे हैं ।

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी) —

मान्यवर, यह परीक्षा केन्द्र नहीं है, जो किताबें बाहर रख कर आया जाये । यह विद्वानों की सभा है ।

श्री भोला शकर मौर्य—

मान्यवर, शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत निर्मित शारदा सहायक पोषक नहर में जिसकी लम्बाई 259 किलोमीटर है, 72·25 किलोमीटर में लाइनिंग का कार्य वर्ष 1978 तक पूर्ण हो चुका था । वर्ष 1986 के प्रारम्भ में अवशेष लम्बाई में लाइनिंग करने का निर्णय लिया गया। पोषक नहर की लाइनिंग का कार्य 1986 व 1987 में किया गया जिससे जल हानि कम होगी एवं सीपेज से जल प्लावन की समस्या का निदान होगा । वित्तीय वर्ष 1986-87 में परियोजना के अन्तर्गत 8 करोड़ रुपया लाइनिंग कार्यों पर व्यय किये गये और 2·1 किलोमीटर लम्बाई में पूरी नहर में व 12 किलोमीटर लम्बाई में ऊसर क्षेत्र में केवल ढाल (स्लोप) की लाइनिंग का कार्य कराया गया । वर्ष 1987 में पोषक नहर को दिनांक 25-3-87 से 7-6-87 को नहर बन्दी में 6·23 किलोमीटर लम्बाई में पूरी नहर में व 2·5 किलोमीटर में ऊसर क्षेत्र में ढाल (स्लोप) की लाइनिंग का कार्य किया गया है । लाइनिंग के कार्य के लिये इस वर्ष प्रदेश में पहली बार कंक्रीटपेवर मशीन का प्रयोग किया गया है जिससे कार्य की गुण वत्ता उच्च स्तर की रही ।

(इस समय 3 बजकर 42 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।)

(व्यवधान)

मान्यवर, शारदा सहायक परियोजना में जल प्लावन की समस्या रही है । 18 हजार हेक्टेयर में जल प्लावन होता था । इसके लिये हमने 10,240 किलोमीटर में नालों का निर्माण किया है और इस तरह से जो 18 हजार का सीपेज का क्षेत्र था वह होकर 5900 हेक्टेयर रह गया है । इसी तरह से राम की पौड़ी परियोजना में 7 करोड़ रुपये का काम हमें करना था । इससे जो हमारे पुराने घाट थे उनका पुनरुद्धार करना था । उस योजना पर हमने 4 करोड़ रुपये खर्च कर दिये हैं । इसमें लाइनिंग और वृक्षारोपण का काम अभी और किया जाना है । इसी तरह से एक सरयू नहर परियोजना है जो कि एक डाइवर्जन परियोजना है उसमें 9200 किलोमीटर लम्बी नहर बनानी है जो कि घाघरा-राप्ती एवं राप्ती-रोहनी दोआब में 14 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित करनी है उसके तहत गोंडा, बस्ती, बहराइच, गोरखपुर आदि जिलों को लाभ मिलेगा । इस परियोजना का कार्य प्रगति पर है । इसी तरह से क्वानों पम्प नहर की क्षमता में वृद्धि का हमने कार्य किया है । इसी प्रकार नारायणपुर पम्प नहर का पक्का पम्प हाउस का निर्माण लगभग पूरा हो गया है । 14 पम्पों में से 8 पम्पों की स्थापना कर दी गई है तथा शेष की स्थापना का कार्य चल रहा है । मान्यवर, लखवाड़ व्यासी बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यान्वयन हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है और इसके निर्माण कार्य का शीघ्र तीव्र गति से चलाया जायेगा । इसी तरह से जमनिया पम्प नहर की क्षमता 360 क्यूसेक से बढ़ाकर 1050 क्यूसेक करने के लिये उसका कार्य चल रहा है और इसके पक्के पम्प गृह का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

मान्यवर, सबसे महत्वपूर्ण कार्य उत्तर प्रदेश में जो अबतक हुआ है वह टेहरी बांध परियोजना है । इसके लिये रूस से समझौता हुआ है कि वे हमें तकनीकी सहायता देंगे। इसके अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी हमें सोवियत रूस से प्राप्त होगी जिससे इस काम्पलेक्स का कार्य तेजी से चल सकेगा । मुख्य बांध को छोड़कर इस काम्पलेक्स के अन्य कार्य सोवियत रूस द्वारा "टर्न" के आधार पर किये जायेंगे ।

मान्यवर, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजकीय लघु सिंचाई कार्य हेतु 483.15 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया, जिसमें 7 हजार नलकूपों का छिद्रण तथा 6750 नलकूपों का उर्जीकरण प्रस्तावित है । इससे नलकूपों, बंधियों तथा पर्वतीय नहरों द्वारा कुल 7.03 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होगी ।

इसी तरह से मान्यवर, वर्ष 1986-87 के जो हमारे कार्यक्रम थे उसमें भी हमने नलकूपों के लिये काफी कार्य किया है । उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि अभी तक जो नलकूपों के परिचालन एवं मैंटीनेन्स के लिये 4 हजार रुपये की धनराशि थी, उसे बढ़ाकर 5 हजार रुपये कर दी है ।

इसी प्रकार जो हमारी विश्व बैंक की परियोजनायें हैं जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में पब्लिक नलकूप लगाये जा रहे हैं उसके अन्तर्गत अभी तक हमने 2300 नलकूपों का निर्माण हुआ है और 300 नलकूपों का आधुनिकीकरण किया गया है... तथा 450 नलकूप स्वतंत्र फीडर से हमने जोड़े हैं इस तरह से इस योजना का पूरा लाभ हमने उठाया है ।

इसके अतिरिक्त एक बड़ी परियोजना विदेशी सहायता से चलने जा रही है वह इंडो नीदरलैण्ड परियोजना के अंतर्गत 750 नये नलकूप हम लगायेंगे इसके अन्तर्गत एक करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित किया गया है ।

मान्यवर, बाढ़ से उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित होता है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश देश का ऐसा प्रदेश है जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

उसमें क्या कर रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

संदर्भ देने का उनको अधिकार है, माननीय पाण्डे जी, शांति से सुनें ।

श्री भोला शंकर मौर्य—

इससे बचाने के लिये बहुत बड़ा काम हमने किया है । अब तक जो बाढ़ के लिये हमने काम किये हैं उसके अलावा सातवीं पंचवर्षीय योजना में 164.50 करोड़ रुपये का परिव्यय हमने रखा है । इसमें 250 कि0 मी0 लम्बे बांध, 400 कि0 मी0 ड्रेनों का कार्य तथा पांच नगरों की सुरक्षा कार्य करके 3 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करना प्रस्तावित हमने किया है । हमने 1985-86 में 14.70 करोड़ रु0 व्यय करके 20 कि0 मी0 लम्बे सीमान्त बांध और 40 कि0 मी0 लम्बी ड्रेनों का निर्माण किया है तथा इससे हमने 20 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान की है। इसी तरह 1986-87 में 21.15 करोड़ रु0 खर्च करके 25 कि0 मी0 लम्बे सीमांत बांध और 50 कि0 मी0 लम्बी ड्रेन का निर्माण किया है और 30 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान की है । इसके अतिरिक्त हमने 0.94 करोड़ रुपये का व्यय औद्योगिक जल निकासी पर किया है ।

1987-88 में 25.80 करोड़ रु0 के बजट परिव्यय से 25 कि0 मी0 लम्बे सीमांत बांध, 40 कि0 मी0 जल निकासी के लिये नाले आदि का निर्माण करेंगे तथा 32 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करेंगे यह हमारा अनुमान है ।

इसी तरह पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत बड़ा काम हमारा सिंचाई विभाग कर रहा है । सिंचाई विभाग द्वारा समस्त जलविद्युत परियोजनाओं के सिविल कार्यों का निर्माण कराया जाता है जो परियोजना की कुल लागत का 70 प्रतिशत होता है । पहाड़ों में समस्त बहुउद्देशीय एवं जल विद्युत परियोजनाओं के जितने भी सिविल कार्य हैं वह सब सिंचाई विभाग करता है । दुर्गम स्थानों का सर्वे और इनवेस्टिगेशन का काम भी सिंचाई विभाग द्वारा सम्पन्न होता है । इस समय गंगा तथा यमुना घाटी में 304 मेगावाट की मनेरी भाली द्वितीय चरण व 72 मेगावाट की खारा जल विद्युत की दो परियोजनाओं का निर्माण कार्य हो रहा है । इनमें वरीयता के आधार पर काम शुरू किया है ।

जहां तक सिंचाई विभाग के कार्यकलापों का संबंध है उसमें हमने काफी सुधार लाने का प्रयास किया है उसमें मानैटरिंग का काम शुरू किया है । इसमें एक चीज जो हमने नयी शुरू की है वह यह है कि अब तक जो धन आवंटन मैन्टीनेंस के लिये करते थे या परिचालन के लिये करते थे उसमें यह नहीं होता था कि किस मद पर कितना खर्च होगा, इसके लिये हमने मानक तय कर दिया है कि कितना पैसा किस चीज पर खर्च

होगा । इसमें जो पक्के काम 100 साल पुराने हो गये हैं जो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं उन पक्के कामों को करने की वरीयता दिया है ।

मान्यवर, इसी तरह से जनसहयोग लेने के लिये पूरा-पूरा प्रबन्ध किया है । जो मेन्टीनेन्स के लिये पैसा देते हैं उसके लिये हमने जो सब-डिवीजन स्तर पर एक कमेटी बना दिया है उसके लिये जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं उसमें शामिल होते हैं वे कार्यों को देखते हैं, उसके बाद संस्तुति करते हैं तभी 25 फीसदी धन का भुगतान किया जाता है । इन शब्दों के साथ मैं पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे अपने रचनात्मक सुझाव हमारे सिंचाई विभाग के आगे के कार्यकलापों के संबंध में दें।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, पहले मैं बीरबल अकबर की कहानी कहना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

पहले आप कटौती का प्रस्ताव रखें ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं, प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं, प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मंत्री जी जो सामने से खड़े होकर बजट रख रहे थे, तो उनके संबंध में एक दो मिनट की कहानी रखना चाहता हूं —

> अकबर से बीरबल रूठ कर चले गये, गांवों में उनको ढूंढा गया, लेकिन पता न चला । वहां पास के गांव में एक साधू रहता था । गांव के लोग साधू के पास गये और कहा कि बीरबल कहां गया है, बता दें। चूंकि बादशाह अकबर ने एक शर्त रखी है कि दो बकरियों को अलग-अलग बांध दिया जाये और जहां बीरबल होगा वह मालूम हो जायेगा लेकिन शर्त है कि बकरियों को चाहे जितना खिलाओ-पिलाओ लेकिन उनका वजन न बढ़े और न घटे वरना फांसी दे दी जायेगी । गांव वाले बड़े चिन्तित हुये और साधू के पास गये, अपनी समस्या बतायी और कहा कि इसका उपाय बतायें । इस पर साधू ने उपाय बताया कि बकरियों को खूब खिलाओ-पिलाओ पर शाम को उन्हें एक भेड़िये के सामने खड़ा कर दो, बकरों का खाया-पीया सब बराबर हो जायगा और इससे उनका वजन न बढ़ेगा और न घटेगा ।

मान्यवर, वही हाल यहां हुआ कि श्री यदुनाथ सिंह जी मंत्री जी के सामने बैठे थे इसलिये मंत्री जी तो खूब तैयारी करके आये थे लेकिन यहां कुछ बोल नहीं पाये ।

डा0 रजनी कान्त दत्त—

इस प्रकार की बातें कहकर यह सदन का बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं । कोई बहुमूल्य सुझाव देने के बजाए यह समय निकाल रहे हैं । इनका रूख प्रगति विरोधी है, किसान विरोधी है । यह सीधे बजट पर बोलें, और चीजों पर न बोलें । (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, यह विजय सिंह राणा अभी कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहे थे, अपने भाषण में उन्होंने जो कुछ कहा, उस पर मैं आपके माध्यम से सिर्फ यह चीज पूछना चाहता हूं, यह सदा इधर से पूछते हैं, मैं इनसे एक चीज यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अपने वजन के कन्ट्रोल के लिए ही यदुनाथ सिंह को अपने पास बिठाया है ?

(हंसी)

श्री भगवान दीन कुशवाहा—

आप व्यवस्था दें कि जिस तरह से वह बोले हैं, कोई यहां पर बोल सकता है । क्या आपने चर्चा रोक दी है . . . (व्यवधान)

चौधरी श्याम लाल—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, राणा जी का कटौती का प्रस्ताव हो चुका है जो उन्होंने यह कहकर कर दिया है कि न घटना चाहिए, न बढ़ना चाहिए । इस तरह से बजट प्रस्ताव का राणा जी ने समर्थन कर दिया है ।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था नहीं है। नियमों के सम्बन्ध में ही व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाना चाहिए । इसके अलावा कोई उठाएगा तो मैं उसे नहीं सुनूंगा ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, अब मैं बजट पर आता हूं । 1889 में जब इस देश में अंग्रेजी का राज्य था, तब इस देश में एक रायल एग्रीकल्चरल सोसाइटी बनी थी। यह कमेटी श्री जे0 ए0 बोल्कर की अध्यक्षता में बनी थी, जो कंसलटिंग केमिस्ट थे। श्री बोल्कर को भारतीय कृषि की तकनीकी जांच करने तथा कृषि के विकास हेतु सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया था। उसने सन् 1891 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी और उस रिपोर्ट में उन्होंने यह स्वीकार किया था कि हिन्दुस्तान की कृषि और हिन्दुस्तान की खेती में दुनियां की खेती के मुकाबले में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है न योग्यता में न दक्षता में । और कमी यही रही है कि हम हिन्दुस्तान के किसान को अभी तक पूरे साधन उपलब्ध नहीं करा पाये हैं। मैं अब इस सदन के सामने मि0 बोल्कर के इस सम्बन्ध में कहे गये कुछ शब्द रखना चाहता हूं । वह कहते हैं इग्लैण्ड में और कभी-कभी भारत में जो यह धारणा व्यक्त की जाती है कि भारतीय कृषि कुल मिलाकर आदि कालीन और पिछड़ी हुई है तथा इसमें सुधार करने की कोई उपाय नहीं किये गये हैं, पूरी तरह क्रांतिपूर्ण है । यदि उसकी फसल अच्छी रही तो भारतीय रैयत या किसान उतना ही अच्छा है जितना ब्रिटेन का औसत किसान और कुछ मामलों में तो वह ब्रिटिश किसान से भी ज्यादा अच्छी स्थिति में है। लेकिन यदि फसल खराब हो गई तो केवल यही कहा जा सकता है कि इस स्थिति के लिए सुधार की सुविधाओं का यहां जितना अभाव है उतना शायद ही किसी और देश में हो। इसके अलावा कठिनाइयों के मुकाबले में

यहां का किसान जितने धैर्य और बिना शिकायत के संघर्ष करता है उतना कोई दूसरा नहीं । अब मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो सिंचाई विभाग का बजट रखा, मैं उनसे आशा करता था कि प्रदेश की जो सिंचाई स्थिति है, उसको भी स्पष्ट करेंगे, लेकिन यह न कर पूरे समय उन्होंने परियोजनाओं को गिनाने में लगा दिया और सिवाय उनके नाम गिनाने और उनकी रकम गिनाने के अलावा वह कोई काम नहीं कर पाए । यह देश का दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश में जहां कुल राष्ट्रीय भूमि का 21.50 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है, सिंचाई की यह खराब हालत है । पूरे देश में कुल कृषि भूमि 940.63 लाख हेक्टेयर है, उत्तर प्रदेश में करीब उसका 21.50 परसेंट यानी 203 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश एक पूरे देश के बराबर अपने आप में स्थान रखता है । और खासतौर से सिंचाई के बारे में। इन्होंने सिंचाई के आंकड़े जो दिए हैं यह बहुत भ्रामक और इतने गुमराह करने वाले हैं कि दो दिन की छानबीन करके भी निष्कर्ष निकालना मुश्किल हो गया। मान्यवर, पहली बात तो यह है कि 103.68 लाख हेक्टेयर जमीन इन्होंने बताई जहां सिंचाई हो रही है मान्यवर, इन्होंने जो व्यक्तिगत किसान अपनी मेहनत और परिश्रम से जिस भूमि को सींचता है उसको इन्होंने अपने क्षेत्रफल में जोड़ लिया है और इस तरह से इन्होंने बता दिया कि 103.68 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की गई। मान्यवर, नहरों के बारे में कहा गया कि उसमें भी मान्यवर इन्होंने व्यक्तिगत संसाधनों को और प्रयासों को जोड़ दिया है। मान्यवर, नहरों से 48.48 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो रही है नलकूप आदि से 8.10 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो रही है इस तरह से यह कुल 56.58 लाख हेक्टेयर भूमि की ही सींच कर पा रहे हैं यह आंकड़ों की सच्चाई है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यह रबी और खरीफ की फसलों को जोड़कर दिखा देते हैं जिससे यह अपना क्षेत्रफल बढ़ा लेते हैं रबी की फसल में जो इनकी सींच है वह 36.65 लाख हेक्टेयर है और जो खरीफ की फसल की सींच है वह 31.90 लाख हेक्टेयर भूमि है तो इन्होंने दोनों को जड़कर बताया है। यह कुल 36.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को यह सींच रहे हैं जो कुल सिंचित जमीन का 18 प्रतिशत होता है तीसरी बात बोया गया क्षेत्रफल जो दिखाया है वह उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र से आगे निकल जाता है। मान्यवर, जो आंकड़े दिए हैं उसके अनुसार बोया गया क्षेत्रफल 247.07 लाख हेक्टेयर है जबकि कुल कृषि भूमि 203.06 लाख हेक्टेयर है। तो इन्होंने क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए अपनी बात कह दी एक बात और कहना चाहता हूं भौगोलिक क्षेत्र से कमाण्ड क्षेत्र ज्यादा है ऐसा क्यों है? उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 294.41 और परियोजनाओं का कमाण्ड क्षेत्रफल 298.09 लाख हेक्टेयर है।

मान्यवर, पांचवी बात मैं जिन्स के बारे में कहना चाहूंगा। जिन्स बदलकर क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है। मान्यवर, पूरे प्रदेश के अन्दर इंजीनियर वर्ग जो निकम्मा है घर बैठा रहता है यह केवल जिन्स बढ़ाकर सरकार की वाहवाही लूटता है। जिन्स बदलने का मतलब है कि एक एकड़ गेहूं की सींच तीन एकड़ पलेवा चार एकड़ चारा। इस इस तरह से यह जिन्स बदलकर सिंचाई दिखाते हैं ऐसी स्थिति को इनको रोकना चाहिए इस तरह से यह नियंत्रण नहीं कर पायेंगे तो प्रदेश के किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है वह बराबर होता रहेगा तो इसको रोकने की जरूरत है नहरों के

डिजाइन के बारे में कहना चाहूंगा। 40 परसेंट पानी के डिस्चार्ज पर नहरें डिजाइन की गयी हैं। यह कहते हैं कि हम 49.07 परसेंट पानी दे रहे हैं। तो यह कैसे संभव है कि 40 परसेंट पानी के डिस्चार्ज पर नहरें बनी हों और पानी जा रहा हो 49.07 परसेंट। इससे साबित होता है कि यह आंकड़े तथ्यहीन हैं। इनको पढ़कर आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि यह आंकड़े सच हैं या सफेद झूठ हैं। फर्जी आंकड़े देकर आप गुमराह करते हैं। आप जिन्स बदल कर क्षेत्रफल तो बढ़ा देते हैं लेकिन जो आपका राजस्व वसूल होता है उसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं होती है क्योंकि आप जो रकम वसूल करते हैं उसको तो बढ़ा नहीं सकते हैं। गेहूं की जगह 3 पलेवा दिखाकर क्षेत्रफल तो बढ़ जायगा लेकिन राजस्व उतना ही रहेगा। इसका परिणाम यह होता है कि आप घाटे पर रहते हैं। जब आपको राजस्व नहीं मिलता है तो आप घाटे पर रहते हैं। मैं 1986-87 के आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। खरीफ में आपने 3190 हजार हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की। रबी में 3665 हजार हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की। कुल मिलाकर यह 6875 हजार हेक्टेयर हुआ और आपको राजस्व की प्राप्ति हुयी 80 करोड़ 88 लाख 75 हजार (808875 हजार) की। आपके विभाग का जो व्यय है वह 1 अरब 57 करोड़ 62 लाख 4 हजार रुपये का है। आपने सूद पर खर्च किये। 1 अरब 52 करोड़, 71 लाख, 98 हजार तो खर्च हुआ 3 अरब 10 करोड़ 34 लाख 2 हजार इस तरह से आपका जो घाटा हुआ वह 2 अरब, 29 करोड़ 45 लाख 27 हजार रुपये का। पिछले वर्ष भी 1 अरब 73 करोड़, 38 लाख, 50 हजार रुपये का घाटा हुआ। तो यह घाटा हर साल बढ़ता चला जा रहा है। इससे लगता है कि इनको अपने राजस्व की कोई चिंता नहीं है केवल कोरी वाहवाही लूटने का काम आप करते हैं। आप क्षेत्रफल तो बढ़ा लेते हैं लेकिन राजस्व मिलता नहीं है जिसका नतीजा है कि किसान तबाह हो रहा है। अगर आप सही तथ्यों पर चलें तो किसान को न्याय मिले। आप जो यह क्षेत्रफल बढ़ा लेते हैं इससे किसान का शोषण होता है इसलिये इसको रोकने की कार्यवाही करें। ताज्जुब की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई की दरें सबसे अधिक हैं फिर भी यहां पर घाटा हो रहा है। यहां पर अन्य प्रदेशों से सिंचाई की दरें ज्यादा हैं फिर भी सर्वाधिक घाटा उत्तर प्रदेश में है। दूसरी जगहों पर जो सिंचाई की दरें हैं मैं उनको बताना चाहता हूं। तामिलनाडू में सिंचाई की दर 23.64 रुपये प्रति हेक्टेयर पंजाब, में है 27.07 रुपये प्रति हेक्टेयर। हरियाणा में है 56.04 रुपये, मध्य प्रदेश में है 49.53 रुपये और बिहार में है 58.92 रुपये तथा उत्तर प्रदेश में है 67.09 रु0 प्रति हेक्टेयर रुपये। तो सबसे ज्यादा सिंचाई की दर होने के बावजूद भी इस प्रदेश की जनता को कोई राहत आप नहीं दे पा रहे हैं और आपका व्यय बढ़ता चला जा रहा है अब मान्यवर, सवाल यह आता है कि आप जो क्षेत्रफल सींच रहे हैं उसकी कसौटी क्या है ? जब देश में सूखा पड़ता है तब पता चलता है कि आप कितनी सिंचाई कर पा रहे हैं। जब देश में सूखा पड़ता है तब आप 10 से 15 प्रतिशत तक जमीन सींच पाते हैं। तब आपके आंकड़े कहां चले जाते हैं और आपकी नहरों का पानी कहां चला जाता है। सूखा इस देश के सिंचाई को जांचने की कसौटी है। यह एक ऐसी कसौटी है जिस पर आपके आंकड़े बेकार साबित हो जाते हैं। गतवर्ष भयंकर सूखा पड़ा। इतना सूखा था कि 80-90 प्रतिशत नुकसान की रिपोर्ट जिलों से आयी।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर फसल की रोपाई के समय पर प्रकृति की कृपा न होती, पानी न पड़ा होता तो इस प्रदेश की 3/4 जमीन जो है, वह

मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिना बीज पड़े रह जाती । एक बार पानी पड़ गया और फसल की पूरी रोपाई हो गयी । इसी तरह से फसल की पकाई के समय समय पर पानी पड़ गया और पानी पड़ने से किसान की फसल पककर घर आ गयी । अगर फसल की पकाई के समय पानी न पड़ा होता तो प्रदेश की 3/4 फसल खेतों में सूख जाती किसान बरबाद हो जाता और आप मूकदर्शक बनकर तमाशा देखते रहते । इस से अगर आप सिंचाई की स्थिति परखना चाहते हैं तो सूखे की स्थिति देखिये ।

मान्यवर, बाढ़ की स्थिति के बारे में बहुत कुछ लिखा है, बाढ़ की स्थिति के बारे आंकड़े यह हैं कि प्रतिवर्ष बाढ़ से 23 प्रतिशत जनसंख्या प्रभावित होती है और 25 प्रतिशत क्षेत्रफल प्रभावित होता है बाढ़ से तथा 500 करोड़ रुपये की सम्पत्ति पशु और जनधन की हानि होती है । बाढ़ से आप तमाम बचाव कार्य करते हैं । मान्यवर, इसके लिए केन्द्र सरकार ने एक हाथी कमीशन बनाया था । यह 1976 में बना था और 1980 में इसकी रिपोर्ट आई । उस रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बाढ़ से बचाव के लिए कोई कारगर उपाय नहीं करती । मान्यवर, उसके शब्दों में कहना चाहता हूं "बाढ़ का एहसास करने के बावजूद भी प्रदेश सरकार इस पर कोई काम नहीं कर रही है । 1978 में सबसे अधिक क्षति हुई और बार बार कहने पर भी प्रयास नहीं किया गया ।" यह इसकी रिपोर्ट में है । तो मान्यवर, बाढ़ की स्थिति यह है और इस स्थिति में आपसे मैं कहना चाहता हूं कि बचाव कार्य जो उत्तर प्रदेश में किये गये हैं उसके आंकड़े भी मौजूद हैं । उत्तर प्रदेश की सरकार बचाव कार्य करने में सबसे पीछे है ।

बिहार में मान्यवर, 46.4 प्रतिशत भूमि को बाढ़ से रक्षा मिलती है, पश्चिमी बंगाल में 43.4 प्रतिशत, हरियाना में 68.7 प्रतिशत, पंजाब में 69 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश कुल मिलाकर 18 प्रतिशत जमीन की बाढ़ से रक्षा कर पाता है तो दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में आप कहां हैं । मान्यवर, कटान के लिए इनके पास न कोई योजना है और न कोई दिमाग है, न कोई सूची है । कटान की इतनी भयंकर समस्या है और खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में और आप वहां की जनता को मुक्ति नहीं दिला सकते हैं । ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहता हूं कि जो इनके कार्य हैं सिंचाई संबंधी वह मान्यवर, बिल्कुल शून्य के आसपास है । अब इनके पास केवल एक बात रह जाती है । इसमें एक लम्बी फहरिस्त, लम्बी सूची दी है योजनाओं की कि इतनी योजनाएं इनके पास चल रही हैं, इतना खर्च होगा, इतना लाभ होगा इतने मेगावाट बिजली बनेगी इतना लाभ होगा । मान्यवर, यह कहीं इसमें नहीं दिया गया है कि कौन सी योजना कब शुरू की गयी थी, कौन सी योजना कब खत्म होगी और कितने रुपये प्रारम्भ में उसके ऊपर अनुमानित लागत के रूप में स्वीकृत किये गये थे वह कब कब कहां कहां बढ़ी है और मान्यवर, अन्त तक बढ़कर वह कितना पहुंच जायेगा इस बात का कुछ नहीं दिया गया है । एक परियोजनाओं का इन्द्रधनुष आकाश में खींच दिया है और दिखाते हैं जनता को कि इस इन्द्रधनुष को उतारकर पृथ्वी पर ला रहा हूं और जनता इस इन्द्रधनुष को पाने के लिए दौड़ती है और आज तक वह नहीं उतार पाये । मान्यवर, जितना खर्च स्वीकृत किया गया वह बढ़ते बढ़ते दुगने,

तिगुने और चौगुने तक पहुंच गया और योजनाओं का अंत अभी तक नहीं हो पा रहा है ।

मान्यवर, एक पौराणिक गाथा है भोला शंकर बाबा की जटा से गंगा जी निकली थी और एक यह भोला शंकर है कि गंगा और जमुना दोनों का पानी आंक लगाकर पी गये और सिंचाई के आंकड़े इतने अधिक बढ़ा दिये कि लगता है कि सारा प्रदेश पानी से सराबोर हो जायेगा । मान्यवर, मंत्री जी बैठे-बैठे मुस्करा रहे हैं । ऐसी स्थिति में इनकी परियोजनाएं जो हैं, जितनी परियोजनाएं हैं मेरा परियोजनाओं के लिए एक सुझाव है आपको पहले प्रदेश की जमीन की सिंचाई के लिए जो स्थानीय साधन थे उसकी ओर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए था और उसके अनुसार बड़ी योजनाओं को चयनित करना चाहिए था, जिसे प्रदेश की जनता को ज्यादा पानी मिल पाता । ये जितना भी मांग-मांग करके लाये हैं, वह परियोजनाओं पर खर्च करते जा रहे हैं । विश्व बैंक से कर्जा ले लेंगे, जहां कहीं से भी कर्जा इनको मिल सकता था, वहीं से ये कर्जा ले आये । बिलकुल भिखारी की स्थिति में ये चौराहे पर खड़े हैं । इनकी 71 परियोजनाएं काम कर रही हैं । 10 तो ये छठीं पंचवर्षीय योजना तक पूरा किये हैं । 16 वृहद, 25 मध्यम और 6 आधुनिकीकरण की परियोजनाएं सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूरी होने के वायदे में हैं। मैं नहीं समझता कि वह पूरी होने वाली हैं । माधो टांडा, कोसी बेलन, बकहर, व्यवर्तन, टेकवा बांध, धाता पम्प नहर, सरयू पम्प नहर शीघ्र पूरी होने को हैं । बुन्देलखण्ड में ये बांध बनाये हैं । पथरई बांध, कुरार बांध, लखेरी बांध, रोंजिन बांध, चरखारी बांध ये बुन्देलखण्ड में प्रारम्भ हो गये हैं । मान्यवर, ये सभी योजनायें इन्द्र धनुष की तरह आकर्षक, लुभावनी और आल्हादकारी हैं, पर जैसे इन्द्र धनुष लगता है कि धरती पर उतर रहा है और कभी नहीं उतरता, उसी प्रकार इन योजनाओं का हाल है, जिनका न आदि है और न अन्त है । मान्यवर, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि इन योजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाय । अगर मान्यवर, ये योजनाएं पूरी हो गयीं, तो उत्तर प्रदेश का भाग्य जग जायगा ।

मान्यवर, टेहरी परियोजना के संबंध में माननीय बरार साहब ने प्रश्न किया था। लगता है कि उसको पूरा होने की कल्पना भी नहीं हो सकती है । यह परियोजना 1978-79 में प्रारम्भ हुई और इसे 1988-89 में पूरा होने का वायदा किया गया था यानि 10 वर्ष में उसको पूरा करने का वचन था । इसकी प्रारम्भिक लागत अनुमान 167 करोड़ का थी । 1984 में बढ़कर 1065, 87 करोड़ हो गयी और अब बढ़कर 1345.60 करोड़ हो गयी है । मान्यवर, सिंचाई विभाग को कुल 269.10 करोड़ खर्च करना है, अब तक 1345.60 करोड़ खर्च हो गया । इस बजट में 9.88 करोड़ का प्राविधान किया गया है । ये इस शताब्दी के अन्त तक तो पूरी नहीं हो सकती है और इसका खर्च बढ़ कर 20 से 25 अरब रु0 तक जायगा । मान्यवर, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि सिंचाई विभाग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ अन्याय कर रहा है । आजादी के बाद इस प्रदेश के अन्दर जो सिंचाई के आंकड़े थे, उन्होंने हिसाब लगा करके यह कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 40 प्रतिशत सिंचाई होती थी आजादी से पहले और पूर्वी उत्तर प्रदेश में केवल 18 प्रतिशत सिंचाई होती थी ।

आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 52 प्रतिशत और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 72 प्रतिशत हो गयी है । यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ अन्याय नहीं है, तो और क्या है ? मान्यवर, ये 750 नलकूप लगाने जा रहे हैं और ये 750 नलकूप नीदर लैण्ड की सहायता से पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगायेंगे । तो मान्यवर, यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ अन्याय नहीं है, तो क्या है ? जितनी परियोजनायें इनकी हैं, टेहरी परियोजना और रामगंगा कमांड को छोड़कर ये कोई भी परियोजना पूरी नहीं कर रहे हैं ।

मान्यवर, टेहरी डैम योजना को भी यह समय से पूरा नहीं कर पायेंगे इसलिए मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप पश्चिम उत्तर प्रदेश को न्याय दिलाने की कृपा करें नहीं तो जैसा पहले कहा जा चुका है कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान एक दिन बागी हो जायेगा और फिर उसको नियंत्रित करना आपके लिए मुश्किल हो जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राणा जी, आप थोड़ा समिति करें क्योंकि 25 मिनट हो चुके हैं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, एक मध्य गंगा कैनाल आप निकालने जा रहे हैं हमारे आगरा और मथुरा जिले की मुख्य समस्या यह है कि आगरा कैनाल से उत्तर प्रदेश और हरियाणा को पानी पहुंचता है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप अपने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को इस बात की ताकीद करें कि वे यमुना के ऊपर होकर आगरा नहर को मिलवा दें । मान्यवर, जो आगरा कैनाल की योजना है, आज तक उस इंजीनियर की तारीफ करना पड़ता है कि उसमें आज तक एक भी इंच सिल्ट जमा नहीं हुई है । जिस तरह से आजकल हो रहा है अगर वैसा होता तो उसके अन्दर पूरा आगरा कैनाल सिल्ट से जमा हो जाता और आगरा और मथुरा की जनता एक-एक बूंद पानी के लिए तरसती रहती । जिस तरह से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पानी का विवाद है उसी तरह से यहां भी है लेकिन हरियाणा में एक-एक कैनाल और माइनर से पानी खेतों तक पहुंचा दिया गया है और यहां कि निकम्मी सरकार आज तक यह नहीं कर पाई कि कम से कम साल के साल सफाई के लिए दिये गये पैसे से उसकी सफाई करवा दें और मान्यवर, अभी इसी मई और जून में कम से कम 3-4 बार आगरा कैनाल टूटी है, आप उसकी व्यवस्था करिये ।

मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा और पंजाब की पानी की समस्या के अन्दर 65 प्रतिशत पानी हरियाणा के अंदर जा रहा है और बाकी 33 प्रतिशत पानी आगरा और मथुरा के अंदर जा रहा है और पूरे पानी की व्यवस्था वो हरियाणा अपनी व्यवस्था में लेना चाहता है और अगर ऐसी ही व्यवस्था बनी रही तो पूरी पानी की व्यवस्था को हरियाणा अपनी व्यवस्था में ले लेगा और आगरा और मथुरा दोनों जिले पानी के एक-एक बूंद के लिए तरस जायेंगे इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप हाथरस हेड के जरिये मथुरा, कोसी और धाता के बीच मिला दें उससे हरियाणा में पानी नहीं जायेगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही होकर जायेगा । मान्यवर, इनकी एक योजना चल रही है चम्बल डाल योजना वहां एक भी इंजीनियर नहीं रहता है । आगरे से पेट्रोल और डीजल खर्च करके 82-83 किलोमीटर दूर जाते हैं लेकिन एक भी आदमी

वहां नहीं रहता है । वहां पर आपने शुरू-शुरू में यह किया कि चम्बल डाल योजना के अन्दर जो ईंटें पकेंगी वह सरकार अपने पैसे से पकायेगी ।

वहां का जो भ्रष्ट इंजीनियर है, गर्ग इन्हें हर प्रकार की दलाली करने की पूरी छूट दे दी गयी है और मान्यवर जब माननीय मुख्य मंत्री जी वहां पर गये थे तो मैंने उनके संज्ञान में सारी बातें ला दी थीं, परन्तु आज तक मान्यवर मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई जांच नहीं हुयी और न ही किसी की कोई कार्यवाही की गयी अब तक और मान्यवर इसके दो लड़के हैं और दोनों केमिकल के कारखाने इन्होंने खुलवा दिए हैं ।

मान्यवर, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, दोनों तरफ के माननीय सदस्य भी अपनी बातें रखने के इच्छुक हैं, इसलिए मैं पूरी बात न रखकर केवल सुझाव के रूप में कुछ बातें रखना चाहता हूं । मान्यवर, इन्होंने कर्मचारियों की एक लम्बी फौज खड़ी कर रखी है, लगभग 84,563 कुल कर्मचारी हैं और जो ऊपर के कर्मचारी हैं, वह दिन प्रति दिन ऊपर चढ़ते जा रहे हैं और जो नीचे के कर्मचारी हैं, वह कम होते जा रहे हैं और इनकी वरिष्ठता नाम की कोई सूची नहीं है । किसी को लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर प्रमोशन दे दिया गया और इसको देखकर कुछ लोग हाई-कोर्ट व सुप्रीमकोर्ट चले गये और उन्होंने स्टे ले लिया तो तदर्थ नियुक्तियों वालों को प्रमोट कर दिया गया और लोक सेवा आयोग को फेस करने वाले पीछे रह जाते हैं, इस प्रकार की स्थिति इनके यहां मौजूद है और 23 वर्षों के सेवा काल के इंजीनियर की भी प्रोन्नति नही हुयी है, इनके एक इंजीनियर थे जो दूसरी जगह डेपुटेशन पर गये तो वहां जाकर ऊंचे स्थान पर प्रमोशन पा गये, और जो अधिकारी भी इनके यहां से किसी दूसरे जगह गये हैं, करीब-करीब सभी की प्रोन्नति हो गयी है, कोई चीफ इंजीनियर बन गया तो कोई चीफ कमाण्डर, कोई एस0 ई0 और कोई सी0 ई0 परन्तु इनके यहां पोस्टेड स्टाफ अभी ज्यों का त्यूं बना हुआ है, वही का वही बना हुआ है । अब मान्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को इस आशा के साथ समाप्त करता हूं कि माननीय मंत्री जी हमारे सुझावों को नोट जरूर करें और जब वे अपना उत्तर दें तो एक-एक बात का मेरी उत्तर अवश्य दें, धन्यवाद ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो सिंचाई का बजट रखा है और मा0 राणा जी ने ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं मान्यवर दोनों के भाषण बड़े ध्यान के साथ सुन रहा था, लेकिन जब माननीय मंत्री जी अपनी बात रख रहे थे उस समय विरोध पक्ष उनकी बातों को सुनने नहीं दे रहा था, परन्तु जब माननीय राणा जी ने अपना भाषण शुरू किया तब से मैं इनकी एक-एक बात को गौर से सुनता रहा और इन्होंने कहा कि माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, वह झूठे हैं मैं मान्यवर, माननीय राणा जी को बड़ा जिम्मेदार सदस्य समझता था और मैं इनकी बड़ी इज्जत भी करता था परन्तु मान्यवर इस समय इन्होंने जो बड़ी गैर जिम्मेदारी की बातें कहीं, उससे बड़ा आश्चर्य मान्यवर मुझे हुआ (हंसी) लेकिन मान्यवर जो आंकड़े इन्होंने प्रस्तुत किये हैं, गलत और झूठे आंकड़े इन्हें कहा जा सकता है, मान्यवर, इस पुस्तिका में जो आंकड़े दिये गये हैं कि कितनी भूमि कृषि योग्य है, कितनी सिंचित है और कितनी

अब हम और सिंचित करने जा रहे हैं इन आंकड़ों को यह कहीं से कहीं देख गये हैं, इसलिए इनकी समझ में नहीं आ सका है ।

श्री विजय सिंह राणा–

यह पुस्तक जो आप मा0 मंत्री जी ने अपने बजट से संबंधित दी है, उस किताब के अनुसार, मान्यवर आप देखें ।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 राणा साहब, आप कृपया बैठिए, माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं अभी आपको फिर बात करने का मौका मिलेगा, तब उस समय इनकी बात का उत्तर दे दीजिएगा, इस तरह से आपस में टोका-टाकी से संबंधित कोई बात-चीत न की जाय, टोका-टाकी से संबंधित कृपया बैठें ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, जो पुस्तक आज सदन में उपलब्ध कराई गयी है उसी में सारा ब्योरा दिया गया है । पहले पृष्ठ पर है कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल 203.70 लाख हैक्टेयर, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 172.73 लाख हैक्टेयर एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल 72.94 लाख हैक्टेयर और इस कुल बोया गया जो शुद्ध और एक बार से अधिक बोये गये क्षेत्रफल का योग है 250.67 लाख हैक्टेयर । ऐसे ही वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल है 98.79 लाख हैक्टेयर, एक बार से अधिक सिंचित क्षेत्रफल 22.69 लाख हैक्टेयर और इन दोनों का योग अर्थात सम्पूर्ण सिंचित क्षेत्रफल 121.48 लाख हैक्टेयर ।

इस प्रकार से सम्पूर्ण सिंचित क्षेत्रफल का योग 121.48 लाख हैक्टेयर है । कोई भी बात छिपाने की कोशिश विभाग की ओर से या सरकार की ओर से नहीं की गयी है । हों, आपने छिपाने की कोशिश की है । आकड़ों में कोई झूठ नहीं है पर इतना जरूर है कि आधे आंकड़े पढ़कर राणा जी ने आधा झूठ बोलने की कोशिश जरूर की है । इसके आगे आप देखें कि एक तारांक लगाकर बताया गया है कि 121.48 लाख हैक्टेयर में समस्त राजकीय साधनों द्वारा 54.38 लाख हैक्टेयर सिंचाई की गयी, तो विभाग ने सदन के सामने ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे हैं, जिससे पता लगे कि वे कोई बात छिपाना चाहते हैं । मैं इसके भी आगे कहना चाहूंगा, इसी पुस्तिका में आगे देख लें, लिखा है कि "इन प्रयासों के फलस्वरूप सम्पूर्ण प्रदेश के राजकीय सिंचाई साधनों की क्षमता में योजनाकाल में 3 गुनी से अधिक वृद्धि हुई, परन्तु प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते हुए यह वृद्धि अपर्याप्त है । वर्तमान जनसंख्या वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में तथा वर्षाऋतु में व्यर्थ बह जाने वाले जल को सिंचाई में उपयोग में लाने हेतु प्रदेश के जल संसाधनों की तीव्र गति से बढ़ाने की आवश्यकता है । इस कार्य के लिये पर्वतीय क्षेत्र में जलाशयों के निर्माण की गति तीव्र करनी है, क्योंकि लगभग समस्त संभावित व्यावर्तन परियोजनाएं या तो निर्मित हो चुकी हैं अथवा निर्माणाधीन हैं ।" तो यह शासन को खुद चिंता है कि इस प्रकार जितनी सिंचाई की सुविधाएं विस्तृत की हैं, उससे अधिक कार्य इसमें होना है । पिछले 40 वर्षों में 28 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 100 लाख हैक्टेयर सिंचाई क्षमता हो गयी है और उत्तर प्रदेश का सिंचाई में स्थान पूरे भारतवर्ष में प्रतिशत में पंजाब और हरियाणा को छोड़कर आगे है । केवल तमिलनाडु में एक परसेंट ज्यादा है और सारे भारत वर्ष

में सारे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की सिंचाई क्षमता 48.46 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है । यह वर्ष 1981-82 का आकड़ा है । इस समय तो 50 प्रतिशत से भी आगे है ।

श्रीमन्, मैं मा0 मंत्रीजी को अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं । क्योंकि, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, इसलिये सरकार सिंचाई पर पूरा ध्यान दे रही है, इसके बावजूद मैं कुछ बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि शासन को हमारे सिंचाई साधनों के पूरे उपयोग की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है । चाहे राजकीय नलकूप हो या नहर हों, उनका पूरा उपयोग न होने का क्या कारण है, इस पर विचार करना होगा । राजकीय नलकूपों में स्थिति यह है कि जो फेल होने का मुख्य कारण है वह इस विभाग से संबंधित नहीं है, बिजली विभाग का मामला है । बिजली पूरी मिले तो जो 15 अरब रुपये लगाकर 25 हजार नालकूप लगाए गये हैं, इनको 6 घंटे रोज बिजली मिलने के कारण केवल 25 परसेंट ही इनका उपयोग हो पाता है । जब बिजली नहीं मिलेगी तो इन नलकूपों का पूरा उपयोग नहीं हो सकेगा । आप बिजली विभाग से सम्पर्क करके चाहे विभाग को इन्ही के लिये अलहदा विद्युत गृह लगाने पड़े या और कोई व्यवस्था करनी पड़े, इन 15 अरब रुपयों से लगे नलकूपों के पूरे उपयोग के लिये अवश्य कोई कार्यवाही करनी होगी ।

मान्यवर, आगरा में 400 में से 200 नलकूप इस समय खराब हैं, भूमि का जल स्तर गिर रहा है, उस जगह को देखने की आवश्यकता है । वहां पर पुरानी-पुरानी नालियां हैं, जो 25-30 साल पहले की बनी हैं । उनको अब देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी प्राचीन सभ्यता के भग्नावशेष बचे हों । इसलिये आप इन नालियों के आधुनिकीकरण की योजना बनावें और इनके लिये जैसा विश्व बैंक के पैटर्न पर अन्डर ग्राउन्ड पाइप लाइनें बिछाई गयी हैं, उसी प्रकार नलकूपों के इस पूरे जल का उपयोग करने की आवश्यकता है । इसी प्रकार से जो नहरें हैं, उनके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है कि उनकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं होता है, पंजाब और दूसरे प्रान्तों की भांति जैसा कि लोग उदाहरण देते हैं, तो वहां पर नहरें इतनी लम्बी नहीं हैं, किन्तु हमारा यह प्रदेश इतना बड़ा होने के कारण नहरें यहां पर बहुत लम्बी हैं । इनसे 50-60 परसेंट जल सीपेज से बेकार चला जाता है और पूरी मात्रा में उस योजना पर लगे पैसे का इस्तेमाल नहीं होता है ।

तो मुख्य नहरों की जब नयी योजना बनायी जाय, तो पक्की की बनायी जाय । मान्यवर, बहुत पहले पक्की नहरों की लागत कच्ची नहरों की अपेक्षा ज्यादा आती थी । लेकिन, आज वास्तव में पक्की नहर की लागत कच्ची नहर के मुकाबले बहुत अधिक नहीं पड़ती है । उसमें केवल 1/3 भूमि की आवश्यकता पड़ती है । उन पर पक्के कार्यों की लम्बाई और लागत भी 1/3 रह जाती है । मेरा इसलिए आपसे अनुरोध है कि जितनी नयी योजनायें बनायें मुख्य नहरों की, बाकी जो डिस्ट्रिब्यूटरी हैं उनको बाद में भी पक्की कर सकते हैं, नयी नहरों की पहले ही पक्की बनायें क्योंकि एक बार परियोजना पूरी हो जाने पर इन्हें बंद करके पक्का नहीं कर सकते ।

मान्यवर, मैं इसी के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के लोगों को बधाई देता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उ0 प्र0 का जो पहले फर्क था, पूर्वी और पश्चिमी

उ0 प्र0 का यह फर्क, सिंचाई के मामले में समाप्त हो गया है । पूर्वी उ0 प्र0 में भी अब उतनी ही सिंचन क्षमता विकसित हो चुकी है जितनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले थी । यह जो सिंचाई विभाग की तरफ से पुस्तक उपलब्ध हुई है, उसको तालिका 3 में दिया हुआ है । उसी के कुछ आंकड़े मैं प्रस्तुत कर रहा हूं । पूर्वी क्षेत्र में भूमि उपयोगिता के लिये प्रतिवेदन क्षेत्रफल (1983-84) 86 लाख हेक्टेयर तथा वर्ष 1986-87 के अंत पर कुल सिंचन क्षमता (अनुमानित) 35 लाख हेक्टेयर दर्शाया गया है । पश्चिमी क्षेत्र 82 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 36 लाख हेक्टेयर है । मंत्री जी ने हमें उसके भी बाद की, सूचना दी है ।

मान्यवर, पश्चिमी उ0प्र0 का एक भाग रुहेलखंड है सात जिले हैं इसमें वहां भूमि उपयोगिता के लिये प्रतिवेदन क्षेत्रफल 30 लाख हेक्टेयर है, सिंचन क्षमता 9 लाख हेक्टेयर में है । 32 प्रतिशत सिंचाई है । माननीय मंत्री जी इसको पश्चिम में मानते हैं, हमारे साथी भी इस खण्ड को पश्चिम में मानते हैं, मेरा कहना यह है कि जब बाकी प्रदेश को आप बराबर पर ले आये हैं, तो रुहेलखण्ड मंडल के 7 जिलों को भी बराबरी पर ले आयें । आने वाले समय में यह 55 प्रतिशत तो सिंचन क्षमता हो ही जाय, इतनी सिंचन क्षमता पर पहुंच जाय । ट्यूबवेल के बारे में तालिका 5 में दिया गया है । पश्चिमी उ0 प्र0 में जिसमें 19 जिले शामिल हैं, 9471 नलकूपों की संख्या है, इसमें 31-3-86 तक की स्थिति दर्शायी गयी है । पूर्वी क्षेत्र में 9908 हैं, 15 जिले शामिल हैं । मध्य क्षेत्र भी पिछड़ा हुआ है। फतेहपुर, लखीमपुर, सीतापुर, कानपुर, बाराबंकी आदि भी इस मध्य क्षेत्र में हैं । इसमें लगभग 3000 ट्यूबवेल हैं । इसमें 10 जिले सम्मिलित हैं । मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना है कि जब प्रदेश के सर्वांगीण विकास की बात सोचें तो सिंचाई की योजना बनाते समय पश्चिमी क्षेत्र के जो जिलें हैं, मध्य क्षेत्र के जो मिले हैं, उन्हें भी सिंचाई योजनाओं में उतना ही हिस्सा देना पड़ेगा । नहीं तो आपस में जनता में लोगों में अजीब अन्याय तथा अलगाव की भावना पैदा होती है। मैंने आपसे पहले भी आग्रह किया है कि रुहेलखण्ड की जो कैनाल प्रणाली है, जो रामपुर और बरेली जिलों को सींचती है । बरेली जिले में कई कच्चे बांध लगते हैं । जनवरी में बांधे जाते हैं और जून में बरसात होते ही काट देते हैं । बल्ली रेगुलेटर नाम की एक बांधी है, जिससे 25 हजार हे0 क्षेत्र की सिंचाई हो सकती है ।उसका रेगुलेटर पुराना टूट गया था और हर वर्ष कच्चा बांध लगाते हैं जो सिर्फ 1000 एकड़ सिंचाई कर पाता है । यदि एक करोड़ की लागत से वहां पक्की बैराज रेगुलेटर बन जाय, तो 50 ग्रामों के 25000 एकड़ सिंचाई में सुविधा हो जायेगी । मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया इसे नोट कर नयी योजना में जरूर स्वीकृत करायें । मैंने जो बताया था कि इनबेलेंस हो रहा है प्रदेश की योजना में सिंचाई क्षेत्रफल में, वह भी इसके बन जाने से वह भी इसके बन जाने से वह भी पूरा होगा । इसके अतिरिक्त यह भी कहना चाहता हूं कि जो विश्व बैंक की योजनान्तर्गत नलकूल समूह लग रहे हैं, उसमें कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी बदायूं जनपद आपका ही जनपद है, वहां ट्यूबवेल कम हैं, जितने हमारे जनपद बरेली में जिन्हें हम कम मानते हैं वहां पर उतने भी नहीं हैं, वहां को भी देखें । इसके अतिरिक्त बरेली जनपद, रामपुर जनपद में इन नलकूप समूहों को अधिक से अधिक दें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत सिंचाई विभाग के बजट का स्वागत करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, पी0 डब्लू0 डी0 का भी आज बजट साहित्य उपलब्ध करवा दें । कल बजट प्रस्तुत होना है विभाग का । हम लोगों को मिल जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

पी0 डब्लू0 डी0 का जो कल बजट है, उसके संबंध में जो भी साहित्य या सामग्री हो, उसे आज ही उपलब्ध कराने का प्रयास करें । इस संबंध में इतला करा दें ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सिंचाई विभाग के बजट के संबंध में कार्य प्रगति का संक्षिप्त विवरण और आय-व्ययक दिग्दर्शिका संबंधी दो पुस्तकें वितरित की हैं । अभी मैं आंकड़ों की चर्चा सुन रहा था । वैसे सारा मामला आंकड़े में ही है। मंत्री जी भी इन आंकड़ों के झंझट में डूब जायेंगे । मेरा कहना यह है कि पहले दिशा निर्धारित कर लीजिये, काम बहुत तेजी से होगा । मैंने पिछले साल भी सिंचाई विभाग से संबंधी पुस्तकें पढ़ी, इस साल भी पढ़ी, जो सिंचाई विभाग की दिशा है हर बार यह कहा जाता है कि "पर्याप्त सिंचन क्षमता का सृजन", यह गोल-मोल व लचर भाषा का प्रयोग किया जाता है । यदि आपको उत्तर प्रदेश के अंदर सिंचन क्षमता को बढ़ाना है तो क्यों नहीं साफ-साफ बात कहते हैं । आप कहें कि उत्तर प्रदेश के "हर खेत तक पानी जायेगा।" अर्थात हर खेत तक पानी पहुचाने की क्षमता लाई जायेगी । दूसरी बात सींचपाल के संबंध में कहना चाहता हूं चाहे वह ट्यूबवेल्स के हों या नहर के हों, इनकी स्थिति बिल्कुल लेखपाल की तरह है । किसान को पानी मिल नहीं पाता है और किसान से पैसा ले लिया जाता है । मैं कहना चाहता हूं कि आप हर खाते दार को एक सींच-बही क्यों नहीं दे देते । 20-20 व 18-18 साल हो गये हैं, नहरें बन गई हैं, लेकिन भूमि अध्याप्ति का काम आज तक नहीं हुआ है और किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिल पाया है, इसलिये आपको यह तय कर लेना चाहिए कि जब तक भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूरी नहीं हो जायेगी और किसान को उसका मुआवजा नहीं मिल पायेगा । तब तक भूमि का अधिगृहण नहीं किया जायेगा । कुछ लोगों को आपने नलकूपों पर नौकरी दी है । 4-4- व5-5 साल हो गये लेकिन अभी भी वे 10 रुपए प्रति दिन की हिसाब से मजदूरी कर रहे हैं, इसलिए इसकी तरफ भी आपको ध्यान देने की जरुरत है ।

बस्ती जिले की तरफ बार-बार आपका ध्यान दिलाया जाता है कि नलकूपों की संख्या बढ़ाइए उनको ठीक रखिए लेकिन यह कह दिया जाता है कि सरजू नहर आ गयी है । पहले यह कहा गया था कि 1984-85 में इस पर कार्य पूरा हो जायेगा लेकिन अब कहा जा रहा है 1992-93 तक यह पूरा हो जायेगा, भगवान जाने न मालूम कब तक यह पूरी होगी । मैं कहता हूं कि अभी तो भूमि अध्यापित की कार्यवाही तो आपने शुरू नहीं की है, फिर कैसे आप इसे 1992-93 में पूरा कर पायेंगे । 2 साल से सरजू नहर का काम ठप पड़ा हुआ है, अधिकारी वहां पर बैठे-बैठे वेतन खा रहे हैं । वे लोग कहते हैं कि क्या करें पैसा ही नही है । बस्ती के उत्तर में 100-100 साल पुरानी जमींदारी नहरें थीं, वे टूट गई हैं, उनमें पानी नहीं है । नौगढ़ तहसील में

इसी प्रकार की नहर हैं जो बेकार हो गई हैं, इन्हें आप ठीक करा दीजिए, इनके गुले कुलावे ठीक करा दीजिए, तभी आपकी सिंचन क्षमता में कुछ लाभ होगा, नहीं तो कागजों पर सिंचन क्षमता बढ़ने वाली नहीं है। बस्ती जिले में बाण गंगा नहर है, उसमें पानी नहीं है। कहा जाता है कि सरजू नहर बन रही है, जिससे इसे लिंक किया जायेगा और सरजू नहर को घाघरा से जोड़ा जायगा। यह कब होगा, समझ में नहीं आता है, इसलिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इसे जल्दी से जल्दी पूरा करवायें।

नलकूप लगे हैं। बरार जी व श्री राणा जी ने आंकड़े देखे होंगे। पुस्तिका में कहा जाता है कि 300 एकड़ सिंचन क्षमता एक ट्यूबवेल की। मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि कोई भी ट्यूबवेल आपका 300 एकड़ सिंचन क्षमता नहीं रखता है। मेरे ही क्षेत्र में विश्व बैंक की ओर से 25 ट्यूबवेल्स लगे हुए थे वे बेकार पड़े हैं उनकी आप जांच कर लें। विश्व बैंक की ओर से 25 ट्यूबवेल बांसी मिठल ब्लाक में लगे हैं, जांच कराने की कृपा करें एक भी 40-50 एकड़ से ज्यादा सिंचाई नहीं कर पाता है। मेरा सुझाव है कि 30 एकड़ का जो सिंचाई कमाण्ड एरिया है, उसको 100 एकड़ कर दीजिये, ठीक हो जायगा। गोरखपुर और बस्ती पूर्व का इलाका है, को डिजाइन पास करानी हो तो रुड़की जाइए, कोई शोध कार्य कराना हो तो रुड़की जाइए। आप एक शोध संस्थान और परिकल्प कार्यालय की स्थापना गोरखपुर या बस्ती में करा दें तो काम जल्दी भी हो जायगा और कठिनाई भी नहीं होगी। हमारे निर्वाचन क्षेत्र का 3/4 इलाका बाढ़ से तबाह रहता है, कोई प्लान बनाने की कृपा करें। मैं इतना कहना चाहूंगा कि परसा नदी है, उस पर पुरवा के पास पुल के पश्चिम रेगुलेटर लगवा दीजिए और बांसी-डुमरियागंज बांध को पूरा करने के लिये आवश्यक धनराशि देकर उनको शीघ्र निर्माण करवा दीजिए।

श्रीमती कमला साहनी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अत्यंत आभारी हूं कि आपने बजट पर बोलने का अवसर दिया। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा भारत एक कृषि प्रधान देश है। उत्तर प्रदेश में भी अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर करते हैं और कृषि का उत्पादन सिंचाई पर निर्भर करता है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने सिंचाई मन्त्री ने निरंतर सिंचाई के साधनों में वृद्धि की है और सिंचाई के साधनों में वृद्धि होने के साथ-साथ किसानों में जागरूकता आयी है, उनकी खेती में उन्नति हुई है, पैदावार बढ़ी है और जीवन स्तर ऊंचा हुआ है। पहले सिर्फ 30 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की सुविधा थी, जो 86-87 में 99.36 लाख हेक्टेयर हो गयी। नहरों की लम्बाई भी काफी बढ़ी है। योजनाकाल से पहले 30 हजार कि0 मी0 थी, इस समय 86-87 में 66 हजार कि0 मी0 हो गयी। नलकूपों की संख्या पहले 2305 थी, 86-87 में 25,346 हो गयी। यही नहीं बाढ़ से उत्तर प्रदेश में काफी जमीन बरबाद हो जाती थी, फसलें नष्ट होती थीं, किसान सरपर हाथ रखे बैठा रहता था, जमीन और फसल जल भराव के कारण नष्ट हो जाती थी, लेकिन 1711 कि0 मी0 बांध का निर्माण करके 14 हजार हेक्टेयर जमीन को बाढ़ से बचाया गया।

इसके साथ ही मैं आपका ध्यान बस्ती जनपद की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। बस्ती जनपद प्रदेश का अत्यंत पिछड़ा हुआ जनपद है, उत्तरांचल तो अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। उत्तरांचल में सरजू कैनाल की योजना काफी दिनों से विचाराधीन

है । इससे पहले भी आश्वासन दिया गया था कि योजना जल्द ही पूरी होगी, लोगों को सिंचाई के साधन मिलेंगे । वहां पर जो नहर है नैपाल में उसको बांध लेने के कारण पानी नहर में आ नहीं पाता है, जिसके कारण सिंचाई का अभाव है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहती हूं कि सरयू कैनाल के निर्माण में तेजी लायें ताकि वहां के किसानों की सिंचाई की समस्या पूरी हो सके । दूसरी बात यह है कि सरयू कैनाल के नाम पर वहां हमारे क्षेत्र में बहुत सी जमीन एक्वायर कर ली गयी है, किसानों को न उसका मुआविजा दिया गया है और न जमीन के दाम ही मिले हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि सरयू कैनाल के नाम से जो किसानों की जमीन ली गयी है उसका मुआविजा शीघ्रातिशीघ्र किसानों को दिलावें ताकि किसान कुछ राहत महसूस कर सकें ।

मैं अपने क्षेत्र लखनापार बैदौला बांध की ओर मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहती हूं जो कि सेक्टोरियल प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है । इसका पैसा ग्राम्य विकास विभाग रिलीज करता है । जब वहां सिंचाई विभाग से कोई जाता है तो वहां के लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कोई डाकू आ गया हो । हम लोग भी जाते हैं तो वे लोग ठीक से बात नहीं करते हैं । मंत्री जी कृपया उनके इस रवैये में सुधार करें और जो नहर और बांध के लिये पैसा सेक्टोरियल प्लान में आ रहा है उसको जल्दी रिलीज करवाने की कृपा करें ।

बस्ती जनपद में सिद्धार्थनगर नामक नया जनपद बनाया गया है । इसमें बहुत सी योजनायें हैं, बांध हैं नहरें हैं। सरयू कैनाल भी इसी के अंतर्गत आती है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि सिद्धार्थनगर में ड्रेनेज खण्ड स्थापित करें और वहां पर एक अधिशासी अभियन्ता की नियुक्ति कर दें ताकि वह वहां के कार्य को सुचारु रूप से देख-भाल कर चला सके ।

इसके अतिरिक्त एक बात और कहना चाहती हूं कि पतरौल बड़ी मनमानी करता है, स्थल पर जाता नहीं है और घर पर ही बैठ कर जो खेत सिंचित नहीं होते हैं, उनको सिंचित लिख देता है और बिना सिंचाई के ही किसानों से पैसा जमा करवा लेता है । बिना सिंचाई किये ही किसानों को पैसा देना पड़ता है । मंत्री जी इन लोगों पर अंकुश लगायें कि जो लोग इस तरह से गलत काम करते हैं और किसानों को परेशान करते हैं ताकि किसानों को इस प्रकार की परेशानियों से बचाया जा सके ।

इस विभाग की एक समस्या और है इस समय सिंचाई विभाग में जो कार्यरत सहायक अभियन्ता हैं, सुनने में आया है कि उनकी प्रोन्नति का मामला शासन के विचाराधीन है । इस संबंध में, मैं यह कहना चाहती हूं कि इन पदों पर जिनकी एडहाक नियुक्तियां हुई थीं उनको प्रोन्नति न देकर जो सीधे पब्लिक सर्विस कमीशन से आये हैं, उनको प्रोन्नति में प्राथमिकता दी जाय ।

इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं और विजय सिंह राणा द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करती हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

चूंकि बहुत से सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं और कार्यसूची में अभी एक घण्टे की चर्चा भी है, समय कम है इसलिये मैं समझता हूं कि समय की कमी को देखते हुए

जितनी जल्दी आप अपने क्षेत्र से मुताल्लिक सूचना दे सकते हैं नीतिगत बातों के संबंध में, वह दे दें ।

श्री रिछपाल सिंह बंसल–

माननीय, अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझको सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, मैं भाई राणा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है इसमें सिंचाई का महत्व अत्यधिक है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, नहर जमुन पूर्वी 100 साल से भी पुरानी है, इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । जिसके कोतवालपुर रजबहा, फिरोजपुर रजबहा, सिरौली रजबहा, मीरापुर रजबहा में बटल तक पानी नहीं पहुंचता है जिससे वहां के किसानों की फसल पानी के बगैर रह जाती है और किसान अपनी फसल की सिंचाई नहीं कर पाता है । मंत्री जी कृपया यहां के किसानों को रजबहों के द्वारा सिंचाई के लिये पानी की सुविधा दिलाने की कृपा करें ।

सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ तथा गाजियाबाद जिलों के अन्तर्गत जो नहरें हैं उनमें केवल जमुना नहरों में महीने में एक हफ्ते ही पानी चलता है। गंगा नहरों में महीने में तीन हफ्ते पानी चलता है जबकि महसूल दोनों से बराबर लिया जाता है । मंत्री जी या तो वहां के लिये समुचित पानी की व्यवस्था करें या फिर महसूल को कम करने की कृपा करें । मान्यवर, नहर जमुन पूर्वी का आधुनिकीकरण कराने की कृपा करें ।

मान्यवर, दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि गांव बेहटा के पास जनपद गाजियाबाद में गृह विभाग ने नहर जमुन पूर्वी की जमीन पर कब्जा कर लिया है और वहां पर लोनी थाना की पुलिस चौकी की स्थापना कर दी है । मान्यवर, जो अधिकारी इसमें दोषी पाये जायें उनको दण्डित किया जाये ।

मान्यवर, 20 सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग में नहर जमुन पूर्वी का कोई प्रतिनिधि जिले में भाग नहीं लेता है, जिससे शासन के पास कोई समस्या नहीं रखी जा सकती है। मान्यवर, मेरी मांग है कि मील 117 से नहर जमुन पूर्वी से एक माइनर बनायी जाये जो विनयपुर, भैंडापुर, सिगोली फलेरा, बुकाली, गढ़ी पूरनपुर नेवादा, भूप खेड़ी से टेल हिन्डन नदी में गिरे । तो मान्यवर, इस माइनर के बन जाने से 3000 हजार एकड़ जमीन की सिंचन क्षमता बढ़ जायेगी । मान्यवर, मील 124 से (बहटा गांव से) नहर जमुना पूर्वी का पानी बेकार हो जाता है, क्योंकि यह एरिया दिल्ली में चला गया है । मान्यवर, सिंचाई विभाग के जो जूनियर इंजीनियर हैं, उनकी चरित्र पंजिकायें पूरी नहीं हैं, उनको पूरा किया जाये । इन शब्दों के साथ माननीय राणा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री एहतिशाम वली खां–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । माननीय मंत्री जी ने जो सिंचाई का बजट प्रस्तुत किया है, उसको देखने से यह लगता है कि उन्होंने कितनी मेहनत करके इस प्रदेश के किसानों को आगे बढ़ाने के लिये उत्तर प्रदेश के आर्थिक सीमित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साधन जो थे, उनमें से अधिकांश सिंचाई व्यवस्था पर व्यय करने का प्रयास किया है और उसके माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं । मान्यवर, आजादी के बाद से हमारे मुल्क को जिस तरह से विकास की ओर बढ़ना चाहिये निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहा है कि इस प्रदेश की तरक्की के लिये शासन सदैव जागरूक रहा है । मान्यवर, विपक्ष की ओर से कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, तो मुझे अफसोस होता है । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कर्बला में पानी बन्द कर दिया गया है और प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन हम और आप सभी लोग इस सदन की मार्यदा को स्थापित करते और ऐसा माहौल बनाते जिससे प्रदेश के किसानों की भलाई पर विचार किया जाता खेतों में पानी जाता, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहां पर आरोप प्रत्यारोप लगाये जाते हैं, जिससे सदन का बहुमूल्य समय नष्ट होता है ।

मैं अपने विपक्ष के सभी सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि सदन को मर्यादित रखते हुये अपनी बातों को इस तरह से रखें जिससे यह पूरा प्रदेश एक रचनात्मक दिशा की ओर जाय । इसके साथ ही साथ बजट में जो व्यवस्थायें की गई हैं वह निश्चित रूप से किसानों को लाभकारी सिद्ध होंगी । मुझे उम्मीद है कि जो योजनायें हैं उन योजनाओं को हमारे सत्ता और विपक्ष के जितने भी सदस्य हैं उन सभी का यह कर्तव्य है कि इनको वे धरती पर उतारने का प्रयास करें । इसके साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान अपने जनपद बहराइच की ओर दिलाना चाहता हूं । बहराइच में प्रति वर्ष बाढ़ से वहां की जनता की जन और धन की अपार हानि होती है । मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में आदिलपुर में रावी पर एक बांध है, उस पर कटाव बढ़ रहा है। यदि इसे रोका नहीं गया तो निश्चित रूप से वहां की जनता की जन और धन की काफी हानि हो जायेगी । इसके साथ ही गुलाबपुर में मपुरा गांव है उसकी 30 हजार लोगों की आबादी है वहां पर एक बांध की आवश्यकता है । मैं चाहूंगा कि शासन की ओर से इस संबंध में जो कार्य कराया जा रहा है उसको देखने के लिये एक निगरानी समिति का गठन किया जाय जिससे यह योजनायें वास्तविक रूप से क्रियान्वित हो सकें । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और आपने मुझे इस पर बोलने का जो मौका दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं ।

*श्री हरि शंकर तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सिंचाई विभाग के बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । माननीय विजय सिंह राणा ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं । मान्यवर, हमारे प्रदेश की 85 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है लेकिन जो सिंचाई का बजट आज हमने देखा तो उससे बहुत दुख हुआ । इस अविवेकी बजट पर जहां की 85 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित हो और जहां के लोग सूखे की समस्या के कारण सिंचाई के लिये दर-दर भटकते हों, जहां के 80 प्रतिशत ट्यूबवेल खराब हों तो वहां का इस तरह का बजट अविवेकी बजट ही कहलायेगा । मान्यवर, पिछले तीन सालों से बराबर इस सदन में यह आश्वासन दिया जाता हो कि उनके यहां के खराब ट्यूबवेलों की जानकारी सभी सदस्यों को दी जायेगी, लेकिन आज तक किसी भी सदस्य को अपने विधान सभा क्षेत्र के किसी भी खराब ट्यूबवेल की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जानकारी नहीं दी गई । मान्यवर, यही नहीं, जो आपका सिंचाई विभाग का बाढ़ खण्ड है, वह अधिकारियों के भ्रष्टाचार के चरागाह का जीता-जागता स्वरूप है।

मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूंगा । मेरे क्षेत्र में नेवाड़ा, भेड़ी, रकहट, गरयाकोल, असवनपार, पूर, खुटसार, नवलपुर, रामगढ़ दिस्तौलिया आदि स्थान कटान के भीषण कगार पर खड़े हैं लेकिन इस बजट में उनके लिये कोई चर्चा नहीं की गई है । मेरे विधान सभा क्षेत्र जो बड़हलगंज और गोला दो बहुत पुराने गांव हैं वे कभी भी नदी की धारा में विलीन हो सकते हैं । हमारे यहां के डाक्टर अच्युतानन्द तिवारी के कहने पर भी उसके लिये कोई सुरक्षात्मक कार्यवाही शासन द्वारा नहीं की गई । इसके अलावा राष्ट्रीय मार्ग 29 पर एक राष्ट्रीय महत्व का पुल बना हुआ है उसके पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ भीषण कटान शुरू हो गया है। वह कभी भी नदी में जा सकता है । उसकी सुरक्षा के लिये बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसी प्रकार तेरना नाले पर डोनडीह के पास एक रेगुलेटर लगाकर कटाव को रोका जा सकता है । इससे जहां एक ओर कटाव भी रुक जायेगा और लोगों के लिये सिंचाई का साधन भी उपलब्ध हो जायेगा। इस नदी से वहां का आधे से अधिक भाग घिरा हुआ है । हमारे यहां घाघरा और सरयू एक जगह पर मिलती है जहां पर सुरक्षा का कोई भी काम नहीं कराया गया है ।

वर्ल्ड बैंक के माध्यम से तमाम ट्यूबवेल कलस्टर लगाये गये हैं लेकिन राजनीतिक द्वेष के कारण हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक भी ट्यूबवेल कलस्टर नहीं लगाया गया है। ट्रांसफर के नाम पर हमारे पूर्वी जिलों में जहां पर कार्यक्रम लगाये गये हैं वहीं पर कुछ अधिकारियों की भी पूरे के पूरे बजट के साथ वहां ट्रांसफर कर दिया जाता है । ऐसे एक अधिकारी की चर्चा मैं यहां पर करना चाहूंगा। एक अधिशासी अभियन्ता श्री आर0पी0 सिंह हैं जो लगभग 20 साल से वहीं पर बने हुये हैं और जहां काम अधिक होता है उस जगह पर पूरे बजट के साथ उनका स्थानान्तरण कर दिया जाता है । यही नहीं आप अगर इजाजत दें तो भ्रष्टाचार के तमाम नमूने मैं पेश कर सकता हूं । ऐसे ही जहां अच्छी शिक्षा नीति की चर्चा की जाती है उसमें हमारे यहां एक गोला इण्टर कालेज है जिसका बहुत बड़ा कृषि फार्म है . . . . .

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

उस गोला फार्म को गोला पम्प के नाम पर ट्राइयेंगुलर बना दिया है जिससे हजारों छात्रों का भविष्य अंधकार में पड़ गया है। इस प्रकार के अविवेकी काम इनके द्वारा किये जा रहे हैं । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं और श्री विजय सिंह राणा द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया । समय के अभाव से मैं सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति से सभी माननीय सदस्य व मंत्री जी भलीभांति परिचित हैं । पर्वतीय क्षेत्रों में नदियां बहुत तलहटी पर बहती हैं । भागीरथी और अलकनन्दा को आप

सभी जानते हैं कि ये नदियों की तलहटी से होकर गुजरती हैं जिस कारण खेत काफी ऊपर रह जाते हैं और नदियां का पानी उन खेतों में सिंचाई के लिये प्रयोग में नहीं आ पाता है । मेरा सुझाव है कि पहाड़ों में नदियों में छोटे-छोटे डैम बनवा कर पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचन क्षमता बढ़ाई जा सकती है व खेतों तक पानी पहुंचाया जा सकता है । इस प्रकार जहां लोगों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी वहीं सैलानियों, को इस प्रकार से बनी झीलों के माध्यम से आकर्षित किया जा सकता है और हाइड्रेम के माध्यम से बिजली का उत्पादन कर स्थानीय लोगों को विद्युत आपूर्ति की जा सकती है तो इस प्रकार एक ही मद से बने डैमों के माध्यम से हमें तीन-तीन चीजों की उपलब्धि हो सकती है । आज सुबह ही मेरा एक प्रश्न था जो बैराज के संबंध में था व जिसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा था यह व्यावहारिक नहीं हो पायेगा। मैं आपके माध्यम से पुनः माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इससे कोटद्वार भावर का बहुत बड़ा भू-भाग तथा बिजनौर का बड़ा क्षेत्र सिंचाई की सुविधा से लाभान्वित होगा (मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पुरजोर मांग करता हूं कि खो बैराज जनहित में तत्काल बनाया जाय) कोटद्वार भावर में सिंचाई विभाग द्वारा ट्यूबवेल लगाये गये हैं किन्तु ये ट्यूबवेल अक्सर खराब पड़े रहते हैं क्योंकि वहां पर कोई एस0डी0 ओ0 आफिस या डिविजन आफिस नहीं है जिसकी वजह से समय पर उनका रखरखाव व मरम्मत नहीं हो पाती है और किसानों को ऐन वक्त पर पानी नहीं मिल पाता है और जिस कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है । इसीलिये मैं मांग करता हूं कि कोटद्वार में एक एस0 डी0 ओ0 आफिस (नलकूप विभाग) खोला जाय ताकि समय पर नलकूप की मरम्मत समय पर की जा सके खो और मालन नदी से जो कोटद्वार भावर में सींचन क्षमता बढ़ाते जाने की योजना बनाई जाय । इन दोनों नदियों से इस भूभाग की उपजाऊ भूमि को बरसात में बहुत अधिक नुकसान होता है व नदियों से उपजाऊ भूमि का कटाव काफी तेजी से होता है इसलिये इन दोनों नदियों पर (तटबन्ध) बांध बनाये जायं जिससे उपजाऊ भूमि को कटने से बचाया जा सके ।

एक महत्वपूर्ण बात की ओर मैं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । पर्वतीय क्षेत्र में सिंचाई विभाग या दूसरे विभागों द्वारा सीमेंट की ढुलाई ट्रेन के माध्यम से की जाती है व उसका किराया वहां के विभागीय अधिकारियों के द्वारा विभाग के मद से की जाती है । विभाग के पास धन न हो पाने के कारण रेल विभाग से सीमेंट समय पर नहीं छुड़ाये जा पाने के कारण अत्यधिक डैमरेज का भुगतान विभाग द्वारा करना पड़ता है जो कि लाखों रुपयों में होता है, और यह धन जो वहां के विकास कार्यों के लिये होता है, डैमरेज के रूप में व्यय करना पड़ता है, अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि पूर्व की भांति इस व्यवस्था को ए0 जी0 आफिस से भुगतान की व्यवस्था करने की कृपा करें । इसके साथ मैं मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव जो रखा गया है उसका मैं समर्थन करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में पूर्व और पश्चिम की गंध आ रही है । आप देखें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3803.49 हेक्टेयर जमीन और पूर्वी उत्तर प्रदेश में

11,744·00 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की व्यवस्था हुई । इसके अलावा नलकूपों की संख्या में आप देखें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 9908 और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 9,471 नलकूप हैं, इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के तीन जिले, इटावा में 391, फर्रुखाबाद में 436 और शाहजहानपुर में 339 नलकूप हैं, शामिल हैं और इन तीनों जिलों के नलकूपों को निकाल दें तो यह संख्या और भी घट जायेगी । यदि इसी प्रकार से योजनाओं में भेद किया गया तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ घोर अन्याय होगा ।

एक सदस्य–

मान्यवर, अधिकारियों की लाबी में सफेद झण्डा फहराया जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

इसको देखें ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, सिंचाई विभाग कार्य प्रगति का संक्षिप्त विवरण वर्ष 1986-87 के पृष्ठ 25 को देखें जिसमें लिखा है–''नदी सुधार एवं कटाव निरोधक कार्य'' इसमें गंगा, जमुना, गोमती और गण्डक नदियों के कटाव के रोकने के लिये व्यवस्था की गयी है उसमें पूर्व के कितने जिले हैं–गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, फैजाबाद एवं देवरिया और यहीं पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के केवल तीन जिले–बुलन्दशहर, सहारनपुर और मुरादाबाद ही हैं और इनमें काम भी कुछ नहीं हुआ है । एक जगह भी कटाव रोकने के लिये किस जिले को कितना धन दिया इसका विवरण इसमें नहीं है । इसलिये इस बजट से पूर्व और पश्चिम की गंध आ रही है । इसलिये मैं चाहूंगा कि इस पर कुछ रोक लगायें ।

श्रीमन्, दुख के साथ निवेदन करना पड़ता है कि अभी माननीय सदस्य सत्ता दल के आचार संहिता पढ़ा रहे थे, अब उनकी आचार संहिता देखें । तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जो मांट में हाथरस फिरोजाबाद ब्रांच का आधुनिकीकरण की योजना प्रस्तावित है, आगरा नहर के आधुनिकीकरण की योजना प्रस्तावित है, इन दोनों योजनाओं में निवेदन है कि आज की स्थिति में आगरा कैनाल पर जितना पानी आयेगा उसका 60 प्रतिशत हिस्सा हरियाणा को जायेगा और वहां जब चुनाव आये तो 80 प्रतिशत पानी दे दिया इससे आगरा और मथुरा को पानी के बिना ही सूखा से मार डाला, वही स्थिती आज भी है ।

उसी प्रकार से जो हमारे क्षेत्र फिरोजाबाद में फिरोजाबाद, नारसी, एत्मादपुर और टुण्डला ब्लाक्स हैं, उसमें जो लौंचा (जनपद एटा) हेड वर्क्स से पानी मिलता है, वह 200 घन फुट है । लेकिन वह पूरा कभी नहीं पहुंचता है, कभी 100 और कभी 60 घनफुट ही मिलता है। हमारा पूरा का पूरा इलाका नहर के छोर पर बसा हुआ है। मैंने कई बार कहा है कि जब तक टेल पर पानी पहुंचना सुनिश्चित न हो, आपकी सारी की सारी योजनाएं बेकार हो जाएंगी । जहां तक सिंचाई का सवाल है आबपाशी के संबंध खाली गूल में होकर कोई पानी निकाल ले तो यह आप अपनी सिंचाई मान लेते हैं। (व्यवधान) अभी मान्यवर, थोड़ा समय हमें और दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप ऐसे नेता हैं कि आपके लिए 20 मिनट भी कम हैं और 50 मिनट भी कम हैं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

इन्होंने अपने आंकड़ों में दिखा रखा है कि आगरा में 340-346 कुवें हैं, किन्तु सिंचन क्षमता कितनी है, इसका कोई उल्लेख उसमें नहीं है। इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप वहां पर 347 कुवें चलते हुए दिखा दें तो जो दण्ड आप हम पर रखें, मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। वास्तविकता यह है कि इसमें 70 फीसदी कुयें आपके खराब पड़े हैं और यह मसला कई बार हमने 20 सूत्री कमेटी की बैठक में उठाया है। लेकिन किसी भी कुएं का सर्वेक्षण होकर रिपोर्ट बनकर नहीं आई। इसलिए मेरा निवेदन है कि परगनाधिकारी, किसी तहसील के अधिकारी, बी0डी0ओ0 और सिंचाई विभाग की किसी अधिकारी के साथ विधायक की एक कमेटी बना दी जाए, हमारी एक कमेटी बना दी जाए, वह सर्वेक्षण करके रिपोर्ट दे, तब मालूम होगा कि कितने कुए चल रहे हैं .... (व्यवधान) इसलिए मैं अन्त में कहना चाहता हूं कि पूलों के संबंध में पैसा और नलकूप ठीक कराने की कार्यवाही की जाए। इसके साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए इस बजट का विरोध करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय सिंचाई मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसके समर्थन और माननीय राणा साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं। मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र चायल, जनपद इलाहाबाद में 121 सरकारी ट्यूबवेल लगे हुए हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर करीब 40 प्रतिशत हमेशा बेकार पड़े रहते हैं। कई बार मैं इस सम्बन्ध में सम्बन्धित सिंचाई कार्यालय में गया तो पाया कि वहां पर उनके रिकार्ड में लिखा हुआ है कि नलकूप चालू है। वहां हर नलकूप ठीक और चालू हालत में हमेशा लिखा रहता है। लेकिन हमेशा वह बेकार रहते हैं। इसी प्रकार से मुहौली, बरौलहा, भिखनापुर और मौहीउद्दीनपुर गांवों में 4-5 ऐसे नलकूप हैं जो तीन-चार वर्षों से बनकर तैयार हैं, किन्तु किसी में विद्युतीकरण नहीं है, किसी में मोटर नहीं है या किसी में स्टार्टर नहीं हैं। जिससे उनकी कोई उपयोगिता नहीं है और वह बेकार पड़े हैं। अभी कुछ दिनों पहले सभी संसद सदस्यों को 5-5 नलकूप उनके क्षेत्र के लिए वितरित किये गये हैं, इस संबंध में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह कम से कम 3-3 नलकूप हम विधायक लोगों को भी दे दें, जिससे हम लोग भी अपने क्षेत्र में लगवा सकें। जबसे हम लोग जीतकर आए हैं, एक भी ट्यूबवेल हमें नहीं मिला है।

इसी तरह से हमारे क्षेत्र के दो ब्लाक्स मूरतगंज और नेवादा ऐसे हैं, जहां पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर विश्व बैंक द्वारा क्लास्टर लगाकर नलकूप उपलब्ध कराए जाएं। सिंचाई सुविधा के संबंध में किशुनपुर पम्प नहर योजना में 25 वर्ष से टेल तक पानी नहीं पहुंचा है। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसका सर्वे और निरीक्षण कराकर शीघ्र से शीघ्र टेल तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया जाए। इसी परिपेक्ष्य में तिल्हापुर लिफ्ट सिंचाई योजना जो सरकार द्वारा प्रस्तावित है, इसको तुरन्त बनवाया जाए, ताकि टेल तक पानी पहुंच सके। जिले में नहरों की सफाई के नाम पर जो लाखों रुपये की गड़बड़ी की जा रही है, उस ओर भी मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हर वर्ष इनकी सफाई होती है और यही होता है।

इस बार मैंने लिख कर दिया है कि मेरे क्षेत्र में जब तक सफाई न हो, टेल तक पानी न पहुंचे, किसी किस्म का कोई भुगतान न किया जाए। जैसा कि सरकार की ओर से भी कहा गया है कि बिना विधायक की सहमति के कोई उसके क्षेत्र का न काम पास हो और न उसका पेमेन्ट हो। लेकिन फिर वह सारा पेमेन्ट हमारे यहां हो गया और नहर की सफाई नहीं हो पाई। इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो सिंचाई सलाहकार समिति की बैठक जो होती है, उसमें जो हम लोगों के सुझाव जाते हैं उस पर कार्यवाही की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने क्षेत्र मूरतगंज निवादा की तरफ से कहना चाहूंगा कि जहां वर्षा के कारण जल भर जाता है।

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र विकास खण्ड नेवादा में ग्राम उमरवल एवं आंधन तथा विकास खण्ड मूरतगंज के अन्तर्गत ग्राम मलाम भारत व महगांव में वर्षा एवं बाढ़ का पानी हमेशा भर जाने के कारण सिंचाई, खेती तथा आवागमन में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। कृपया अविलम्ब नाले की खुदाई कराके इस सभी क्षेत्रों में जल भराव एवं ताल बनने से रोक लगाने की कृपा करें। मान्यवर, मैं इसी के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें।

(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार—

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे सिंचाई बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री रामकृष्ण—

मान्यवर, आपने मुझे सिंचाई के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र मछरहेटा (सीतापुर) की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि यह क्षेत्र जिस तरह से सुरक्षित क्षेत्र है उसी तरह से विकास के मामले में भी यह सुरक्षित है। यह क्षेत्र तीन तरफ से नदियों से घिरा हुआ है बालू का क्षेत्र होने के कारण यहां मूंगफली की फसल होती है। मान्यवर, लिफ्ट की नहरें हमारे क्षेत्र में तीन हैं और यह तीनों नहरें पांच-छ-साल से बन्द पड़ी हैं। मान्यवर, हमारे यहां जिस वजह से सिंचाई नहीं हो पा रही है और सिंचाई न हो पाने के कारण लोग भुखमरी के कगार पहुंच गये हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पिछली बार भी विधान सभा में यह प्रश्न उठाया गया था कि या तो लिफ्ट नहरें बन्द कर दी जाएं या सिंचाई को देखा जाए जो जीरो के बराबर है। हम लोगों ने मांग की थी कि जिन क्षेत्रों में लिफ्ट नहर बनी हैं और सिंचाई नहीं हो पा रही है वहां विश्व बैंक द्वारा क्लस्टर नलकूप वहां एक-एक लगा दिया जाए। मान्यवर, मछरहेटा में पूरबी भाग में सिंचाई का कोई साधन नहीं है एक भी ट्यूबवेल वहां नहीं लगा है दो विधायक उस क्षेत्र के निवासी हैं। माननीय परागीलाल चौधरी जी जिनके क्षेत्र में लाखों बीघों में गन्ना बोया जाता था वहां एक भी बीघा में गन्ना नहीं है, जिससे हम लोगों के किसान बिल्कुल गरीब हो गई हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां की लिफ्ट कैनाल तेरवा, उमरापुर, भैरमपुर बेकार पड़ी है पांच एकड़ भूमि की भी सिंचाई इससे नहीं हो पाती है इस पर

बराबर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया जाता रहा है। मैं माननीय आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

श्री समर पाल सिंह—

मान्यवर, सिंचाई मंत्री जी के बजट का समर्थन करते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह बहुत ही उत्साहवर्धक है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य कृपया शान्ति बनाए रखें।

श्री समर पाल सिंह—

माननीय राणा जी ने जो आंकड़े बताये हैं वह भ्रामक हैं। कृषि विकास के लिए जितने भी कारण हैं अथवा परिस्थितियों का योगदान है, उनमें सब से बड़ा योगदान सिंचाई का है। बड़ी पुरानी कहावत है कि "टैस्ट आफ पुडिंग इज इन इटिंग" अर्थात पुडिंग का टेस्ट खाने में है।

सर्व विदित है कि 1951 में अब से आधी जनसंख्या का दो जून की आवश्यकता के लायक प्रदेश अन्न का उत्पादन नहीं करता था जबकि आज 12 करोड़ लोगों की भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के बाद प्रदेश निर्यात करने की स्थिति में है तो इससे साबित होता है कि हमारे प्रदेश की जो सिंचाई योजनायें हैं वह सफल हुयी हैं। संख्या के आंकड़े तो आपको बरार साहब ने और माननीय मंत्री जी ने दे दिये हैं। मैं समझता हूं कि जो द्रुतगामी फल देने वाली छोटी पानी की योजनायें हैं उनका लाभ खेती के उत्पादन को अधिक होता है। लेकिन दूरगामी योजनाओं, बड़ी योजनाओं का अपना एक अलग स्थान है। यह बहुउद्देश्यीय योजनायें होती हैं। जैसे आम के आम, गुठलियों के दाम। बड़ी योजनाओं से बिजली, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण भी होता है। आपने जो ट्यूबवेल राजकीय क्षेत्र में लगाये हैं और निजी क्षेत्र में लगवाये हैं तो अब यह स्थिति आ गयी है कि अगर इससे ज्यादा ट्यूबवेल लगवाये गये तो जो भूमिगत पानी है उसकी कमी हो जायगी। वाटर लेबिल गिर जायगा। मेरे विकास क्षेत्र जोया में इतने ज्यादा ट्यूबवेल लग गये हैं कि वहां पर भूमिगत पानी की सतह गिर रही है। इसलिए आवश्यकता इस बात है कि आप बड़ी-बड़ी नहरों को लायें। एक बात की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले वर्ष मध्यगंगा के दूसरे चरण के बारे में आपने आश्वासन दिया था कि कार्य शुरू हो जायगा। लेकिन इस वर्ष के बजट में मध्य गंगा के दूसरे चरण को पूरी तरह से भूल गये हैं। न तो इस किताब में उसके बारे में कोई जिक्र है और न आपने अपने भाषण में कोई जिक्र किया है। मान्यवर, मेरठ और मुजफ्फरनगर, जनपद मुरादाबाद, बिजनौर और बदायूं जनपदों के मुकाबले सिंचाई के मामले में पहले से ही आगे है फिर भी मध्य गंगा नहर पहले उधर ही बना लेकिन मध्य गंगा उधर की तरफ से निकाल दी गयी है, जबकि मध्य गंगा नहर को पूर्व की ओर से निकालना चाहिए था। आपने विश्व बैंक योजना से प्रदेश में जगह-जगह नलकूपों के क्लस्टर स्वीकार किये हैं। मेरा अनुरोध है कि ऐसे कलस्टर के बीच में जो पुराने सरकारी नलकूप हैं वह सारे के सारे आधुनिक ढंग के कर दिये जायं। जो मौजूदा नीति है उसमें सिर्फ 3 नलकूपों का नवीनीकरण करते हैं उससे ज्यादा होते हैं तो वह उपेक्षा का कारण बनते हैं। क्योंकि यह देखा गया है कि उसी क्षेत्र में कुछ नलकूप ऐसे होते हैं जिनको 18 घंटे बिजली मिलती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनको 8 घंटे भी बिजली मयस्सर

नहीं होती है। इसलिये ऐसे नलकूपों के क्लस्टर के नलकूप जो विश्व बैंक योजना में लगाये गये हैं अगर उनके बीच जो पुराने सरकारी नलकूप हैं तो उन सभी का नवीनीकरण कर दिया जाय। एक बात और कहना चाहता हूं कि पिछले 50 सालों से प्रदेश के भिन्न-भिन्न जिलों में नलकूप लगाये गये हैं बहुत से ट्यूबवेल इतने पुराने हो गये हैं कि उनकी उपयोगिता समाप्त हो गयी है। क्या ही अच्छा होता यदि उनका उद्धार किया जाय और एक योजना बनाकर उनका जीर्णोद्धार किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय राणा जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

मान्यवर, माननीय राणा जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में बल देने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सभी जानते हैं कि सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है। इसका सबसे बड़ा बजट है। लेकिन मान्यवर, आज भ्रष्टाचार की भागीरथी में भोला शंकर का पूरा विभाग जैसे डूबा हुआ है। इसीलिए मैं समझता हूं कि एक रुपया भी इस विभाग को देने इस पैसे का दुरुपयोग होगा, और इसीलिये मैं राना जी के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैंने बजट और यह जो बजट पुस्तिका है उसको देखा है। उसको देखने से पता चलता है कि जैसा माननीय वर्मा जी ने आरोप लगाया था, पश्चिम के साथ घोर अन्याय किया गया है। मैं अपने जिले फर्रुखाबाद के बारे में कहना चाहता हूं। फर्रुखाबाद जनपद उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन में एक प्रमुख स्थान रखता है। न केवल आलू, गेहूं, धान गन्ना सभी उपजों में सरप्लस उपज वहां पर होती है। अगर उसके लिए कहा जाय कि सरकार के अधिकारियों की कृपा है तो ऐसा नहीं है। सरकार की तरफ से कोई वहां पर व्यवस्था नहीं है। मैं समझता हूं कि बहुत कम व्यवस्था है। नहरों के नाम पर केवल एक नहर छोटी सी है जिसमें से कागजे हिसाब से 235 क्यूसेक क्षमता है लेकिन 100 क्यूसेक की भी सप्लाई वहां पर नहीं है। वहां नहर नहीं है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में पूरा का पूरा एक विकास खण्ड ऐसा है जिसमें राजकीय नलकूपों की कोई व्यवस्था नहीं है। तो फर्रुखाबाद जनपद के अन्दर राजेपुर ही ऐसा है। 1952 में राजकीय नलकूपों के द्वारा सिंचाई योजना प्रारम्भ हुई लेकिन मैं नहीं समझता कि राजेपुर विकास खण्ड उससे वंचित क्यों रहा। इंजीनियर्स कहते थे वहां नलकूप सफल नहीं हो सकते किन्तु अब जो 4 ट्यूबवेल लगे हैं वह वहां पूर्णतया सफल हो रहे हैं। इस राजेपुर विकास खण्ड में न तो कोई नहर है और न आगे निकाली जा सकती है मात्र नलकूप का ही एक सहारा सिंचाई के लिए है। मान्यवर, राजकीय नलकूपों में केवल 4 नलकूप लगाये गये हैं अभी 3 दिन पहले ही मैं खुद उन नलकूपों की चेकिंग करने गया था, चारों नलकूप खराब पड़े हैं एक की भी ठीक हालत नहीं है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी जब अपने बदायूं के लिए जाते हैं तो विकास खण्ड राजेपुर से होकर जाते हैं।

मान्यवर, राजेपुर की सिंचाई स्थिति सुधारने के लिए एक सुझाव देना चाहता हूं कि वहां पर विश्वबैंक की सहायता से 25 राजकीय नलकूपों का कलस्टर प्रारम्भ किया जाय। मान्यवर, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग में जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है वह भ्रष्टाचार नहरों में है। इनकी नहरों की सफाई में घनघोर भ्रष्टाचार होता है। ट्यूबवेल बनते हैं तो सिंचन क्षमता में वृद्धि घोषित हो जाती है जब कि यह नहीं देखा जाता है कि कितने ट्यूबवेल खराब हैं, कितने चल रहे हैं,

कितने की गूल टूटी पड़ी है। आप कहते हैं कि सिंचन क्षमता का विकास हुआ लेकिन विकास नहीं हुआ। मान्यवर, 1977 में जब जनता पार्टी शासन में आई थी तो 1977 में गंगा नदी द्वारा भीषण कटाव रोकने के लिए बती पट्टी ग्राम के पास योजना प्रारम्भ की गयी थी किन्तु 32 लाख रुपये खर्च होने के बाद भी अभी तक कुछ भी नहीं हो सका। मान्यवर, सिंचाई विभाग की तरफ से कार्य तभी प्रारम्भ किया जाता है जब गंगा नदी में पानी बढ़ जाता है और कटान होने लगता है। जिससे कि एक ट्रक पत्थर डालकर 10-15 ट्रक पत्थर नदी में डालना दिखा दिया जाता है। और रुपये जेबों में डाल लिया जाता है। इस वर्ष भी स्वयं माननीय मंत्री जी गये, प्रभारी मंत्री श्री गौरी शंकर जी गये, केन्द्र से एक टीम भीषण कटाव का निरीक्षण करने आई और इन सबने एक स्वर से यह पाया कि अगर तत्काल वहां गंगा नदी के कटाव को न रोका गया तो गंगा नदी जो बदायूं रोड से मात्र 78 मीटर दूर रह गयी है, फर्रुखाबाद बदायूं रोड को काट देगी और रामगंगा और गंगा कुठलाझील में मिलकर एक हो जायेगी जिससे यह पूरा क्षेत्र बरबाद हो जायेगा और घटिया घाट पर गंगा नदी व बिचकुरिया पर बने रामगंगा नदी पर बने करोड़ों रुपये के दोनों पुल बेकार हो जायेंगे तथा ग्वालियर, फर्रुखाबाद, बरेली, पिथौरागढ़ राजमार्ग जो लीपूलेख तक चीन की सीमा से जुड़ता है सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है, बेकार हो जायेगा। और लाखों एकड़ भूमि जलमग्न हो जायेगी।

मान्यवर, एक सुझाव और देना चाहता हूं वहां पर एक सोत नदी है जिसे बदायूं नाला भी कहते हैं इस नाले और गंगा नदी के बीच में 10 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि कृषि योग्य है। यदि इस नाले को शाहजहानपुर की सीमा में पिलुआ ग्राम के पास गंगा नदी में मिला दिया जाय तो यह 10 हजार हेक्टेअर से अधिक कृषि योग्य भूमि कृषि के लिए सुलभ हो जायेगी और उत्पादन बहुत अधिक बढ़ जायेगा। मान्यवर, श्री डी0 पी0 सिंह जो पन्त नगर विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे हैं, ने पिलुआ में श्रमदान द्वारा जनता से एक जलाशय बनवाया था और उसमें इस सोत नदी के पानी को डालकर सिंचाई प्रारम्भ कराया था उस योजना को भी प्रारम्भ कराया जा सकता है। इन शब्दों के साथ एक बार अपने फर्रुखाबाद के विकासखण्ड राजेपुर में सिंचन क्षमता को बढ़ाने के लिए 25 राजकीय नलकूपों का क्लस्टर प्रारम्भ करने पर बल देता हूं और कटौती की मांग का समर्थन करता हूं।

चौधरी श्याम लाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट का समर्थन करने का मौका दिया। मान्यवर, बुन्देलखण्ड में पूर्वान्चल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुकाबले सिंचन क्षमता 10 गुना कम है। आखिरकार बुन्देलखण्ड की इतनी उपेक्षा क्यों की जा रही है? अगर रेगिस्तान में सिंचन क्षमता सृजन की जा सकती है तो बुन्देलखण्ड में क्यों नहीं की जा सकती है? मान्यवर, मेरा एक सुझाव है मैं इसे बुन्देलखण्ड विकास समिति की मीटिंग में भी कह चुका हूं कि एक्सप्लोरेटरी बोरिंग सिस्टम की स्कीम लागू करें। जब हमारी नहरें सिकेण्ड ग्रेड की हैं, थर्ड ग्रेड की हैं और आबपासी की वसूली फर्स्ट ग्रेड और सेकेण्ड ग्रेड की की जाती है, तो यही अतिरिक्त धनराशि यदि एक्सप्लोरेटरी बोरिंग सिस्टम (अन्वेषणात्मक छिद्रण) में 10 हजार से सीमा बढ़ा कर 40 हजार कर दें, तो पानी की सम्भावनायें ट्यूबवेल के लिए इस मानक से आंकी जा सकती हैं। मेरा पुरजोर सुझाव यह है कि पूरे बुन्देलखंड में हमीरपुर, जालौन आदि

सभी जनपदों में अन्वेषणात्मक छिद्रण में कम से कम 40 हजार रु0 की धनराशि का प्राविधान करें। हमारा क्षेत्र कोंच सघन (डेन्स) दस्यु प्रभावित एरिया है और वहां पर बीहड़ रिवाइन्स का क्षेत्र है, उससे लगी हुई कृषि भूमि पर न तो नहरें हैं। न ही लिफ्ट इरीगेशन की सुविधा है, मात्र ट्यूबवेल लगाये जा सकते हैं। मेरा सुझाव है कि कोंच क्षेत्र के ब्लाक कोंच में ग्राम पाली, चनसुआ, चिचावली, रुखाना, मरसूंड़ा, थूट्स, योजना केलरा में ट्यूबवेल का एक कलस्टर दे दीजिए। केन्द्रीय सरकार ने 5 से 8 हेक्टेयर पक्की पुल निर्माण योजना में बेलन, शारदा सहायक तथा बेतवा को जो धनराशि स्वीकृत की है, उसमें से बेतवा को मात्र 5 लाख रु0 दिया गया है जबकि बेलन को और शारदा सहायक को पूर्ण धनराशि दी जा चुकी है और पक्की पुल निर्माण के लिए दी जा चुकी है। शेष बेतवा की 70-80 लाख रु0 की धनराशि इस कार्य हेतु अब मुक्त क्यों नहीं की जा रही है। सरकार की सिंचन क्षमता में की गयी अभिवृद्धि को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि पूर्व परियोजना काल में सिंचन क्षमता 86-87 में 30-35 लाख हेक्टेयर से 99-36 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है, जो तिगुने के लगभग है। इसी प्रकार नहरों की लम्बाई 30 हजार किलो मीटर से बढ़ाकर 66 हजार किलो मीटर के लगभग हो गयी। ट्यूबवेल पूर्व योजना काल में 2,325 से बढ़कर वास्तव में 25 हजार के लगभग हो गये। तो यह सरकार की उपलब्धि वास्तव में प्रगति की द्योतक है।

राणा साहब के कटौती के प्रस्ताव का मैं घनघोर विरोध इसलिए करता हूं कि उनका नीतिगत एवं सुझावात्मक दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए था। उन्होंने अभी अपने कटौती के प्रस्ताव में मात्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कही। बुन्देलखण्ड सरीखे सूखे क्षेत्र के संबंध में उन्होंने कोई ठोस सुझाव नहीं दिया और न ही किसी अन्य प्रखण्ड की बात कही। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं।

श्री सुखपाल पाण्डे—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सिंचाई विभाग का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उसमें जो कटौती का प्रस्ताव माननीय राणा जी ने रखा है, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं ऐसे जिले से चुनकर आया हूं जो बाढ़ का सबसे बड़ा केन्द्र है। वहां पर दर्जनों नदियां हैं, राप्ती, बूढ़ी राप्ती, कोवानो, घाघरा आदि नदियों में भयंकर बाढ़ आती है और हमारा जनपद हमेशा बाढ़ से पीड़ित रहता है, चाहे बस्ती का उत्तराखण्ड हो, चाहे बस्ती का दक्षिणी खण्ड हो। लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए अब तक जो कदम उठाये गये, वह कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये। विक्रम जोत से लेकर दुबौलिया बाजार तक और दुबौलिया बाजार से लेकर फलवारी तक सभी गांव कटान से पीड़ित हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जब से अयोध्या का पुल बना है, कटान बड़ी तीव्र गति से हुआ है और हजारों बीघा जमीन और अनेकों गांव उस कटान की गोद में जा चुके हैं। मान्यवर, उस पर सुरक्षा का कार्य कीजिये। जो आपकी योजनायें हैं उन पर आप ध्यान दीजिए। अभी यहां के मुख्य अभियंता हमारे यहां गये थे दौरे पर, उन्होंने वहां की स्थिति को देखा है। मैं चाहूंगा कि वहां पर जैसे गोदौलिया, किशुनपुर, काशीपुर आदि हैं उनकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है वहां मैं चाहता हूं कि भारी पैमाने पर काम किया जाय। पहले यह डिवीजन फैजाबाद डिवीजन में था जो 12 से 20 किलो मीटर की दूरी पर था। डी0 आर0 डी0 ए0 कमेटी ने प्रस्ताव पास किया कि इसका

मुख्यालय बस्ती जिले में होना चाहिए तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के सहयोग के लिए केवल 120 किलो मीटर की दूरी पर गोरखपुर में अपना कार्यालय स्थापित करा दिया। इसका कारण क्या था, इसका कारण यह था कि एक सहायक अभियंता को अधिशासी अभियंता बनाने के लिए यह किया गया। जब मुख्यमंत्री जी नये-नये हुए थे तो उन्होंने यह कहा था कि तीन दिन से अधिक कोई भी पत्रावली कार्यालय में नहीं रहेगी लेकिन मैंने एक पत्र फरवरी में लिखा था डा0 अम्मार रिजवी ने उसके जवाब में लिखा है कि इस कार्य में बड़ी तेजी लाई जा रही है और सक्रियता से दफ्तर खोल दिया जायेगा। मैंने इसको 10 मार्च को विधान सभा में उठाया था और जब सेक्रेटरी साहब से पूछा तो वे यह कह नहीं सकते थे कि दफ्तर नहीं खुलेगा, इसलिए कह दिया कि इस पर बात करूंगा। इस तरह से टालने के लिए, गलत आदमी को प्रोत्साहन देने के लिए आप काम करते हैं। वहां पर 4 डिवीजन हैं और चीफ डिवीजन पर एक सहायक अभियंता एस0 के0 गुप्ता हैं, वहां पर आप दो साल से नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। मैंने माननीय मंत्री जी से भी कहा लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि वहां पर किसी अधिशासी अभियंता को नियुक्त करें।

मैं ट्यूबवेलों के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। राम की पैड़ी को ऐसा कर दिया है कि राम की पैड़ी का कार्य ठप हो गया है क्योंकि कोई इंजीनियर आपने नियुक्त किया है वे कहते हैं कि इसको फिर से तुड़वाकर बनवाया जायेगा इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको आप देखें। इसको आप खाली भ्रष्टाचार का अड्डा न बनायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अबकी बार हरदेव जी को मौका दे दीजिए।

श्री अवधेश राय शास्त्री—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि कृषि की प्रगति तब होती है जब पानी की उपलब्धता हो। इसलिए सिंचाई के लिए जो बजट रखा गया है मैं उसका पुनः समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका घोर विरोध कर रहा हूं।

मान्यवर, मैं अपने जनपद की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। गाजीपुर जनपद गंगा की गोद में बसा हुआ है जहां पर तीन प्रकार से सिंचाई का कार्य होता है। नहरों द्वारा, देवकली पम्प द्वारा और ट्यूबवेल द्वारा। गाजीपुर जनपद में देवकली पम्प की जितनी भी माइनरें हैं सब अधूरी हैं। साथ ही साथ गाजीपुर जनपद में करीब 613 ट्यूबवेल हैं जिसमें से करीब डेढ़ सौ, दो सौ खराब पड़े हुए हैं और मान्यवर, गाजीपुर गंगा की गोद में होने के कारण वहां पर काफी कटाव भी रहा है। मान्यवर, गौसपुर से लेकर शेरपुर, सेमरा तथा गहमर आदि गांवों तक कटाव हो रहा है। मान्यवर, इसे रोके जाने की शीघ्र से शीघ्र व्यवस्था की जाए और यदि समय रहते इन गांवों को बचाने के प्रयास न किये गये तो शेरपुर जैसे विशाल गांव गंगा में सदा-सदा के लिए विलीन हो जायेगा। इस गांव में करीब 11 हजार एकड़ भूमि है, जहां पर अभी तक कुछ भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मान्यवर, अभी 30 दिसम्बर, 1986 में निर्माण नलकूप की जो इकाई गाजीपुर है और इसमें जो अधिशासी अभियंता हैं, इनके

द्वारा करीब 6 हजार एकड़ भूमि सर्वे करके दी गयी है । इस संबंध में मान्यवर, यह कहना चाहता हूं कि फिलहाल कम से कम 25 ट्यूबवेल की व्यवस्था अवश्य कर दी जाए और वर्ल्ड बैंक की सहायता से जितने ट्यूबवेल लगवाये जा रहे हैं, परन्तु अभी तक उनमें से किसी को भी कनेक्शन नहीं दिया गया, जो सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, वह यह है कि हमारा जनपद गाजीपुर पिछड़ा हुआ है, पूर्वान्चल का जिला है ।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राय साहब, आप बैठिये, मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है।

(घोर व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह—

(अपने स्थान से उठकर सदन के फ्लोर के करीब आकर) यह आपका बुलवाने का तरीका अच्छा नहीं है, यह बहुत गलत तरीका है, [xxx]

श्री अधिष्ठाता—

आप विराजिए, मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है, कृपया बैठिए। (घोर व्यवधान) आप बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं मेरे लिए, कृपया अब बैठ जाएं। मैंने मानवेन्द्र सिंह जी को बुला लिया है।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, आप जिस आसन पर बैठे हैं, आपको निष्पक्षता से कार्य का सम्पादन करना चाहिए, कई बार यदुनाथ सिंह जी खड़े हुए हैं, आपने इनको नहीं बुलवाया, आप इधर-उधर देख रहे थे, और दूसरों को मौका आप देते रहे, इन्हें भी कृपया बुलवा लीजिए।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मैनेजर सिंह जी, आप तो बड़े पुराने सदस्य हैं । इससे पहले मैं इधर के एक माननीय सदस्य, श्री सुखपाल पाण्डे जी को जो इनके दल के ही हैं बुलवा चुका हूं, अब मैंने मानवेन्द्र सिंह जी को बुलवा लिया है। अगर इतना ही इनको बोलना था तो यह कटौती का प्रस्ताव ले आते, इस प्रस्ताव को यह रख सकते थे।

(शोर)

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सिंचाई विभाग के बजट पर माननीय राणा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। सिंचाई विभाग की आज मान्यवर, स्थिति यह है कि शासन में एक तरफ तो शिक्षा सत्र एक मई से शुरू कर दिया गया है, परन्तु (घोर व्यवधान)

[श्री यदुनाथ सिंह अपने स्थान से उठकर माननीय अधिष्ठाता की कुर्सी की ओर जल्दी से लपके परन्तु बीच में विधान सभा रक्षकों ने उन्हें रोक लिया और श्री सिंह ऊपर नहीं जा सके तब डायरी राईटर की सीट पर कागज आदि उठाने लगे, वहां भी रक्षकों

नोट:—[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

ने पूरा प्रयास किया फिर दूसरी (सत्ता पक्ष की) ओर से श्री अधिष्ठाता की कुर्सी के पास जाने का प्रयास करने लगे, तत्पश्चात् वे फ्लोर पर आ गये।]

श्री अधिष्ठाता—

मैं श्री यदुनाथ सिंह को इंगित करता हूं।

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

मैं श्रीमन्, प्रस्ताव करता हूं कि श्री यदुनाथ सिंह को इस सत्र की अेष कालावधि के लिये सदन की सेवा से निष्कासित कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और व्यवधान के मध्य स्वीकृत हुआ)

[तत्पश्चात् लोक दल (अ) के सदस्य नारे लगाते हुए सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गए]

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मैं सदन को 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

[श्री अधिष्ठाता ने 5 बजकर 55 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित कर दी।

6 बजकर 10 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 6 बजकर 30 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है।

तदुपरान्त 6 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।]

*श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, आज जब सदन की कार्यवाही चल रही थी और उसमें जो व्यवधान हुआ और उसके कारण आपको सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा, इसके लिए मुझे अफसोस है लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि जिस पीठ पर आप बैठे हुए हैं, अधिष्ठाता मण्डल में बहुत ही अनुभवी, सहनशील और संसदीय परम्पराओं का ज्ञान रखने वाले लोगों को रखा जाता है और वही लोग इस पीठ पर बैठते हैं और आप भी उसी श्रृंखला में आते हैं। मैं समझता हूं कि श्री यदुनाथ सिंह जी कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलना चाहते थे और वह अकेले खड़े हुए थे, तो आपको अपने विवेकानुसार उन्हें बोलने की इजाजत दे देनी चाहिए थी। जो भी परिस्थिति पैदा यहां पर की गई, मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, आपकी इजाजत न भी होती, तब भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। सदन को चलाने में नियमों व परम्पराओं का अवश्य पालन किया जाना चाहिए। यदि हमारी तरफ से भी इस तरह की परिस्थिति पैदा की जाती है तो वह गलत है। मैं विशेषकर सत्तापक्ष से कहना चाहता हूं कि श्री यदुनाथ सिंह जी को शेष सत्र से निकाले जाने का जो प्रस्ताव लाया गया है, उसे वापस लिया जाय।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, यह बड़े खेद का विषय है जो घटना यहां पर घटी। माननीय नेता विरोधी दल ने उस पर खेद प्रकट किया है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मैंने जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रस्ताव पेश किया था, उसे वापस लेने की आज्ञा दें और श्री यदुनाथ सिंह को शेष सत्र की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दें। माननीय यदुनाथ सिंह जी एक बीमार व्यक्ति हैं, उन्हें कभी-कभी क्रोध आ जाता है। वैसे आज की सारी जिम्मेदारी माननीय मैनेजर सिंह जी की है।

(हंसी)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नेता विरोधी दल और मा0 स्वास्थ्य मंत्री श्री लोकपति त्रिपाठी जी ने जिन विचारों को सामने रखा है और जो समय इस बीच में गया, उसके लिये खेद तो है ही, लेकिन मैं यह समझता हूं कि इस पीठ की मान मर्यादा के ख्याल से भी यह देखना होगा कि जहां तक भी मुमकिन हो सबको समायोजित करके जितने लोग बोल सकें, बोलें और भाषण का स्तर ऊंचा होता चला जाय, सब का यही मत है।

प्रश्न यह है श्री यदुनाथ सिंह को सत्र भर के लिये निकालने का जो प्रस्ताव किया गया है, वह वापस किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बजट पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया।

सिंचाई विभाग के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि सारे विभागों की स्थानान्तरण सूचियां निकल चुकी हैं, शासन ने शिक्षा सत्र 1 मई से कर दिया है, लेकिन इस विभाग में अवर अभियन्ताओं की स्थानान्तरण सूची 25-26 जून से जारी होकर भी अभी तक नहीं निकली है, उच्च अधिकारियों की भी नहीं निकली है। इससे लोगों के स्थानान्तरण पर जाने में कठिनाई होगी। इस विभाग में 1965 से पब्लिक सर्विस कमीशन से पास लोगों को प्रोमोशन नहीं मिले हैं, एडहाक तो 1964 से बिना प्रोमोशन के पड़े हुए हैं। 20 साल से अधिक में भी प्रोन्नति का नम्बर नहीं आ रहा है इस विभाग में शासनादेशों का जी भर कर उल्लंघन होता है, एक शासनादेश हुआ कि विभाग बेल्डरों की सप्लाई उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम से ही करायेगा, सीधे ठेकेदारों से नहीं की जायेगी लेकिन अभियन्तागण अभी भी शासनादेश का उल्लंघन कर सीधे ठेकेदारों से सप्लाई ले रहे हैं।

बुन्देलखण्ड के बारे में कहना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड में सिंचाई की सुविधायें बहुत कम हैं, नहरें कम हैं, नहरों से पानी भी नहीं पहुंच पाता है, ट्यूबवेल में सरकार के जो मानक गैलन प्रतिघंटा हैं, उसके अनुसार बुन्देलखण्ड के ट्यूबवेल में जल नहीं मिलता है, इसलिये सुझाव है कि बुन्देलखण्ड के लिये ट्यूबवेल की क्षमता का मानक कम कर 5 हजार गैलन प्रति घंटा की जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त बुन्देलखण्ड का अधिकांश क्षेत्र ऐसा है, जहां नहरें नहीं हैं। ट्यूबवेल सफल नहीं है, इसलिए ऐसे क्षेत्र के लिए, बुन्देलखण्ड में जहां नदियां और नाले अधिक हैं, लिफ्ट सिंचाई पर अधिक जोर देना चाहिये। शासन ने एक नीति बना रखी है कि 25 क्यूसेक से कम की लिफ्ट नहरें नहीं बनायी जायेंगी। वहां पर बुन्देलखण्ड में छोटी-छोटी नदियां हैं, हमारा

अनुरोध है कि 25 क्यूसेक की लिफ्ट नहरें बनाने वाली सीमा समाप्त करनी चाहिए, 25 क्यूसेक से कम की छोटी-छोटी नहरों को बनाने की सुविधा मिलनी चाहिये। बुन्देलखण्ड में डिकौली लिफ्ट नहर योजना पर विचार होना चाहिये। मुख्यमंत्री जी जब राठ के उप चुनाव में गये थे तो आश्वासन दे आये थे कि मलहटा ग्राम के निकट मकरकुड़ी स्थान धसान नदी पर लिफ्ट योजना बनवायी जायेगी, तो इन सबके साथ उसको भी बनवा दें झांसी में डिकौली लिफ्ट नहर बेतवा नदी पर, दबेरी लिफ्ट नहर धसान-बेतवा पर, बंगरा लिफ्ट नहर लखेरी नदी पर, मनकपुर लिफ्ट नहर बेतवा नदी पर बनाये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य ने भी खेद प्रगट किया है? माननीय नेता, विरोधी दल ने खेद प्रगट किया है, माननीय मंत्री जी ने भी किया है, क्या माननीय सदस्य ने भी खेद प्रकट किया है ?

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई प्रश्न नहीं है व्यवस्था का। जब नेता विरोधी दल बोलते हैं तो वे पूरे पक्ष की तरफ से बोलते हैं, इसलिए उनकी तरफ से खेद प्रकट हो गया है।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

इसी तरह से झांसी की बेतवा नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण की योजना खटाई में पड़ी हुई है। बुन्देलखण्ड में झांसी में पथराई बांध पर न के बराबर पैसा दिया है। विराट सागर बांध के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया है जिसके कारण से स्थिति बहुत खराब है। झांसी के गरौठा क्षेत्र में बेतवा नहर प्रखण्ड में गत वर्ष गुरसराय नहर से कतई सिंचाई नहीं हो पायी है जिसका कारण यह है कि गुरसराय नहर का पैसा अधिशासी अभियन्ता ने प्रखण्ड में ही दूसरी तरफ डाईवर्ट कर दिया था महज नहर पर। नहर की सफाई न होने से गत वर्ष कोई सिंचाई नहीं हो पायी है, इस वर्ष भी सिंचाई की समस्या आने वाली है लेकिन अभी तक गुरसराय नहर सफाई हो रही है, और सफाई ऐसे हो रही है कि 21 मील तक का टेन्डर किया गया और 11 या 12 मील का एग्रीमेन्ट किया गया 4.20 पैसे प्रतिघन मीटर के रेट से टेन्डर आये उसमें अभियन्ताओं ने यह किया कि कुछ टेन्डरों की सिक्योरिटी को फोरफिट करा दिया और 4.20 पैसे के बजाय शेड्यूल रेट पर 5.20 पैसे प्रतिघन मीटर पर बौन्ड बनाकर तथा वर्कआर्डर से काम करा लिया और इस तरह से सिक्योरिटी फोरफिट हो गयी तो 2–4 हजार की हानि हुई और उन्हीं लोगों को फुलरेट पर काम देकर करीब 10–50 हजार रु0 का लाभ हो गया।

इसके अतिरिक्त बुन्देलखण्ड विकास सलाहकार परिषद् की बैठक में भी मैंने इसे उठाया था तो मंत्री जी ने कहा था कि इसको हम देखेंगे और ऐसा नहीं होने पायेगा। सिंचाई विभाग से वर्तमान मुख्य मंत्री जी को इतना मोह है कि गत वर्ष में कई बार इस प्रकार के आदेश पूर्व मुख्य मंत्री के हुए लेकिन तत्कालीन मंत्री जी वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने उसे दबा दिया। एक विनोद कुमार गर्ग के नाम के सहायक अभियन्ता हैं वर्तमान में अधिशासी अभियंता जिनका निलम्बन का आदेश तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने सतर्कता विभाग की रिपोर्ट पर पत्रावली पर किया था,

आदेश हुए लेकिन अभी तक आदेशों का पालन न कर उनको निलम्बित नहीं किया गया है। इसी प्रकार से एक सहायक अभियंता (यांत्रिक) और हैं श्री एम0 के0 जैन इनके विरुद्ध आरोपों की सतर्कता विभाग ने जांच कर उन सहायक अभियन्ता से 90 हजार रु0 के घोटाले की बात सिद्ध पायी और वसूल किये जाने की संस्तुति की, लेकिन शासन ने उनको केवल चेतावनी देकर मामला समाप्त कर दिया गया। माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा यह हो रहा है तो कैसे सिंचाई की समस्या का समाधान हो सकता है, विभाग में भ्रष्टाचार कैसे रुक सकता है और किसानों का कैसे भला हो सकता है? इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री विजय सिंह राणा द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका . . .

श्री नरेन्द्र देव–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

क्या व्यवस्था है आपकी?

श्री नरेन्द्र देव–

मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। मैंने आपसे निवेदन किया कि हम लोग जनता की बात कहने सदन में आते हैं, जन भावना को हम सदन में रखते हैं। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमें तकलीफ होती है आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मिर्जापुर के किसी एक सदस्य को आप बोलने का मौका दे दें जिससे उस जनपद की बात सदन में आ जाय।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था नहीं है, आप बिराजें।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में और कटौती के प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सिंचन की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है, सिंचाई का संकट राष्ट्रीय संकट है। इसके समुचित उपयोग धरती से अन्न और जल से विद्युत उत्पन्न कर हम प्रदेश को वैभवशाली बना सकते हैं। इस परिपेक्ष में मुख्य मंत्री ने सिंचाई विभाग को अपने पास रखा है। आज उत्तर प्रदेश का हिन्दुस्तान में सिंचाई में चौथा स्थान है और इस समय प्रदेश में 25346 राजकीय नलकूप कार्यरत हैं जो पूरे देश के सवा गुना हैं। मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों का अभाव है, लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी का प्रयास है कि यहां पर सिंचाई के साधन पर्याप्त हो रहे हैं। मान्यवर, आज 42 प्रतिशत सिंचाई पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि की हो रही है, परन्तु पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 65 प्रतिशत सिंचाई के साधन हैं, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से कहीं अधिक हैं।

मान्यवर, गोरखपुर मंडल में 60 प्रतिशत इलाका बाढ़ से प्रभावित रहता है, जब कि पूर्वी उत्तर प्रदेश 50 प्रतिशत बाढ़ से प्रभावित रहता है, इसके लिये निश्चित धन की आवश्यकता है और यह धन जनसंख्या के आधार पर आवंटित होना चाहिए। मान्यवर, प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से बाढ़ कार्यों के लिए 500 करोड़ रुपया 7वीं पंचवर्षीय योजना में मांग की थी, लेकिन उसमें से केवल 260 करोड़ रुपया ही मिल सका है। इस प्रकार बाढ़ कार्यों के रखरखाव के लिए 10.2 करोड़ रुपया भारत सरकार से प्रदेश सरकार ने मांग की है, लेकिन प्रदेश सरकार को केवल 139 करोड़ रुपया ही मिल पाया है। मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश स्वीकृत बाढ़ग्रस्त इलाका है, (इस समय 6 बजकर 46 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।) लेकिन जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वह रुड़की में है और जब तक कोई कार्यकारी दल यहां आता है और नदियों की कटान और दिशा को देखता है और योजना बनाता है, तब तक नदियां अपनी दिशा को बदल देती हैं। इसलिए मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि गोरखपुर में बाढ़ शोध संस्थान खोला जाये और प्रत्येक मुख्य जोनल अभियन्ता को डिजाइन सर्किल से सम्बद्ध किया जाये। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बाढ़ को रोकने के लिए नेपाल सरकार के सहयोग से राप्ती नदी पर भाली बांध परियोजना और घाघरा नदी पर करसाली परियोजना तथा शारदा नदी पर पंच परमेश्वर बहु उद्देशीय योजना के निर्माण से ही यह बाढ़ रोकी जा सकती है। मान्यवर, बाढ़ को रोकने के लिए नदियों के उद्गम स्थान पर जलाशय बनाये जायें और उन जलाशयों से सिंचाई की जाये और विद्युत उत्पादन किया जाये। प्रदेश में 7वीं पंचवर्षीय योजना में वृहद और मध्यम 76 परियोजनायें हैं, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में गण्डक और सरजू योजना महत्वपूर्ण है। सरजू परियोजना से गोरखपुर, गोण्डा, बहराइच और बस्ती जिलों में अभी तक 11 प्रतिशत ही सिंचाई होती है, इसको पूरा करने के लिए मुख्य मंत्री जी ने विश्व बैंक से धन की मांग की है, जिससे यह शीघ्र पूरा हो सके। जो प्रसन्नता की बात है ।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में मुखलिस पम्प कैनाल प्रारम्भ की गयी है, उसे कटसारा से रिवोली और बुटहर माइनर को टेल में पानी नहीं मिल पाता है, जिसे पुनरीक्षित योजना में पूरा कराया जाये और इसकी अधीनस्थ प्रस्तावित नहरों का निर्माण कराया जाये। इसी प्रकार से मान्यवर, बखरा पम्प कैनाल को पुनरीक्षित योजना में सम्मिलित किया जाये जिससे निवास से लुचुई तक नहर से पानी मिल सके। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में एक विशेष योजना चालू की जाये। हमारे क्षेत्र में सहजनवा डुमरिया बांध चोरिया नाला में बड़े रेगुलेटर के निर्माण का आदेश माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया है, लेकिन उनके आदेश के बावजूद भी वह बन नहीं सका है और उसके रखरखाव पर 10 लाख रुपया फर्जी ढंग से बोल्डर में खर्च दिखा दिया गया है, जो सर्वथा अनुचित है। माननीय मुख्य मंत्री जी प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए विशेष प्रयत्नशील हैं, जिससे क्षेत्रीय सन्तुलन बन सके। माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रयास से पूर्वी उत्तर प्रदेश में 30 गुना सिंचाई में वृद्धि हुई है, जो एक उल्लेखनीय कदम है। मान्यवर, योजना की स्वीकृति के समय स्थल पर निरीक्षण टी0 ए0 सी0 द्वारा किया जाना चाहिए, जिससे आवश्यक धन का आवंटन हो सके और बाढ़ में संलग्न अभियंताओं को बाढ़ सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जा सके।

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आमी नदी पर तटबंध बनाया जाये और इसको मगहर से बनाया जाये । हिरुआ, अमसार, जगदीशपुर और देशपुरवा कटान पर बाढ़ बचाव

कार्य किये जायं इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठिये। जो आपके सुझाव हों वह माननीय मंत्री जी को लिखकर दे दें। अब यह कुछ नहीं लिखा जायेगा। समय बहुत हो चुका है 2–3 सदस्यों को और बुलवा दूंगा। आप क्यों परेशान हैं। इसमें आप समय का ध्यान रखें। दो–दो मिनट का सबको समय दिया जायेगा।

*श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय विजय सिंह राणा के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। चूंकि आपने केवल दो मिनट ही मुझे बोलने का समय दिया इसलिए मैं चन्द बातें ही इस सिंचाई विभाग के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा।

मान्यवर, सिंचाई विभाग में जितना भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको देखते हुए इस विभाग को एक भी पैसा देना मुनासिब नहीं है। जहां तक नहरों में पानी का सवाल है, उनमें पानी नहीं है। क्यों ऐसी योजनायें बनायी जाती हैं। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, जब यहां पर माननीय लोकपति जी सिंचाई मंत्री थे उस समय मिर्जापुर में जितनी योजनाएं बनीं कोई पूरी नहीं हुईं। सोन लिफ्ट कैनाल, कनहर लिफ्ट कैनाल, बाढ़सागर परियोजना अभी तक पूरी नहीं हुई और टेहरी परियोजना को पूरी करने में लगे हुए हैं। आप योजनाओं के ऊपर योजनायें बनाते रहते हैं लेकिन पूरी कोई नहीं हो पाती। प्रोजेक्ट्स की गिनती करते रहते हैं वह कहां तक सफल हुई है, इसे नहीं देखते हैं। क्या आप टेहरी परियोजना से सारे उत्तर प्रदेश की सिंचाई करेंगे। करोड़ों रुपये की योजनाएं जगह-जगह पर बनी हुई हैं। 40 करोड़ की कनहर योजना फंसी हुई है और इसी तरह से कई योजनाएं फंसी हुई हैं। माननीय लोकपति जी जब सिंचाई मंत्री थे तो राजगढ़ परियोजना में किस तरह से काम हुआ। सोन नहर में आपके इंजीनियरों ने किस तरह का काम किया। जहां आर0 सी0 सी0 रखना चाहिए था उसको मिट्टी पर खड़ा कर दिया और वह बह गया। एशिया में सबसे बड़ा गंगा सागर डैम है उसकी सुरक्षा के लिए आपके सिंचाई विभाग ने कोई कार्य नहीं किया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में बड़ी-बड़ी नदियां हैं जैसे गंगा नदी, सोन नदी, बेतवा नदी, इनके द्वारा लिफ्ट कैनाल से सिंचाई की सुविधा किसानों को दी जा सकती है लेकिन इस तरह का कोई कार्य आपके विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है।

एक बात और कहना चाहता हूं कि आपके सिंचाई विभाग के अधिकारी 15 जून के बाद पानी देते हैं। इस सम्बन्ध में मैंने अधिकारियों से बात की कि 1 जून से दें ताकि किसान ठीक से सिंचाई कर सकें किन्तु उनका कहना है कि यह सम्भव नहीं है । मान्यवर, कृषि और सिंचाई विभाग का आपस में कोई समन्वय नहीं है । कृषि विभाग के अधिकारी उस कटाव को रोकने के लिए तैयार नहीं हैं (व्यवधान)। मेरी मांग है कि जहां कटान होता है उसके लिए अधिकारी दोषी माने जायें।

श्री उपाध्यक्ष–

अब कृपया समाप्त करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, हमारे यहां अरोरा में एक एक्स0 ई0 एन0 वी0 पी0 श्रीवास्तव हैं जिनके रहते वाराणसी और मिर्जापुर में आबपाशी नहीं हो सकती है। इसलिये मेरी मांग है कि ऐसे अभियन्ता को वहां से हटा दिया जाय।

नहरों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि कम से कम इतना जरूर कर दें कि नहरों को टैल तक पानी चलने की सुविधा हो जाय और जहां-जहां ऐसी प्रोजेक्ट हैं, वहां सूखे के समय में तो ऐसी व्यवस्था कर दें। डाक्टर के0 एल0 राव जब केन्द्रीय मंत्री थे और उस समय यहां पर माननीय कमलापति त्रिपाठी मुख्य मंत्री थे, उन्होंने उस समय एक सिंचाई की स्कीम चलाई थी, उसे लागू किया जाय। मान्यवर, एन0 आर0 ई0 पी0, आई0 आर0 डी0, आर0 एल0 जी0 ई0 पी0, डी0 आर0 डी0 ए0 का पैसा सिंचाई विभाग के अन्तर्गत करके सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाय। इन शब्दों के साथ मैं राना जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री पुरुषोत्तम लाल–

मान्यवर, आपने माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं आपको अपने विधान सभाई क्षेत्र सिराथू, इलाहाबाद की तरफ ले जाना चाहता हूं। वहां पर अभी तक मात्र 2 कैनाल आयी हैं–एक अपर गंगा कैनाल और दूसरी राप्ती गंगा कैनाल। दुर्भाग्य से जब से ये दोनों कैनाल आई हैं उनके टेल पर अभी तक पानी नहीं है। वहां पर 14 विधान सभाई क्षेत्र हैं और सिराथू एक विधान सभाई क्षेत्र ऐसा है जहां सिंचाई के सबसे कम साधन हैं।

स्टेट ट्यूबवेल भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में अन्य 13 विधान सभा क्षेत्रों से सबसे कम हैं। वर्ल्ड बैंक का कोई ट्यूबवेल नहीं है और कैनाल भी नयी नहीं आई हैं। हमारे क्षेत्र में अजवा और भरवा जैसी अनाज की बहुत बड़ी मंडी है जो प्रदेश को बहुत बड़ी मात्रा में अनाज सप्लाई करती है लेकिन अभी तक वह क्षेत्र खेती के मामले में प्रकृति के सहारे पर निर्भर रहता है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जहां माननीय मंत्री जी चारों तरफ सिंचाई के नये नये साधन दे रहे हैं वहीं सिराथू सिंचाई के मामले में सबसे पीछे है इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो नीदरलैण्ड की सहायता से 750 ट्यूबवेल सरकार लगाने जा रही है उसमें मेरे क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर अवश्य चुना जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री पुरुषोत्तम लाल–

एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां दो जो कैनाल हैं उनमें पानी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री पुरुषोत्तम लाल–

हमारे यहां कड़ा ब्लॉक में लिफ्ट कैनाल लगनी है वह सुचारु रूप से चले जिससे हमारा क्षेत्र हरा भरा हो सके। इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सिंचाई के बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री दीप चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई के बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद जौनपुर की तरफ ले जाना चाहता हूं । सन् 1981 में जनपद जौनपुर में भयंकर बाढ़ आई थी तो उस समय यहां पर मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि गोमती नदी की बाढ़ से जो यहां 'तबाही' होती है उसके निदान के लिए 21 करोड़ रुपयों की लागत से योजना बनाई जायेगी लेकिन वह योजना आज तक नहीं बनी है और एक पैसा भी उसमें खर्च नहीं हुआ है जिससे बाढ़ से हर वर्ष जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है।

मैं आपका ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र शाहगंज की तरफ ले जाना चाहता हूं । हमारे यहां सिंचाई आजमगढ़ से सिंचाई विभाग द्वारा व्यवस्था होती है। सिंचाई के नाम पर गलत वसूली और नहरों की सफाई के नाम पर, कन्सट्रक्शन के नाम पर सारा रुपया कागज पर खर्च कर दिया जाता है। सारे फर्जी कागज बन जाते हैं शारदा सहायक खण्ड 36 में ओम प्रकाश वर्मा और पी0 एन0 सिंह फर्जी ड्रेनों के सफाई के नाम पर कागज भर कर गोलमाल कर रहे हैं विकास के नाम पर वहां कोई काम नहीं हो रहा है सिंचाई शून्य के बराबर है। लखमापुर ग्राम में एक 5 लाख की लागत से पुल का निर्माण हो रहा है लेकिन उसमें सहायक अभियन्ता 200 बोरी सीमेन्ट खा गये हैं जिसके कारण वह काम पूरा नहीं हो पा रहा है। सिंचाई के नाम पर कागज में काम हो रहा है और सिंचाई शून्य है। मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई व ड्रेनों की समुचित व्यवस्था की जाय।

कुमारी कृष्णा रावत–

मान्यवर, मैं आभार प्रकट करती हूं कि आपने मुझे सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया। (व्यवधान) रसड़ा वाले तो बोलते रहते हैं। मान्यवर, मैं सिंचाई बजट के अवसर पर अपने विधान सभा क्षेत्र के सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहती हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी को और माननीय मुख्य मंत्री जी को जिनके पास यह विभाग है धन्यवाद देना चाहती हूं और इस बजट का हृदय से समर्थन करती हूं और कटौती प्रस्ताव जो भाई राणा जी ने रखा है उसका विरोध करती हूं। मान्यवर, मैं बताना चाहती हूं कि जिस प्रकार प्रदेश के बहुत से क्षेत्र सिंचाई में पिछड़े हुए हैं उनमें मेरा क्षेत्र भी पिछड़ा हुआ है। मलिहाबाद मेरा क्षेत्र है जो आमों के लिए विख्यात है। पानी की कमी के कारण फसल को नुकसान हो जाता है इसलिए वहां पानी की बहुत आवश्यकता है। मान्यवर, हमारे पास इस सरकार ने बहुत ट्यूबवेल्स दिये हैं। उनके सम्बन्ध में बताना चाहती हूं कि हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे विश्व बैंक द्वारा ट्यूबवेल लगाये गये हैं जिनमें कुलाबे बनाकर सिंचाई की जाती है, इस सिस्टम से उस कमाण्ड के सभी किसान अपने अपने खेतों

की एक साथ सिंचाई कर सकते हैं जबकि अभी तक पहले के ऐसे नलकूप हैं जिनमें नालियों में पानी देकर सिंचाई की जाती है।

मान्यवर, हमारे यहां नहरों की जो सफाई की जाती है वह अच्छी प्रकार से नहीं की जाती है। इसलिए मा0 मंत्री जी से अनुरोध है कि नहरों की सफाई के लिए हमारे क्षेत्र की नहरों की, सफाई की ठीक प्रकार से व्यवस्था की जायें। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

श्री विजय सिंह राणा ।

(मा0 सदस्य के खड़े होने पर)

श्री हरदेव–

व्यवस्था का प्रश्न है, मुझे बोलने की इजाजत दी जाये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठ जायं। मैं श्री हरदेव जी आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। बाद में स्पष्टीकरण कर लें।

(श्री हरदेव के न बैठने पर)

आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा। मैंने श्री विजय सिंह राणा को बुला लिया है। आप बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय श्री हरदेव जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उस पर सोचकर कल व्यवस्था दे दें।

श्री मैनेजर सिंह–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि इस आसन पर 1965 में श्री होती लाल अग्रवाल थे, तो एक बजट पर एक दिन बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते थे, उन्होंने व्यवस्था दे दी कि जितने माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं वह लिखकर दे दें जो कार्यवाही का भाग हो जायेगा। माननीय सदस्यों ने लिखकर दे दिया था। उसी प्रकार मैं चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, श्री हरदेव को छोड़कर क्योंकि वह लिखने में कमजोर हैं उनका भाषण करा दें, बाकी को लिखकर देने की आप इजाजत दे दें।

श्री उपाध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है कि हम लोग यहां चुनकर आते हैं और इसलिए कि अपने क्षेत्र की जनता की बात यहां सदन में रखेंगे लेकिन उनकी बात यहां नहीं रख पायेंगे और सुबह से शाम तक बैठे रहेंगे, टी0 ए0 डी0 ए0 लेने के लिए तो यह अच्छी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि सिंचाई ऐसे महत्वपूर्ण बजट,

जिसका देहात से संबंध है, पर बोलना चाहते हैं। पशुपालन जैसे विषय पर बोलना चाहें और समय न मिले (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष–

यह व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। 426 सदस्य हैं सभी बोल नहीं सकते हैं। कोई किसी पर बोलेगा और कोई किसी पर बोल लेगा। (व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप–

तो फिर हम चले जाएं। अच्छा इसके खिलाफ हम जाते हैं।

(श्री शारदा प्रताप सदन त्याग कर चले गये)

श्री नरेन्द्र देव–

मेरा भी मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं पहले तो अपने सभी साथियों को जो चाहे इस पक्ष में बैठे हों चाहे उस पक्ष में बैठे हों–जो कटौती के प्रस्ताव पर या बजट के समर्थन में बोले हैं, उन दोनों प्रकार के साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि कटौती के प्रस्ताव के समर्थकों के साथ जो बजट के समर्थन में बोले, उन सबने भी एक बात कहकर कि बजट का समर्थन करता हूं, सारी हमारी उन्हीं बातों का पोषण किया है, जिनको हमने कटौती के प्रस्ताव में उठाया था। इसलिए मैं दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों का अनुगृहीत हूं। पहले मैं अपने भाषण में एक बात छोड़ गया था, उसको कहकर मैं इसके जवाब पर आता हूं। मैं पहले नलकूपों को नहीं छू पाया था। इस वर्ष जो आपने आंकड़े दिये हैं उसके अनुसार 1127 नलकूपों का छिद्रीकरण किया गया है और नलकूपों का ऊर्जीकरण हुआ है। इसका मतलब यह है कि कुछ नलकूप ऐसे थे जिनका छिद्रीकरण पहले हो चुका था, किन्तु उर्जीकरण अब हुआ है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने नलकूपों का छिद्रीकरण किया जाए, साथ ही साथ उनके उर्जीकरण की व्यवस्था की जाए। यह बहुत आवश्यक है कि जितने नलकूप छिद्रीकरण होंगे उसके साथ ही उनका उर्जीकरण भी हो जाएगा।

नलकूप के बारे में हमारा अनुभव बहुत तीखा है। हमारे यहां 70 प्रतिशत नलकूप खराब पड़े हैं और सिंचन क्षमता इतनी कम है कि हमारे यहां जो 6 ट्यूब-वेल हैं उनकी सिंचन क्षमता 8 एकड़ से अधिक प्रति ट्यूबवेल बिलकुल नहीं है। एक नलकूप पर 40 हजार रुपया वार्षिक किराया देना होता है और 5 हजार रुपया वार्षिक का मरम्मत खर्च आता है और 60 हजार रुपया उस पर रहने वाले केयरटेकर को देते हैं। विभाग का खर्च डाला जाए तो उत्तर प्रदेश में एक नलकूप पर एक लाख रुपया खर्च होता है और इतना रुपया खर्च करके भी कोई ट्यूबवेल भी 8–10 एकड़ जमीन से अधिक की सिंचाई नहीं कर पाता है। पूरब में होता हो तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन पश्चिम में बिलकुल नहीं होता है। इसलिए इस ओर गम्भीरता से ध्यान दिया जाए। सबसे ज्यादा जल की उपलब्धता उत्तर प्रदेश में है और यह जल जो व्यर्थ में नदियों में प्रवाहित होता है समुद्र में चला जाता है। उसका पूरा दोहन आज तक सरकार नहीं कर पाई है। इसलिए हमारा सुझाव है कि छोटी

छोटी नदियों पर बन्धे बनाए जाएं और उससे लिफ्ट सिंचाई सिस्टम डेवलप किया जाए। छोटी छोटी नदियों पर बन्धे बनाने से वाटर लेवेल ऊपर होगा। खासकर आगरा के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं । आगरा में छोटी-छोटी नदियां हैं उन पर बंधा बनाना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य कृपया शान्ति बनाये रखें।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, नहर कटने की जिम्मेदारी जिन पर है वह घर पर पड़े रहते हैं, जिससे नहर कट जाती है और किसान की जमीन जलमग्न हो जाती है नहर के कटान से किसान की पूरी फसल बरबाद हो जाती है। हमारे यहां एक नहर है मान्यवर, एक डाक्टर का मछली का तालाब है उसके लिए उसने नहर को कटवा दिया जिसे काश्तकारों की फसल बरबाद हो गई और मान्यवर, एक भी किसान को मुआवजा नहीं दिया गया । इस संबंध में प्रश्न भी किया गया था उसके उत्तर में मंत्री जी ने कह दिया कि किसानों की गल्ती से नहर कट गई। मान्यवर, यह लाल बत्ती आप क्यों दिखा रहे हैं। मान्यवर, सिंचाई के लिए कहीं पानी नहीं पहुंचता है। नहर की सफाई अच्छे ढंग से नहीं होती है। मान्यवर, जब नहरों की सफाई कराई जाए तो ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख और विधायक से सत्यापन कराया जाए कि नहर की सफाई हुई है या नहीं? सफाई का पूरा पैसा इंजीनियरों की जेब में चला जाता है। मान्यवर, यह सारा पैसा फरवरी मार्च में आवंटित करते हैं जबकि अगस्त में यह पैसा मिलना चाहिए, तो इंजीनियर पूरा का पूरा पैसा जेब में रख लेते हैं अगर आप इसको साबित करना चाहते हैं तो एन0 आर0 ई0 पी0, डी आर0 डी0 ए0, आर0 एल0 पी0 ई0 पी0 इन योजनाओं को देखें इनका काम इंजीनियर को दिया जाता है तो वह नहीं करना चाहते और योजनाओं के लिए आपस में लड़ते रहते हैं इन योजनाओं में यह इसलिए काम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इसका जो पैसा मिलता है वह नये काम के लिए मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य कृपया शान्ति बनाए रखें। आपस में बातचीत न करें।

श्री विजय सिंह राणा–

यह लोग नया काम नहीं करना चाहते हैं यह लोग तो चाहते हैं कि बगैर काम किए ही सारा का सारा हमारी जेब में चला जाए।

श्री किरन पाल सिंह—

आप वीर बहादुर सिंह जी को कहिए तमाम भ्रष्टाचार पाले हुए हैं। आपने मान्यवर, बोलने का मौका नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष–

राणा जी, बहुत समझदार आदमी हैं।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, इनकी एक योजना है शामिल बराह मान्यवर, जब किसान अपने खेत के पानी सरकारी ट्यूबवेल की नाली से ले जाता है, तो पतरौल उस पानी को सरकारी ट्यूबवेल का पानी लिखा देते हैं और उसके ऊपर सिंचाई कर लगा देते हैं जबकि किसान अपने ट्यूबवेल से पानी ले जाता है। तो मेरा मंत्री जी से कहना है कि इस पद्धति को बदलवायें। मंत्री जी कुछ लिख तो रहे नहीं हैं क्योंकि इन्हें कुछ करना धरना तो है नहीं। मान्यवर, आगरा कैनाल के बारे में कहना चाहूंगा जिस समय यह बनी थी वैसी की वैसी इस समय भी है। मान्यवर, हरियाणा के पास कोई सिंचाई की सुविधा नहीं है लेकिन उसने सिंचाई का क्षेत्र ज्यादा बढ़ा लिया है। मान्यवर, यह आज तक किसी नहर को पक्की नहीं करा पाये हैं। मेरी गुजारिश है कि नहरों को पक्की कराया जाय। दूसरी बात मान्यवर, यह कहना चाहता हूं कि नहरों की पटरियों को पक्की करने की योजना जनता सरकार के समय में शुरू की गयी थी। जनता सरकार चाहती थी कि डेढ़ साल के अन्दर नहरों के किनारे की पटरियां पक्की हो जायं ताकि यातायात की सुविधा उपलब्ध हो सके और नहरों का कटान न हो सके। मैं चाहता हूं कि इस पर ध्यान दें। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि ओखला डैम से आगरा और मथुरा को पानी मिलता है। लेकिन इसके प्रशासन का अधिकार एस0 ई0 मेरठ को दिया गया है। इसके बारे में मैंने मुख्य मंत्री जी के सामने प्रश्न उठाया था कि ओखला हेड वर्क्स का प्रशासन एस0 ई0 आगरा के अण्डर में रहने दिया जाय ताकि हमारे पानी की कटौती न हो सके। इसी तरह से हमारे यहां आगरा नहर है। इसमें एक जानी इस्केप है। इसके माडीफिकेशन का कार्य बहुत दिनों से हो रहा है लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ है। इस समय पानी खतौली इस्केप से दिया जा रहा है। खतौली इस्केप की क्षमता 650 क्यूसेक है और जानी इस्केप की क्षमता 2000 क्यूसेक है। तो खतौली इस्केप से पानी मिलने के कारण हमको पानी कम मिलता है इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जानी इस्केप को जल्दी दुरुस्त करायें। इसी के साथ साथ एक यमुना की नहर है इससे मुजफ्फरनगर को पानी मिलता है। उसका हेड हरियाणा ने पक्का कर लिया है जिससे हमारे पानी की कटौती हो जाती है। इसलिए मेरी मांग है कि इस नहर के हेड को पक्का कराकर मुजफ्फरनगर को पानी दिलायें।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि इस विभाग में बहुत सी कार्यशालायें कार्य कर रही हैं। लेकिन ज्यादातर सामान बाहर से परचेज किया जाता है। इससे यह कार्यशालायें ठीक से काम नहीं कर पाती हैं। वहां पर अच्छे अच्छे इंजीनियर रखे गये हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर काम दिया जाय ताकि वहां पर जरूरत की चीजें बन सकें और बाहर से न खरीदनी पड़ें। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि कम से कम जरूरी चीजों का जवाब वह जरूर देंगे।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, जो सुझाव आये हैं मैं उन पर जरूर विचार कराऊंगा और देखूंगा कि जो रचनात्मक सुझाव हैं उनका परीक्षण होगा। जहां जो आंकड़ें बाजी की बात कही गयी है वह नितान्त भ्रामक और गलत है।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री जी को चुनौती देता हूं कि जो तथ्य मैंने रखे हैं, उन्होंने जो परियोजनाओं का कमाण्ड एरिया रखा है वह भौगोलिक एरिया से ज्यादा है। दूसरी बात यह कहना है कि आप फसलों को अलग अलग दिखाकर क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। इसका आप जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष–

पहले उनको जवाब तो देने दीजिये।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैंने जो आंकड़े बताये हैं वह इनकी किताब के हैं। जो मेरे सवाल हैं उनका जवाब दें।

*श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसी के अनुसार मैं जवाब दे रहा हूं। जहां तक जो दोहरी फसल होती है उसकी दोहरी सिंचाई होती है उसी को समायोजित करने के बाद जो क्षेत्रफल आया है वह मैंने बताया है। आपने उसको पढ़ा भी है और हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन भी है बुकलेट में, कि यह इसकी वजह है। तो भ्रामक या असत्य आंकड़े देने का प्रश्न नहीं उठता है। आप लोगों के बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आये हैं। आपने जो आगरा जनपद के ट्यूबवेलों के बारे में कहा है तो वहां अधिकतर एक समस्या है कि आगरा जिले का पानी खारा है। खारे पानी की वजह से 185 ट्यूबवेल फेल हो गये हैं। कुल हमारे जो ट्यूबवेल चालित हैं उनके 537 ट्यूबवेलों में से 185 ट्यूबवेलों के फेल हो जाने के कारण ऐसा लगता है कि 40 प्रतिशत या 30 प्रतिशत ट्यूबवेल फेल हैं। फेल होने का एक ही कारण है कि जल खारा तो उसमें मशीन काम नहीं कर सकती।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यह नहीं है जो नलकूप लगे हुए हैं उनमें से 70 प्रतिशत नलकूप चालू नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी अपने बदायूं में ही देखें कि कितने नलकूप खराब पड़े हैं। पानी खारा है इसलिए खराब है यह कहते हुए आपको शोभा नहीं देता।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, जो आपने बताया है उसका हम परीक्षण करायेंगे लेकिन यह सही नहीं है कि 50 प्रतिशत ट्यूबवेल फेल हैं। मान्यवर, एक जो पूरब पश्चिम की बात कही गयी है यह ठीक नहीं है। मैं तो समुचित विकास पूरे प्रदेश का करना चाहता हूं। चाहे पूरब हो या पश्चिम हो। पश्चिम के लिए जो हमने मध्य गंगा कैनाल है उसके द्वितीय चरण पर इस साल से प्रोजेक्ट का परीक्षण हो रहा है और उसे शीघ्र ही अगले बजट में लाने का प्रयास कर रहे हैं तो वह भी काम हो जायेगा। तो इसमें जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुरादाबाद या और जिलों की जो समस्या है, यहां पर जो दीमक हो गयी है उसके लिए निदान की कोशिश की जा रही है । मान्यवर, जहां तक आपके हरियाणा के पानी देने का है तो पानी का कन्ट्रोल उनका है उसको हम बिल्कुल नहीं करने जा रहे हैं। हरियाणा का जो शेयर है वह उसने लिया है और जो हमारा शेयर बनता है वह हमने पूरा लिया है उसमें कोई असावधानी र ं है।

श्री विजय सिंह राणा–

कितना शेयर है और वह कितना दे रहे हैं, हरियाणा को जो पानी मिल रहा है वह कितना मिल रहा है और कितना शेयर है यह बता दें?

श्री उपाध्यक्ष–

हरियाणा के पानी की बात बाद में होगी।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, 65 प्रतिशत हरियाणा का शेयर बनता है और उत्तर प्रदेश का 35 प्रतिशत बनता है। हम पूरा पानी अपना ले रहे हैं और हरियाणा ने अपने शेयर से ज्यादा पानी नहीं लिया है।

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, यह बात सही है कि यह झगड़ा हमेशा हरियाणा का और हमारा बराबर चलता है। जितना पानी हमको हरियाणा से मिलना चाहिए वह कभी-कभी, उनका कन्ट्रोल रहता है, वह पूरा पानी नहीं देते हैं। हम कई बार भारत सरकार को लिख चुके हैं, हरियाणा के मुख्य मंत्री से कहा गया है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारा शेयर है उसमें कमी न होने पाये। वहां पर एक पुराना बांध बना हुआ है उससे हमें पूरा पानी नहीं मिल पाता है। दूसरा वहां बैराज बन रहा है और उसके बनने में कई व्यवधान पैदा हो रहे हैं क्योंकि जो लोकेशन हरियाणा चाहता है वह लोकेशन हमारे लिए ठीक नहीं है। जिस तरह से हरियाणा उसको चाहता है उस तरह से हम नहीं बनने देंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से बनने देंगे।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी हैं, मेरा एक सुझाव है। मान्यवर, मेरा कहना है कि पूरा मध्य गंगा कैनाल जो है वह हाथरस ब्रान्च के हेड तक जा रही है। हमारा कहना है कि हाथरस ब्रान्च के आगे बढ़ाकर कासी, छाता के बीच से होकर आगरा कैनाल से जोड़ दी जाय तो इससे आगरा मथुरा की जो समस्या है उसका समाधान हो जायेगा और हमको अपने लिए यथेष्ट मात्रा में पानी मिल जायेगा । तो इस प्रकार से मध्य गंगा कैनाल हाथरस ब्रान्च से होकर आगरा कैनाल में जोड़ दी जाती है तो भविष्य में जब कभी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच पानी के बंटवारे की समस्या उठेगी तो उत्तर प्रदेश अपनी समस्या का निराकरण कर लेगा।

श्री वीर बहादुर सिंह–

इसका हम सर्वे करायेंगे। इसमें क्या सम्भव हो सकता है, उसको हम देखेंगे।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, कल लखनऊ में कुछ पानी बरस गया, इसके माने यह नहीं है कि प्रदेश में सूखा समाप्त हो गया। मान्यवर, सारे प्रदेश में सूखे की स्थिति बनी हुई है। मैं अपने क्षेत्र में गया था, वहां पर जो कैनाल के इंजीनियर हैं, मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि आप यह बताइये कि जिले के अन्दर कितनी नहरें चल रही हैं। उन्होंने कहा, कुछ चल रही हैं। मैंने कहा कि सारे प्रदेश में एक नहर बता दीजिये, तो वह इंजीनियर एक नहर का भी नाम नहीं बता पाया। वास्तव में हमारे जिले में एक भी नहर नहीं चल रही है, इसलिए उसने नहीं बताया। पूरे प्रदेश में 72 ट्यूबवेल चल रहे हैं। आपकी योजनाएं और परियोजनाएं तो वर्षों तक चलती रहेंगी, लेकिन वर्तमान तात्कालिक स्थिति को देखते हुए, क्या इस सूखे से निपटने के लिए, सारे ट्यूबवेलों को चलाने की कृपा करेंगे?

*श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, सारी नहरों को चलाने के लिए आदेश दिये गये हैं और यह कहा गया है कि जहां कहीं भी जितनी नहरें हैं, वे पूरी क्षमता के साथ चलाई जायं। माननीय नेता विरोधी दल ने जो शिकायत की है, उसकी मैं जांच कराऊंगा। ऐसे समय में अगर कोई इंजीनियर या अन्य कोई गलती करता है, तो उसको क्षमा नहीं किया जायगा। जहां तक ट्यूबवेल के बन्द होने का सवाल है, उसके लिए कहा गया है कि सारे कामों को छोड़कर उन ट्यूबवेलों पर ध्यान दिया जाय और उन्हें चलाया जाय। अगर इस सूखे की स्थिति में लापरवाही हुई, तो बहुत नुकसान हो जायेगा।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी जब आगरा गये थे, तो उन्होंने वहां आगरा पर बैराज बनाये जाने की सहमति व्यक्त की थी और वहां के अधिकारियों से कहा भी था और यह समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था। मान्यवर, उस बैराज को बनाने के लिए 5 करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया है, लेकिन वह योजना पूरी की पूरी खटाई में पड़ी है। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आगरा बैराज बनाने के सम्बन्ध में क्या विचार है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जहां तक आगरा बैराज का सवाल है, उसका लोकेशन तय करना अभी बाकी है। यह देखना है कि ताजमहल को बैराज बनने से किसी प्रकार की क्षति न होने पाये। उसके लिए कहा गया है कि इसको हर तरह से देख लिया जाय और जहां पर लोकेशन ठीक हो, उसी जगह बैराज बनाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

राणा साहब, आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरी कटौती के कारणों का समाधान नहीं हुआ है, इसलिए उसे वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, कानपुर में जो गंगा बैराज की योजना कई वर्षों से चली आ रही है और वह बहु उद्देश्यीय है, उस योजना के बारे में सरकार ने कोई निर्णय लिया, और यदि निर्णय लिया है, तो उस पर कब से कार्य प्रारम्भ हो जायगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, कानपुर बैराज के बारे में, इसमें किस-किस काम में इस्तेमाल होगा, जानने के लिए, जल निगम द्वारा कितना इस्तेमाल होगा, जब तक सारे विभाग के लोग बैठकर तय नहीं कर लेते हैं और पैसे का प्राविधान नहीं हो जाता है तब तक कह पाना कठिन है।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 89,72,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,96,40,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 300 के अन्तर्गत नगर भूमि सीमा आरोपण निदेशालय से संबंधित मामले की सूचना पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

मुझे दो सूचनाओं पर निर्णय देना है।

दिनांक 3-7-87 को श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री रघुवर दयाल वर्मा ने नियम 300 के अन्तर्गत नगर भूमि सीमा आरोपण निदेशालय से संबंधित मामले की सूचना दी थी। इस पर निर्णय सुरक्षित रख लिया था। संक्षेप में मामला यह है कि दिनांक

21 मार्च, 1986 को कतिपय सदस्यों द्वारा नियम 56 के अन्तर्गत नगर भूमि सीमा आरोपण निदेशालय से संबंधित मामला सदन में उठाया गया था जो वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया गया था। दिनांक 1 अप्रैल, 1986 को उक्त मामले से संबंधित वक्तव्य सदन में दिया गया किन्तु मा0 सदस्यों की आपत्तियों को देखते हुए उक्त वक्तव्य को स्थगित कर दिया गया था। दिनांक 2 अप्रैल, 1986 को सदन अनिश्चित काल के लिए उठ गया और इस कारण अग्रेतर वक्तव्य के लिए समय अवशिष्ट नहीं रहा।

वर्ष 1986 के मानसून सत्र में औचित्य प्रश्न के माध्यम से इस प्रश्न को पुनः उठाया गया और मा0 संसदीय कार्य मंत्री की सहमति से उपरोक्त मामले से संबंधित वक्तव्य दिनांक 9-9-86 के लिए निर्धारित किया गया किन्तु दिनांक 9-9-86 को भी सदन संबंधित मद संख्या आने से पूर्व ही स्थगित हो गया और इस प्रकार उस सत्र में भी अग्रेतर वक्तव्य नहीं दिया जा सका।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री वर्मा ने नियम 300 के अन्तर्गत सूचना देकर यह अनुरोध किया है कि इस मामले पर इसी सत्र में शासन की ओर से अग्रेतर वक्तव्य दिलाया जाय। प्रक्रिया नियमावली के नियम 18 के अनुसार सदन के सत्रावसान हो जाने के उपरान्त सभी लम्बित सूचनायें, वक्तव्य एवं चर्चाएं व्यपगत हो जाती हैं। अतः जो वक्तव्य दिनांक 9-9-86 को निर्धारित था किन्तु सदन स्थगित हो जाने के कारण लम्बित रह गया, वह सत्रावसान के उपरान्त व्यपगत हो गया। नियमों के अनुसार इस व्यपगत वक्तव्य को पुनर्जीवित करना मेरी दृष्टि में नियमों का उल्लंघन होगा। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के इस तर्क से सहमत नहीं हुआ जा सकता कि उक्त वक्तव्य नियम 18(क) के परन्तुक के अन्तर्गत व्यपगत नहीं माना जाना चाहिए।

वर्णित परिस्थितियों में, मैं नियम 300 के अन्तर्गत उपरोक्त सूचना को अस्वीकार करता हूं। यदि मा0 सदस्यगण चाहें तो नियम 51 के अन्तर्गत वह पुनः इस विषय से संबंधित सूचना दे सकते हैं और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर नियमानुसार विचार किया जायगा।

तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री करुणानिधि के विरुद्ध सदन की अवमानना की सूचना पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

(2) श्री शतरुद्र प्रकाश तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय ने दिनांक 3 मार्च, 1987 को तामिलनाडु के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री करुणानिधि के विरुद्ध सदन की अवमानना की सूचना दी है। सदन की बैठक दिनांक 6 मार्च, 1987 में उक्त विषय पर अपना विचार व्यक्त करते हुए श्री शतरुद्र प्रकाश ने बताया कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के अध्यक्ष ने दिनांक 9 दिसम्बर, 1986 को मद्रास के कोडम्बाकम नामक स्थान पर "हिन्दी" की प्रति जलाई तथा हिन्दी भाषा के प्रति अपमानजनक शब्द कहे जिससे इस सदन की अवमानना हुयी क्योंकि हिन्दी भाषा एवं देवनागरी लिपि इस सदन की भाषा एवं लिपि है। अपनी सूचना में माननीय सदस्यों ने यह भी बताया कि श्री करुणानिधि के उक्त कृत्य की जानकारी उन्हें श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी से दिल्ली में प्राप्त हुयी और उक्त घटना का पूरा विवरण दिनांक 10 दिसम्बर, 1986 के दैनिक 'हिन्दू' तथा 'अमृत प्रभात' के अंकों में भी प्रकाशित हुआ है।

इस प्रक्रम में यह बताना अनुचित न होगा कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अन्तर्गत भारतीय संघ की राजभाषा हिन्दी घोषित की जा चुकी है और भारत के करोड़ों नागरिक हिन्दी को मातृ-भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। यह कहना भी असंगत न होगा कि ऐसे लोग हिन्द और हिन्दी में फर्क नहीं मानते। इनके लिए हिन्द देह है और हिन्दी उसकी धड़कन। उनकी अवधारणा के अनुसार हिन्द विचार है और हिन्दी उसकी अभिव्यक्ति। उपरोक्त परिस्थितियों में यदि कोई भ्रमित व्यक्ति हिन्दी भाषा का अपमान करता है अथवा संविधान के प्रति असम्मान का प्रदर्शन करता है तो निश्चित रूप से वह निन्दा का पात्र है।

किन्तु यह भी सत्य है कि प्रत्येक असम्मानजनक घटना सदन की अवमानना का सूचक नहीं बन सकती। जहां तक प्रश्नगत सूचना का प्रश्न है यह स्पष्ट है कि इस मामले को, जो मा0 सदस्यों की निजी जानकारी पर आधारित नहीं है, लगभग तीन माह बाद उठाया गया है। सूचना में दो समाचार-पत्रों का उल्लेख तो किया गया है पर उसकी प्रतियां संलग्न नहीं की गयी हैं। सूचना के अनुसार श्री करुणानिधि तमिल मुनेत्र कड़गम के अध्यक्ष हैं पर वास्तविकता यह है कि यह द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के अध्यक्ष हैं। इतना ही नहीं, प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री करुणानिधि के विरुद्ध राष्ट्रीय सम्मान निरादर निरोधक अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा चुकी है।

उपरोक्त परिस्थितियों में मैं इस मामले को सदन में उठाने की अनुज्ञा देना समीचीन नहीं समझता।

आज की कार्यसूची की मद संख्या 13 को स्थगित किये जाने की सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

अब मद संख्या–13, इस पर यह अनुरोध किया गया है श्री राम नरेश यादव व श्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा कि आगे के लिए इसको स्थगित कर दिया जाए। इसलिए अब इसे आगे के लिए कार्य-मंत्रणा समिति में लगा लिया जायेगा।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत आज 5 सूचनाएं प्राप्त हुयी थीं, जिसमें से श्री अनुग्रह नारायण सिंह की सूचना वक्तव्य के लिए स्वीकार की गयी है और बाकी सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया गया है। अब हम उठते हैं, कल फिर पूर्वाह्न 11 बजे मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
8 जुलाई, 1987

नत्थी 'क'

(देखिए अता0प्र0सं0–8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर)

संलग्नक–1

श्रेणी	आवेदन-पत्रों की संख्या		चयन की तिथि	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या	
	सेवायोजन कार्यालय द्वारा	सीधे प्राप्त		सेवायोजन कार्यालय	सीधे प्राप्त प्रार्थना-पत्रों से
मेंटीनेन्स इंजीनियरिंग कुशल श्रमिक	123	115	27-9-85, 14-1-86, 30-1-86, 3-2-86 8-2-86, 8-5-86	22	44
मशीन चलाने वाले कुशल श्रमिक	356	977	27-1-86, 28-1-86 23-4-86, 1-5-86, 23-5-86	..	255
अकुशल श्रमिक	739	30	20-9-85, 4-11-85 15-3-86, 23-6-86	148	30 जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गई है ।
लिपिक	117	93	14-3-86, 24-4-86	..	06

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0–12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर ।)

शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1985–86 में विकास खण्ड अकबरपुर के लाभार्थियों की सूची

क्रम सं0	आवेदकों का नाम व पता	उद्योग/सेवा व्यवसाय का नाम	स्वीकृत धनराशि	वितरित धनराशि	सदुपयोगिता की स्थिति
1	2	3	4	5	6
	1—पंजाब नेशनल बैंक अकबरपुर, फैजाबाद				
1	श्री इरशाद अहमद, शहजादपुर, अकबरपुर, फैजाबाद ।	कपड़ा	15,000	15,000	दुरुपयोग
2	श्री मनोज कुमार यादव, यादव साड़ी केन्द्र, इलतिपातगंज, अकबरपुर, फैजाबाद	कपड़ा	15,000	15,000	दुरुपयोग
3	श्री राम सेवक पाउल, समैसा ग्रा0 व पो0 शेरेगांव, फैजाबाद ।	आयल मिल	25,000	25,000	सदुपयोग
4	श्री मो0 अतीक अन्सारी, पुत्र श्री हाजी अब्दुल मजीद अन्सारी शाहजादपुर, अकबरपुर, फैजाबाद ।	कपड़ा	25,000	25,000	सदुपयोग
5	श्री वीरेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी, पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद, त्रिपाठी मौ0 लाहौरपुर, पो0 लोदीपुर, फैजाबाद ।	आयल मिल	25,000	25,000	सदुपयोग
6	श्री चन्द्र प्रकाश गौड़, पुत्र श्री अद्या प्रसाद, मीरानपुर अकबरपुर, फैजाबाद ।	क्राकरी	15,000	15,000	सदुपयोग
7	श्री राम निवास मिश्रा पुत्र श्री संध्याकर मिश्रा, ग्राम सिबलीपुर, रामपुर, फैजाबाद ।	आयरन स्टोर	20,000	20,000	सदुपयोग
8	श्री चौथी राम राजभार पुत्र श्री कोलेश्वर, पीपरपुर, सिकदरपुर, फैजाबाद ।	बेल्डिग	25,000	25,000	सदुपयोग
9	श्री दिलीप कुमार अकबरपुर पचोका सुरापुर, फैजाबाद ।	राइस मिल	25,000	25,000	सदुपयोग

1	2	3	4	5	6
10	श्री सुधान्शु द्विवेदी, पुत्र श्री राम आसरे दुबे, मोहसिनपुर, अकबरपुर, फैजाबाद।	इलेक्ट्रिक गुड्स	15,000	15,000	दुरुपयोग

2—बैंक आफ बड़ौदा, अकबरपुर, फैजाबाद

1	श्री मो0 रईस पुत्र श्री आबिद हुसैन, ग्राम लोरेपुर, अकबरपुर, फैजाबाद।	फोटोग्राफी	19,900	19,900	सदुपयोग
2	श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी पुत्र श्री श्रीकान्त त्रिपाठी ग्राम आसेपुर, पो0 वरियावन, फैजाबाद	आइरन स्टोर	20,000	20,000	,,
3	श्री रामनाथ पुत्र श्री शीतल प्रसाद, ग्राम जहरडीह मुरादाबाद, अकबरपुर, फैजाबाद।	जनरल स्टोर	15,000	15,000	,,
4	श्री पवन कुमार, ग्राम हरिपुर, जगदीशपुर, पो0 जमुनीपुर, फैजाबाद।	होजरी	10,000	10,000	दुरुपयोग
5	श्री अभिमन्यु यादव पुत्र श्री भगेलू राम ग्राम कोदरा पो0 मीरापुर शेखपुर, फैजाबाद।	कपड़ा की दुकान	15,000	15,000	सदुपयोग
6	श्री श्याम लाल चौधरी पुत्र श्री सीताराम चौधरी, ग्राम पल्लावी कल्याणपुर, पो0 परियावन, फैजाबाद।	जनरल स्टोर	15,000	15,000	,,

3—इलाहाबाद बैंक, शाहजादपुर, फैजाबाद

1	श्री घनश्याम गुप्ता पुत्र श्री काली प्रसाद गुप्ता, सदरपुर सिझौली, फैजाबाद।	खाद की दुकान	25,000	25,000	,,
2	श्री राम चन्द्र वर्मा पुत्र श्री राम लोट वर्मा, ईसापुर वहोरिकपुर, फैजाबाद।	मेडिकल स्टोर	20,000	20,000	सदुपयोग
3	श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री कमला प्रसाद, ग्राम अलिया बाजार, सुरापुर, फैजाबाद।	जनरल स्टोर	15,000	15,000	,,
4	श्रीमती साधना यादव पुत्री श्री गुलीराम, ग्राम केशवपुर, भटियावन, फैजाबाद।	खाद की दुकान	20,000	20,000	दुरुपयोग
5	श्री हीरा चौधरी पुत्र श्री राम कौशल चौधरी, पो0 माहीराय, भटियावन, फैजाबाद	परचून की दुकान	15,000	15,000	सदुपयोग

विधान सभा सचिवालय

1	2	3	4	5	0
	4—स्टेट बैंक आफ इंडिया, अकबरपुर				
1	श्री रवीन्द्र चन्द्र, ग्राम हाजीपुर, पो0 रामपुर मुगराडिला, फैजाबाद ।	खाद की दुकान	20,000	20,000	सदुपयोग
2	श्री ओरी लाल पुत्र श्री बिन्देश्वरी प्रसाद पो0 अकबरपुर, फैजा बाद ।	खाद की दुकान	20,000	20,000	सदुपयोग
3	श्री गौरी शंकर वर्मा पुत्र श्री सती प्रसाद ग्राम व पो0 मनसापुर, अकबरपुर, फैजाबाद।	कीट नाशक दवा की दुकान ।	10,000	10,000	सदुपयोग
4	श्री नगेश कुमार शर्मा पुत्र श्री नारायण मुरादाबाद, अकबरपुर, फैजाबाद ।	चाय की पत्ती की दुकान	20,000	20,000	सदुपयोग
5	श्री अनिल रंजन त्रिपाठी पुत्र श्री राम अकबाल पो0 मीरानपुर, अकबरपुर ।	कपड़े की दुकान	15,000	15,000	दुरुपयोग
6	श्री शमशाद अहमद पुत्र श्री हयात मोहम्मद, मो0 शाहजहांपुर, अकबरपुर, फैजाबाद ।	मेडिकल स्टोर	20,000	20,000	सदुपयोग

उत्तर प्रदेश गजट

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0प्र0सं0 54 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर)

वर्ष 1983–84 में पंजीकृत इकाइयों को उपलब्ध कराई गयी आर्थिक सहायता की सूची

क्रम-सं0	इकाई का नाम व पूरा पता	धनराशि
1	2	3
1—मेसर्स	भृगु बेकरी रामपुर, बलिया	21294.00
2 ,,	सी0बी0प्रोडक्ट्स, मनियर, बलिया	20000.00
3 ,,	ग्रामीण सीमेंट नाद वर्क्स, लालगुज, बलिया	25000.00
4 ,,	पारसनाथ सीमेंट जाली पाइप उद्योग, रेवती बलिया	25000.00
5 ,,	विनय आइस कैन्डी एण्ड आइस उद्योग, चौकिया, बलिया	50000.00
6 ,,	अनूप प्रिंटिग प्रेस, जिला परिषद मार्केट, बलिया	25000.00
7 ,,	सिवैमतुल्लाह रेडीमेड इण्ड0 रसड़ा, बलिया	20000.00
8 ,,	भारत इंजी0 वर्क्स, गांधी नगर, बलिया	706.00
9 ,,	चौरसिया बिस्कुट उद्योग, हरपुर, बलिया	30000.00
10 ,,	दीनानाथ आयल मिल, अपैल, बलिया	25000.00
11 ,,	वी0के0 इन्टरप्राइजेज, प्रा0 सिकन्दरपुर रोड, सुखपुरा	25000.00
12 ,,	एस0बी0 इंजी0 वर्क्स, बेल्थरा रोड, बलिया	25000.00
13 ,,	अवधेश कुमार टिम्बर वर्क्स, सिकन्दरपुर	20000.00
14 ,,	जितेन्द्र सिंह तेल मिल, मिडढ़ी, बलिया	25000.00
15 ,,	गुप्ता आयल मिल कोटवाना रायणपुर, बलिया	13000.00
	योग	350000.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वर्ष 1984–85 में स्थापित/पजीकृत इकाइयों को दी गयी वित्तीय सहायता

क्रम-सं0	इकाई का नाम व पूरा पता		धनराशि
1	2		3
1	मेसर्स इन्दिरा फ्लोर एवं आयल मिल, गांधी नगर, बलिया	..	38800.00
2	,, मुरलीधर एण्ड सन्स, बनकटा, बलिया ..	..	25000.00
3	,, श्री सच्चिदा आयल मिल, ग्राम व पो0 बसन्तपुर, बलिया	..	12000.00
4	,, शिवजी फर्नीचर, माल गोदाम रोड, बलिया	..	25000.00
5	,, लवली उद्योग, मो0 वरतर, मनियर, बलिया	..	25000.00
6	,, गनेश मसाला उद्योग, सीनाडीह, बेल्थरा रोड, बलिया	..	20000.00
7	,, जे0आर0इन्डस्ट्रीज, बेल्थरा रोड, बलिया	..	50000.00
8	,, डिस्को बिन्दी वक्स, चान्दपाकड़, बलिया	..	25000.00
9	,, लक्ष्मी स्पाट्स चाद पाकड़, मनियर, बलिया	..	25000.00
10	,, गुप्ता आयल मिल, सुखपुरा, बलिया ..	..	25000.00
11	,, राम मूरत उद्योग, दलजी का छपरा, बलिया	..	12000.00
12	,, स्टैंडड बी0के0 पोटी स्टेट कापीडर्स, सिविल कोर्ट	..	25000.00
13	,, सीमा केमिकल वर्क्स, नई बाजार, सहतवार, बलिया	..	25000.00
14	,, राजेश केमिकल वर्क्स, नया बाजार, सहतवार, बलिया	..	25000.00
15	,, अशोक अलकार, ग्राम व पो0 सहतवार, बलिया	..	25000.00
16	,, लक्ष्मी जी आयल उद्योग, बी0बी0 टोला, बलिया	..	10000.00
17	,, शबनम बिन्दी प्रोडक्ट्स, वरतर, मनियर, बलिया	..	25000.00
18	,, सपना प्रोडक्ट्स वनकटा, बलिया ..	..	25000.00
19	,, विंध्यावासिनी आइस फैक्ट्री, छितौनी, बलिया	..	25000.00
20	,, कुमार आयल मिल, मनियर, बलिया ..	..	25000.00
21	,, गुप्ता फोटो स्टेट, गांधी नगर, बलिया ..	..	25000.00
22	,, खान आयल मिल, कुन्डैल नियामत अली, बेल्थरा रोड, बलिया	..	20000.00
23	,, महमूद रेडीमेट गारमेन्टस उद्योग, रेवती, बलिया	..	6500.00
24	,, मुश्तफा टिकुली उद्योग, मनियर, बलिया ..	..	6500.00
25	,, स्टार टिकुली उद्योग, मनियर, बलिया ..	..	6500.00
26	,, एस0बी0 इजीनियरिंग वर्क्स, बेल्थरा रोड, बलिया	..	23700.00
27	,, रेडीमेट गारमेंट औ0स0लि0 विरंजी छपरा, बलिया	..	9000.00
	योग	..	780000.00

बी0एस0यू0पी0—एल0 159 वि0सभा (282)—1987—813।